



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त विधेयक, 2026 के उपबंधों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

(जिन खंडों के प्रतिनिर्देश किया गया है वे विधेयक के खंड हैं)

वित्त विधेयक, 2026

प्रत्यक्ष कर से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2026 (जिसे इसके पश्चात् "विधेयक" कहा गया है) के उपबंध, आय-कर अधिनियम, 2025 ("अधिनियम") तथा आयकर अधिनियम, 1961 और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) तथा कर अधिरोपन अधिनियम, 2015 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन करने के लिए प्रत्यक्ष कर से संबंधित है।

उपरोक्त को प्राप्त करने की दृष्टि से, संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्ताव निम्नलिखित शीर्ष के अधीन संगठित किए जा रहे हैं:-

- (क) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कर की दरें;
- (ख) जीविका की सुगमता;
- (ग) शास्ति और अभियोजन का सुव्यवस्थिकरण;
- (घ) सहकारी ;
- (ङ) भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी सेक्टर का समर्थन;
- (च) वैश्विक कारबार और विनिधान को आकृष्ट करना;
- (छ) कॉर्पोरेट कर व्यवस्था का सुव्यवस्थिकरण;
- (ज) अन्य प्रत्यक्ष कर उपबंधों का सुव्यवस्थिकरण;

प्रत्यक्ष कर

क. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कर की दरें

क. आयकर की दरें

I. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कर के लिए उत्तरदायी आय की बाबत आयकर की दरें

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कर के प्रति दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आयकर की दरों को या तो आयकर अधिनियम, 1961 की विनिर्दिष्ट धाराओं (जैसे देशी कंपनियों के लिए धारा 115खकक या धारा 115खकख व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुंब एओपी (सहकारी सोसाइटी से भिन्न)/व्यष्टिक का निकाय/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए 115खकग और सहकारी सोसाइटीयों के लिए धारा 115खकघ या धारा 115खकड.) या विधेयक के लिए पहली अनुसूची के भाग I- क में विनिर्दिष्ट किया गया है। इन विनिर्दिष्ट धाराओं में या पहली अनुसूची में कर की दरों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए धारा 115खकक या 115खकख या 115खकग या 115खकघ या धारा 115खकड. में उपबंधित दरें वहीं होंगी जो पहले से ही अधिनियमित है। इसी प्रकार निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए "अग्रिम कर की संगणना के प्रयोजन के लिए, 'वेतन' से स्रोत पर कर कटौती और कतिपय दशाओं में सदैव कर के प्रभार्य के लिए वित्त (सं.2) अधिनियम 2024 के लिए पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित दरें अब पहली अनुसूची का भाग 1 बन जाएंगी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकग के अधीन कर की दरें-

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकग (1क) के उपबंधों के अनुसार कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या ना हो या धारा 2(31)(vii)के में निर्दिष्ट कोई कृत्रिम व्यक्ति को निम्नलिखित दरों पर कुल आय के संबंध में कर का भुगतान करना होगा –

| क्रम सं. | कुल आय | कर की दर |
|----------|---------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 4,00,000 तक | शून्य |
| 2. | 4,00,001 से 8,00,000 तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 8,00,001 से 12,00,000 तक | 10 प्रतिशत |
| 4. | 12,00,001 से 16,00,000 तक | 15 प्रतिशत |
| 5. | 16,00,001 से 20,00,000 तक | 20 प्रतिशत |
| 6. | 20,00,001 से 24,00,000 तक | 25 प्रतिशत |
| 7. | 24,00,000 से ऊपर | 30 प्रतिशत |

2. धारा 115खकग(6) के उपबंधों के अनुसार जब तक किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है, ऊपर उल्लिखित दरें लागू होंगी। अतः धारा 115खकग(1क) में विनिर्दिष्ट दरें व्यतिक्रम दरें हैं।

3. धारा 115खकग(1क)(iii) के अधीन कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में, निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर संघ के प्रयोजनों के लिए, संगणित अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या न, या आयकर अधिनियम की धारा 2(31)(vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में,—

(i) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम,1961 की धारा 111क, धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या अभिलाभ के माध्यम से आय सम्मिलित है) पचास लाख से अधिक है किंतु ऐसे आयकर की 10 प्रतिशत की दर पर एक करोड़ रूपए से अनधिक है;

(ii) जिसकी कुल आय(जिसमें आयकर अधिनियम,1961 की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या अभिलाभ सम्मिलित है) एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु ऐसे आयकर की 15% की दर पर दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है; और

(iii) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम,1961 की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या अभिलाभ अपवर्जित है) ऐसे आयकर की 25% की दर पर दो करोड़ से अधिक है;

(iv) जिसकी कुल आय (जिसमें आयकर अधिनियम,1961 की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या अभिलाभ सम्मिलित है) दो करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु ऐसे आयकर की 15% की दर पर उपरोक्त खंड(iii) के अधीन नहीं आता है।

3.1 उस दशा में जहां धारा 115खकग(1क) के उपबंध लागू हैं तथा कुल आय में आयकर अधिनियम,1961 की धारा 111क, धारा 112 तथा धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या अभिलाभ से आय को कुल आय में सम्मिलित करती है, आय की इस भाग के संबंध में आयकर पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

3.2 और, इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम तथा धारा 115खकग(1क) के अधीन जिसकी आय कर प्रभार्य है, आयकर पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3.3. ऐसे मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाएगी।

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए लागू पहली अनुसूची के भाग 1-क के अधीन कर की दरें

(क). व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग (1) का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है:-

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii)में जो वर्णित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या आयकर अधिनियम,1961 की धारा 2(31)(vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-1 को कोई पैरा ख ग घ या ड. लागू होता है) हैं, आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं:-

| | | |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | 2,50,000 रुपए तक | शून्य |
| 2. | 2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 4. | 10,00,000 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,-

| | | |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | 3,00,000 रुपए तक | शून्य |
| 2. | 3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 4. | 10,00,000 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,-

| | | |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | 5,00,000 रुपए तक | शून्य |
| 2. | 5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 3. | 10,00,000 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |

ये वही दरें हैं जो निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई हैं।

(ख) सहकारी सोसाइटीयां

सहकारी सोसाइटीयों की दशा में आयकर की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट किया गया है। वे (10,000 रुपये तक 10 प्रतिशत 10,001 रुपये और 20,000 रुपये के बीच 20 प्रतिशत और 20,000 रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी।

(ग) फर्म

फर्मों की दशा में आयकर की दर विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग-1 के पैरा ग में निर्दिष्ट की गई है। वे 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं।

(घ) स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आयकर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग -1 के पैरा घ में निर्दिष्ट की गई है। वे 30 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं।

(ड.) कंपनियां

कंपनियों की दशा में आयकर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा ड. में निर्दिष्ट की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2025-26 की दरों के मुकाबले अपरिवर्तित रहेंगी। देशी कंपनी की दशा में आयकर की दर कुल आय का 25 प्रतिशत होगी यदि पूर्व वर्ष 2023-24 की कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं और अन्य सभी दशाओं में आयकर की दर कुल आय का 30 प्रतिशत होगी।

2. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में विशेष दरों पर प्रभारित आय से भिन्न कुल आय पर आयकर की दर 35 प्रतिशत होगी।

(1) आयकर पर अधिभार

संघ के प्रयोजनों के लिए आयकर की रकम पर अधिभार की दर वही होगी जो पहली अनुसूची के भाग-1 के पैरा च में तथा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्दिष्ट है। अधिभार विनिर्दिष्ट निधि(धारा 10(4) (घ) के स्पष्टीकरण(ग) में निर्दिष्ट) की आय पर संगणित आयकर पर लागू नहीं होगा जो अधिनियम की धारा 115कघ(1)(क) के अधीन प्रभार्य है। और, अधिनियम की धारा 115खकग(1क) के अधीन उस व्यक्ति के लिए जिसकी आय कर प्रभार्य है, ऐसे व्यक्ति की आय या संकलित आय पर 37 प्रतिशत की दर से अधिभार (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या अधिभार अपवर्जित है) 5 करोड़ से अधिक होने पर लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में सीमांत अधिभार 25 प्रतिशत तक है।

(2) सीमांत राहत-

जिन मामलों में अधिभार अधिरोपित करना प्रस्तावित है, उन सभी मामलों में सीमांत राहत का भी उपबंध किया गया है।

(3) शिक्षा उपकर-

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए "स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर" इस तरह संगणित आयकर की रकम पर 4 प्रतिशत की दर से उद्धृत है इसमें सभी मामलों में जहां लागू होता है अधिभार सम्मिलित है। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

II. आयकर अधिनियम, 2025 के प्रयोजनों के लिए कर वर्ष 2026-27 के लिए कर हेतु दायी आय के संबंध में आयकर की दरें।

कर वर्ष 2026-27 के लिए कर के लिए दायी सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की आय के संबंध में, आयकर की दरें अधिनियम की विनिर्दिष्ट धाराओं में विनिर्दिष्ट की गई हैं, जैसे देशी कंपनियों के लिए धारा 200 या धारा 201, व्यष्टिक/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/ एओपी के लिए धारा 202(सहकारी सोसायटी से भिन्न) सहकारी सोसायटियों के लिए 203 या धारा 204 या विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1-ख में विनिर्दिष्ट की गई है। इन विनिर्दिष्ट धाराओं या पहली अनुसूची में कर दरों में परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। कर वर्ष 2026-27 के लिए अधिनियम की धारा 200 या 201या 202 या 203 या 204 में उपबंधित दरें वही होंगी जो पहले से अधिनियमित हैं।

धारा 202 के अधीन कर दरें-

कर वर्ष 2026-27 के लिए, अधिनियम की धारा 202 के उपबंधों के अनुसार कोई व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों का संगम सहकारी सोसायटियों से भिन्न या व्यष्टिकों का निकाय, चाहे धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट निगमित या नहीं या कृत्रित न्यायिक व्यक्ति, जिसे निम्नलिखित दरों पर कुल आय के संबंध में कर संदाय करना होगा:

| क्रम सं. | कुल आय | कर की दर |
|----------|---------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 4,00,000 तक | शून्य |
| 2. | 4,00,001 से 8,00,000 तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 8,00,001 से 12,00,000 तक | 10 प्रतिशत |
| 4. | 12,00,001 से 16,00,000 तक | 15 प्रतिशत |
| 5. | 16,00,001 से 20,00,000 तक | 20 प्रतिशत |
| 6. | 20,00,001 से 24,00,000 तक | 25 प्रतिशत |
| 7. | 24,00,000 से ऊपर | 30 प्रतिशत |

2. उपर लिखित दरें तब तक लागू होंगी जब तक धारा 202(4) के उपबंधों के अनुसार विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता। अतः धारा 202 में विनिर्दिष्ट दरें व्यतिक्रम दरें हैं।

3.धारा 202 के अधीन कर प्रभार्य आय के संबंध में, कर वर्ष 2026-27 के लिए आयकर अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 277(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यष्टिकों के निकाय की दशा में संगणित चाहे निगमित हो या नहीं या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति,-

(i) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196,197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी अभिलाभ सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196,197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी अभिलाभ सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है,ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(iii) जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196,197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी अभिलाभ को छोडकर) दो करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

(iv). जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196,197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी अभिलाभ सहित) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन खंड(iii) के अधीन नहीं आता है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से;

3.1 अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन जहां धारा 115खकग(1क) के उपबंधों की दशा में तथा कुल आय जिसके अंतर्गत लाभांश या पूंजी अभिलाभ है, आय के उस भाग के संबंध में आयकर पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3.2 और, केवल कंपनियों से मिलकर बनने वाले व्यक्तियों की संगम की दशा में जो उसके सदस्य है और धारा 202 के अधीन आय कर प्रभार्य है, आयकर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3.3 ऐसे मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाएगी।

कर वर्ष 2026-27 के लिए लागू पहली अनुसूची के भाग 1-ख के अधीन कर दरें

क. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति ।

निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रभावी, यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 202 अधीन उपबंधित दरें, कुल आय के संबंध में, किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों का संगम (सहकारी सोसाइटी से सिवाय), या व्यष्टियों का निकाय चाहे निगमित हो या न, या धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के कर संदाय अवधारण करने के लिए व्यतिक्रम के रूप में लागू होंगी:-

| क्रम सं. | कुल आय | कर की दर |
|----------|--------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 4,00,000 तक | शून्य |
| 2. | 4,00,001 से 8,00,000 तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 8,00,001 से 12,00,000 तक | 10 प्रतिशत |

| | | |
|----|---------------------------|------------|
| 4. | 12,00,001 से 16,00,000 तक | 15 प्रतिशत |
| 5. | 16,00,001 से 20,00,000 तक | 20 प्रतिशत |
| 6. | 20,00,001 से 24,00,000 तक | 25 प्रतिशत |
| 7. | 24,00,000 से ऊपर | 30 प्रतिशत |

2. तथापि, यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की प्रस्तावित धारा 202(4) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, भाग III की पहली अनुसूची में यथा उपबंधित दरें लागू होंगी।

3. विधेयक की पहली अनुसूची के भाग -III के पैरा क में आयकर की निम्नलिखित दरें उपबंधित की जाती हैं:-

(i) प्रत्येक व्यक्ति (नीचे उल्लिखित (ii) और (iii) से भिन्न या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टिकों के निकायों के मामले में चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ऐसा मामला नहीं है जिस पर भाग III का कोई अन्य पैरा ख, ग, घ,ड. लागू होता है) आयकर की दरें निम्नानुसार हैं:-

| | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | 2,50,000 रुपये तक | शून्य |
| 2. | 2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपए तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक | 20 प्रतिशत |
| 4. | 10,00,000 रुपये से अधिक | 30 प्रतिशत |

(ii) प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष से कम है, -

| | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | 3,00,000 रुपये तक | शून्य |
| 2. | 3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपए तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक | 20 प्रतिशत |
| 4. | 10,00,000 रुपये से अधिक | 30 प्रतिशत |

(iii) प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है,-

| | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | 5,00,000 रुपये तक | शून्य |
| 2. | 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक | 20 प्रतिशत |
| 3. | 10,00,000 रुपये से अधिक | 30 प्रतिशत |

4. इस पैराग्राफ के पूर्ववर्ती उपबंधों (धारा 196, 197 और 198 के अधीन पूंजी लाभ सहित) पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि को निम्नलिखित दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,-

क. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी लाभ सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से;

ख. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी लाभ सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

ग. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी लाभ सहित) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

घ. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी लाभ सहित) पांच करोड़ रुपये से अधिक ऐसे आयकर के 37 प्रतिशत की दर से;

ड. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी लाभ सहित) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन खंड(ग) और (घ) के अधीन कवर नहीं किया जाता है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से लागू होगा;

4.1 परंतु कुल आय में अधिनियम की धारा 196 ,197 और 198 के अधीन लाभांश या आय प्रभारी के माध्यम से कोई आय भी सम्मिलित है, की दशा में, तो आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4.2 परंतु यह और कि केवल कंपनियों के सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में आयकर पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

4.3 और, जहां कोई व्यक्ति जिसकी आय अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर के लिए प्रभार्य है, आय पर 37 प्रतिशत की दर पर अधिभार या ऐसे व्यक्ति की आय का सकलन (अधिनियम की धारा 196 ,197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम द्वारा आय के सिवाय) पांच करोड़ से अधिक होना, लागू नहीं होगा । ऐसे मामलों में अधिभार 25 प्रतिशत तक निर्बंधित कर दिया जाएगा ।

5. अधिभार के मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाती है ।

ख. सहकारी सोसाइटीयां

सहकारी सोसाइटीयों के मामले में, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III के पैरा ख में आयकर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है । ये दरें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों के समान ही रहेगी । ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ से अधिक नहीं है, के मामले में आयकर की राशि पर सात प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा । ऐसी सहकारी सोसाइटी के मामले में जिसकी कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है, अधिभार की दर बारह प्रतिशत से उद्धरित होना जारी रहेगी ।

2. अधिभार की दशा में सीमांत राहत उपबंधित है ।

3. कतिपय शर्तों का समाधान करने पर, भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी को धारा 203 के उपबंधों के अनुसार 22 प्रतिशत की दर से कर का संदाय करने का विकल्प है । ऐसे कर पर अधिभार 10 प्रतिशत होगा ।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ से अधिक है।

घ. स्थानीय प्राधिकरण

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय-कर पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रूपए से अधिक है।

ड. कंपनियां

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट की गई है। देशी कंपनी की दशा में आय-कर की दर पूर्व वर्ष 2024-25 का कुल आवर्त या सकल प्राप्ति चार सौ करोड़ से अधिक नहीं है, कुल आय का पच्चीस प्रतिशत होगी और जहां कंपनियां धारा 199 रीजीम में रहना जारी रखती हैं। अन्य सभी दशाओं में आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी तथापि घरेलू कंपनियों के पास अधिनियम की धारा 200 के अधीन, इनमें अंतर्विष्ट शर्तों को पूर्ण करने पर, कराधान के लिए विकल्प होगा। धारा 200 में कर की दर 22 प्रतिशत है। ऐसे कर पर अधिभार 10 प्रतिशत होगा।

2. देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में कर की दरें विशेष दरों पर प्रभार्य आय से भिन्न आय पर, कुल आय का 35 प्रतिशत होगी

3. किसी देशी कंपनी की दशा में (अधिनियम की धारा 200 और धारा 201 के अधीन कराधान के लिए विकल्प लिया है से भिन्न) सात प्रतिशत की दर से अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से कम है। यदि देशी कंपनी (उनके सिवाय जिन्होंने अधिनियम की धारा 200 तथा 201 के अधीन कराधान का विकल्प लिया है), से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा।

4. देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से अनाधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है।

5. सभी मामलों में अधिभार में सीमांत राहत उपबंधित की गई है।

आयकर पर अधिभार

संघ के प्रयोजनों के लिए आयकर की रकम पर अधिभार की दर वही होगी जो पहली अनुसूची के भाग-1 के पैरा च में तथा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्दिष्ट है। अधिभार विनिर्दिष्ट निधि(अनुसूची 6 [टिप्पण 1(छ)] में निर्दिष्ट) की आय पर संगणित आयकर पर लागू नहीं होगा जो अधिनियम की धारा (धारा 210 (1) [सारणी:क्रम सं 1] के अधीन प्रभार्य है। और, अधिनियम की धारा 202 के अधीन उस व्यक्ति के लिए जिसकी आय कर प्रभार्य है,ऐसे व्यक्ति की आय या संकलित आय पर 37 प्रतिशत की दर से अधिभार (आयकर अधिनियम,1961 की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या अधिभार अपवर्जित है) 5 करोड़ से अधिक होने पर लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में सीमांत अधिभार 25 प्रतिशत तक है।

सीमांत राहत-

जिन मामलों में अधिभार अधिरोपित करना प्रस्तावित है, उन सभी मामलों में सीमांत राहत का भी उपबंध किया गया है।

शिक्षा उपकर-

निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए "स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर" इस तरह संगणित आयकर की रकम पर 4 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहित है इसमें सभी मामलों में जहां लागू होता है अधिभार सम्मिलित है। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

III वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें

"वेतन" से भिन्न कतिपय आय से

अधिनियम की धारा 393(1) [सारणी: क्रम सं. 1(i) और 5], धारा 393(2) [सारणी: क्रम सं. 7,8,9 और 17] और धारा 393(3) [सारणी: क्रम सं. 1, 2 और 3] के उपबंधों के अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट की गई है।

2. वह धारा जो स्रोत पर कर कटौती की दरें विनिर्दिष्ट करती है अधिनियम की सुसंगत धाराओं के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती होती रहेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2025 की पहली अनुसूची के भाग 2 में जो दरें विनिर्दिष्ट है वही दरें रहेंगी।

4. आयकर की रकम पर अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए वही है जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्दिष्ट है।

5. "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर"आयकर की चार प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहित होता रहेगा जिसके अंतर्गत जहां कहीं अधिभार लागू होता है, भारत का अनिवासी होने की दशा में जिसके अंतर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनी है।

IV "वेतन" से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें, "अग्रिम कर" की संगणना और वित्त वर्ष 2026-27 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के दौरान विशेष मामलों में आयकर प्रभार।

वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान "वेतन" से या अधिनियम की धारा 393(1)[सारणी:क्रम सं. 8(iii)] के अधीन की कटौती की दरें और निर्धारिती की सभी श्रेणियों के मामले में उक्त वर्ष के दौरान देय "अग्रिम कर"की संगणना के लिए विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह दरें वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान उन आय पर कर लगाने के लिए भी लागू होती है, जिन मामलों में त्वरित निर्धारण किया जाना है, उदाहरण के लिए, अनिवासियों को भारत में होने वाले नौवहन मुनाफे का अनंतिम निर्धारण, भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण वित्तीय वर्ष के दौरान अच्छे लोगों के लिए, जो कर से बचने के लिए संपत्ति स्थानांतरित करने की संभावना रखते हैं, कम अवधि के लिए गठित निकायों का आकलन, आदि। पिछले वर्ष से कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उक्त भाग III में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शाई गई हैं-

क. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।

निर्धारण वर्ष 2026-27 से प्रभावी, यह प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 202 अधीन उपबंधित दरें, कुल आय के संबंध में, किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों का संगम (सहकारी सोसाइटी से सिवाय), या व्यष्टियों का निकाय चाहे निगमित हो या न, या धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के कर संदाय अवधारण करने के लिए व्यतिक्रम के रूप में लागू होंगी:-

| क्रम सं. | कुल आय | कर की दर |
|----------|---------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 4,00,000 तक | शून्य |
| 2. | 4,00,001 से 8,00,000 तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 8,00,001 से 12,00,000 तक | 10 प्रतिशत |
| 4. | 12,00,001 से 16,00,000 तक | 15 प्रतिशत |
| 5. | 16,00,001 से 20,00,000 तक | 20 प्रतिशत |
| 6. | 20,00,001 से 24,00,000 तक | 25 प्रतिशत |
| 7. | 24,00,000 से ऊपर | 30 प्रतिशत |

2. तथापि, यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की प्रस्तावित धारा 202(4) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, भाग III की पहली अनुसूची में यथा उपबंधित दरें लागू होंगी।

3. विधेयक की पहली अनुसूची के भाग -III के पैरा क में आयकर की निम्नलिखित दरें उपबंधित की जाती हैं:-

(i) प्रत्येक व्यष्टि (नीचे उल्लिखित (ii) और (iii) से भिन्न या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकायों के मामले में चाहे वह निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2(77)(छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (ऐसा मामला नहीं है जिस पर भाग III का कोई अन्य पैरा ख, ग, घ,ड. लागू होता है) आयकर की दरें निम्नानुसार हैं:-

| | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | 2,50,000 रुपये तक | शून्य |
| 2. | 2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपए तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक | 20 प्रतिशत |
| 4. | 10,00,000 रुपये से अधिक | 30 प्रतिशत |

(ii) प्रत्येक व्यष्टि के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष से कम है, -

| | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | 3,00,000 रुपये तक | शून्य |
| 2. | 3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपए तक | 5 प्रतिशत |
| 3. | 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक | 20 प्रतिशत |
| 4. | 10,00,000 रुपये से अधिक | 30 प्रतिशत |

(iii) प्रत्येक व्यष्टि के मामले में, भारत में निवासी होने के नाते, जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है,-

| | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | 5,00,000 रुपये तक | शून्य |
| 2. | 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक | 20 प्रतिशत |
| 3. | 10,00,000 रुपये से अधिक | 30 प्रतिशत |

4. इस पैराग्राफ के पूर्ववर्ती उपबंधों (धारा 111क, 112 और 112क के अधीन पूंजी लाभ सहित) पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार गणना की गई आयकर की राशि को निम्नलिखित दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,-

क. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी लाभ सहित) पचास लाख रुपये से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के दस प्रतिशत की दर से;

ख. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी लाभ सहित) एक करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ऐसे आयकर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

ग. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी लाभ सहित) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे आयकर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

घ. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी लाभ सहित) पांच करोड़ रुपये से अधिक ऐसे आयकर के 37 प्रतिशत की दर से;

ड. जिसकी कुल आय (अधिनियम की धारा 196, 197 और 198 के उपबंधों के अधीन लाभांश आय या पूंजी लाभ सहित) दो करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन खंड(ग) और (घ) के अधीन कवर नहीं किया जाता है, ऐसे आयकर के 15 प्रतिशत की दर से लागू होगा;

4.1 परंतु कुल आय में अधिनियम की धारा 196 ,197 और 198 के अधीन लाभांश या आय प्रभारी के माध्यम से कोई आय भी सम्मिलित है, की दशा में, तो आय के उस हिस्से के संबंध में गणना की गई आयकर की राशि पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4.2 परंतु यह और कि केवल कंपनियों के सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में आयकर पर अधिभार की दर पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

4.3 और, जहां कोई व्यक्ति जिसकी आय अधिनियम की धारा 202 के अधीन कर के लिए प्रभार्य है, आय पर 37 प्रतिशत की दर पर अधिभार या ऐसे व्यक्ति की आय का सकलन (अधिनियम की धारा 196 ,197 और

198 के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम द्वारा आय के सिवाय) पांच करोड़ से अधिक होना, लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में अधिभार 25 प्रतिशत तक निर्बंधित कर दिया जाएगा।

5. अधिभार के मामलों में सीमांत राहत उपबंधित की जाती है।

ख. सहकारी सोसाइटीयां

सहकारी सोसाइटीयों के मामले में, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग III के पैरा ख में आयकर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है। ये दरें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों के समान ही रहेंगी। ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ से अधिक नहीं है, के मामले में आयकर की राशि पर सात प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। ऐसी सहकारी सोसाइटी के मामले में जिसकी कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है, अधिभार की दर बारह प्रतिशत से उद्धृत होना जारी रहेगी।

2. अधिभार की दशा में सीमांत राहत उपबंधित है।

3. कतिपय शर्तों का समाधान करने पर, भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी को धारा 203 के उपबंधों के अनुसार 22 प्रतिशत की दर से कर का संदाय करने का विकल्प है। ऐसे कर पर अधिभार 10 प्रतिशत होगा।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ से अधिक है।

घ. स्थानीय प्राधिकरण

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रूपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रूपए की कुल आय-कर पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रूपए से अधिक है।

ड. कंपनीयां

कंपनीयों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट की गई है। देशी कंपनी की दशा में आय-कर की दर पूर्व वर्ष 2024-25 का कुल आवर्त या सकल प्राप्ति चार सौ करोड़ से अधिक नहीं है, कुल आय का पच्चीस प्रतिशत होगी और जहां कंपनीयां धारा 199 रीजिम में रहना जारी रखती हैं। अन्य सभी दशाओं में आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी तथापि घरेलू कंपनियों

के पास अधिनियम की धारा 200 के अधीन , इनमें अंतर्विष्ट शर्तों को पूर्ण करने पर, कराधान के लिए विकल्प होगा। धारा 200 में कर की दर 22 प्रतिशत है। ऐसे कर पर अधिभार 10 प्रतिशत होगा।

2. देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में कर की दरें विशेष दरों पर प्रभार्य आय से भिन्न आय पर, कुल आय का 35 प्रतिशत होगी

3. किसी देशी कंपनी की दशा में (अधिनियम की धारा 200 और धारा 201 के अधीन कराधान के लिए विकल्प लिया है से भिन्न) सात प्रतिशत की दर से अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से कम है। यदि देशी कंपनी (उनके सिवाय जिन्होंने अधिनियम की धारा 200 तथा 201 के अधीन कराधान का विकल्प लिया है), से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा।

4. देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रूपए से अनाधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रूपए से अधिक है।

5. सभी मामलों में अधिभार में सीमांत राहत उपबंधित की गई है।

6. अन्य मामलों में [170(5) और 352] अधिभार बारह प्रतिशत की दर पर उदग्रहित होगा।

7. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अतिरिक्त अधिभार के नाम से ज्ञात "आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" संगणित कर की रकम पर चार प्रतिशत की दर पर उदग्रहित होगा जिसमें अधिभार(जहां कहीं लागू) सभी दशाओं में शामिल होगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड. 2,3 और पहली अनुसूची]

ख. जीविका की सुगमता

ऐसे अभिदाय का कटौती के रूप में नियोजक द्वारा कर्मचारी अभिदाय प्रत्यय करने की देय तारीख का सुव्यवस्थिकरण

अधिनियम की धारा 29 कर्मचारी कल्याण से संबंधित कटौतियों के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ड़) (i) नियोजक द्वारा निर्धारिती के रूप में कर्मचारी से प्राप्त अभिदाय की किसी रकम की कटौती का उपबंध करता है, जिसे धारा 2(49)(ण) के उपबंध लागू होते हैं, यदि ऐसी रकम निर्धारिती द्वारा कर्मचारी के खाते में देय तारीख द्वारा सुसंगत निधि या निधि में जमा की जाती है।

2. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "देय तारीख" से वह तारीख जिसको निर्धारिती के लिए नियोजक के रूप में कर्मचारी अभिदाय को किसी अधिनियम, नियम, आदेश या जारी अधिसूचना या किसी स्थाई आदेश, अधिनिर्णय, सेवा की ,संविदा या अन्यथा के अधीन सुसंगत निधि में कर्मचारी के खाते में प्रत्यय करना अपेक्षित है, अभिप्रेत है।

3. धारा 29(1) (ड़) का संशोधन प्रस्तावित है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के लिए देय तारीख वह देय तारीख होगी जो अधिनियम की धारा 263(1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की है।

4. संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा तत्पश्चात कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 31]

मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन ब्याज आय पर छूट

आयकर अधिनियम, 2025 की विद्यमान धारा 11 अन्य बातों के साथ विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्णता के अधीन रहते हुए अनुसूची 3 में शामिल व्यक्तियों की आय की छूट के लिए उपबंध करती है।

2. मोटर यान अधिनियम 1988 के उपबंध अन्य बातों के साथ उक्त अधिनियम के अधीन मृत्यु के कारण या स्थायी अक्षमता के कारण या किसी शारीरिक चोट के कारण किसी व्यक्ति या उसके विधिक उत्तराधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर या ऐसे प्रतिकर पर ब्याज का उपबंध करते हैं।

3. ऐसी दुर्घटना के पीडित या उसके परिवार की पीडाओं, जो व्यथित व्यक्ति तथा परिवार को अत्यंत कठोर समय दिखा सकती है, को कम करने के लिए उक्त अनुसूची का संशोधन प्रस्तावित है ताकि मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन ब्याज की प्रकृति में किसी आय पर किसी व्यक्ति या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को छूट प्रदान की जा सके।

4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 108]

किसी व्यक्ति को मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर की रकम पर ब्याज के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाना

अधिनियम की धारा 393(4)[सारणी: क्रम सं. 7, स्तंभ इ (ग)(iv)] के उपबंधों के अनुसार मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर की रकम पर ब्याज के संबंध में कर की कटौती अपेक्षित नहीं है, यदि ऐसी आय की रकम या संकलित रकम कर वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक नहीं होती है।

2. व्यक्ति को राहत प्रदान करने के लिए तथा दुर्घटना के कारण हुई परेशानी को कम करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित प्रतिकर की रकम पर ब्याज के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती नहीं होगी।

3. संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

[खंड 72]

निम्न दर पर आय कर की कटौती या आयकर की कटौती न होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन तथा प्रमाण पत्र जारी करने की समर्थता

अधिनियम की धारा 395 स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) तथा शून्य या निम्न दर पर स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के लिए प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है।

2. अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) शून्य या निम्न दरों पर कर की कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का उपबंध करती है। वर्तमान उपबंधों के अनुसार संदाय कर्ता को निर्धारण अधिकारी के समक्ष एक आवेदन देना होगा। आवेदन के तत्पश्चात यदि निर्धारण अधिकारी का सम्यक सत्यापन के पश्चात समाधान हो जाता है कि प्राप्ति की कुल आय आयकर की निम्न दरों पर कटौती या आयकर की कटौती न करने को उचित ठहराती है, वह स्रोत पर कर के निम्न या शून्य कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा।

3. छोटे करदाताओं का अनुपालन भार, संदायकर्ता को विहित आयकर प्राधिकरण के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से निम्न या कम आयकर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन फाइल करने का विकल्प प्रदान करने द्वारा सुगम करना प्रस्तावित है, जो शर्तों की पूर्णता के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे या आवेदन को रद्द करेंगे यदि विहित शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं या आवेदन पूर्ण नहीं है।

4. संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

[खंड 74]

किसी निवासी व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा का शिथिलिकरण होना, जहां स्थावर संपत्ति का विक्रेता अनिवासी है

अधिनियम की धारा 397(1)(क) उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कर की कटौती या संग्रहण कर रहा है, "कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्या (टीएएन)" के आवंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा। उक्त उपधारा का खंड (ग) उन मामलों का उपबंध करता है जहां व्यक्ति को टीएएन अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

2. वर्तमान में, यदि कोई व्यक्ति निवासी विक्रेता से स्थावर संपत्ति खरीदता है तो उस व्यक्ति को स्रोत पर कर कटौती के लिए टीएएन अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, जहां स्थावर संपत्ति का विक्रेता कोई अनिवासी है, खरीददार को स्रोत पर कर कटौती के लिए टीएएन अभिप्राप्त करना अपेक्षित है। इससे खरीददार के लिए अनावश्यक अनुपालन भार बढ़ता है, चूंकि उसे एकल संव्यवहार के लिए टीएएन की आवश्यकता होगी।

3. निवासी व्यष्टिक और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब हेतु अनुपालन भार कम करने के लिए, अधिनियम की धारा 397(1)(ग) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे निवासी व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को धारा 393(2)[सारणी: क्रम सं. 17] के अधीन किसी स्थावर के अंतरण पर किसी प्रतिफल के संबंध में स्रोत पर कर कटौती के लिए टीएएन अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

4. संशोधन 1 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगा।

[खंड 75]

निक्षेपागार की कटौती न होने के लिए घोषणा फाइल करने की समर्थता

अधिनियम की धारा 393(6) उपबंध करती है कि कतिपय मामलों में स्त्रोत पर कटौती न कि जाए। उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार निर्धारिती द्वारा स्त्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए एक लिखित घोषणा उस व्यक्ति को दी जाएगी जो धारा 393(6) की सारणी के स्तंभ ग में यथाविनिर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय या राशि के संदाय के लिए उत्तरदायी है। उक्त आय के अंतर्गत लाभांश, प्रतिभूतियों से ब्याज तथा पारस्परिक निधि की इकाईयों से आय भी है।

2. विनिधानकर्ता जो बहु इकाईयों तथा प्रतिभूतियों से कमाई जाने वाली आय के लिए जटिल प्रक्रिया का सामना करते हैं जिसमें उन्हें वर्धित अनुपालन को पूरा करने के लिए सभी अस्तित्वों के लिए पृथक प्ररूप प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ऐसे विनिधानकर्ताओं के अनुपालन भार को कम करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि उन्हें घोषणा को निक्षेपागार ने दाखिल करने की अनुज्ञा दी जाए जिसके बदले ऐसी घोषणा उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जो ऐसी आय के संदाय के लिए उत्तरदायी है।

3. और, धारा 393(6) की सारणी के स्तंभ इ में यथा विनिर्दिष्ट आय या राशि की प्रकृति के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की अनुपालना को सुगम करने के लिए, उनके द्वारा प्राप्त की गई घोषणा को विहित आयकर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की समय सीमा मासिक आधार से त्रैमासिक आधार परिवर्तित हो गई है।

4. तथापि, केवल वें विनिधानकर्ता जिन्होंने निक्षेपागार प्रतिभूतियां या इकाईयां धारित की है तथा जहां प्रतिभूतियां भारत के रजिस्ट्रीकृत स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रीकृत है, के लिए घोषणा निक्षेपागार में प्रस्तुत करना प्रस्तावित है।

5. संसोधन 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी होगा।

[खंड 72]

जनशक्ति की आपूर्ति पर टीडीएस की प्रयोज्यता

धारा 393(1)[सारणी: क्रम संख्या 6 (i)] किसी कार्य को करने के लिए संविदाकार को किए गए संदाय की दशा में स्त्रोत पर कर कटौती का उपबंध करती है। यह 1% की दर पर कटौती का उपबंध करती है जब व्यष्टिक या हिंदु अविभक्त कुटुंब को संदाय किया जाता है तथा 2% अन्य मामलों में जब संदाय किया जाता है।

2. धारा 393(1)[सारणी: क्रम संख्या 6 (iii)] वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए संदत्त फीस की दशा में स्त्रोत पर कर कटौती के लिए उपबंध करती है। यह तकनीकी सेवाओं या सिनेमाग्राफी फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रर्दशन के लिए रॉयल्टी या कॉल सेंटर के प्रचालन में लगे कारबार की दशा में 2% की दर पर कटौती तथा अन्य मामलों में 10% की दर का उपबंध करती है।

3. धारा 393(1)[सारणी: क्रम संख्या 6 (ii)] किसी कार्य को करने के लिए संविदाकार को कमीशन या दलाली द्वारा या वृत्तिक सेवाओं के माध्यम से (धारा 393(1) सारणी: क्रम संख्या 6 (iii) के अधीन नहीं आती है) किए गए संदाय की दशा में व्यष्टिक तथा हिंदु अविभक्त कुटुंब द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती का उपबंध करती है। यह ऐसे संदायों के लिए 2% की दर पर कटौती का उपबंध करती है।

4. जनशक्ति की आपूर्ति के लिए टीडीएस की लागू दर के संबंध में संदिग्धता है, तो क्या धारा 393(1)[सारणी: क्रम संख्या 6 (i)(ii)] या [सारणी: क्रम संख्या 6 (iii)] के अधीन उपबंध लागू होंगे।

5. जनशक्ति की आपूर्ति की दशा में स्त्रोत पर कर कटौती के संबंध में स्पष्टता का उपबंध करने के लिए, धारा 402(47) में "कार्य" की परिधि के अधीन इसे शामिल किया जाना प्रस्तावित है ताकि यथास्थिति धारा 393(1)[सारणी: क्रम संख्या 6 (i) या 393(1)[सारणी: क्रम संख्या 6 (i) के उपबंध लागू किए जा सकें।

6. यह संसोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

[खंड 78]

गैर बीमा कारबार की कटौती की अनुज्ञा जब पूर्व में टीडीएस की कटौती न होने पर उसका संदाय बाद में किया जाए

अधिनियम की अनुसूची 15 का भाग ख, जीवन बीमा से भिन्न बीमा कारबार के होने वाले लाभ और अभिलाभ के संगणना का उपबंध करती है। अनुसूची 15 का पैरा 4(1) (क) उपबंध करती है कि ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करते समय, कोई व्यय, भत्ता आदि जिसे लाभ और हानि खाता में जमा कर दिया गया है परंतु जो धारा 28 से धारा 54 के अधीन अस्वीकार्य है, को लाभ और अभिलाभ में वापस जोड़ दिया जाएगा।

2. अधिनियम की धारा 35(ख)(i) और (ii) उपबंध करती है कि कोई संदेय धनराशि, ब्याज आदि जिस पर कर कटौती योग्य है, परंतु कटौती नहीं की गई है या कटौती की गई है परंतु धारा 263(1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख के भीतर भुगतान नहीं किया गया है, तो संबंधित धाराओं में उल्लिखित रकम को कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि धारा 35(ख) (i) और (ii) यह भी उपबंध करती है कि नामंजूर रकम को उस कर वर्ष में अनुज्ञात किया जाएगा जब देय कर की कटौती की गई थी और धारा के उपबंधों के अनुसार भुगतान किया गया था।

3. अनुसूची 15 का पैरा 4(2) यह उपबंध करता है कि अधिनियम की धारा 37 के अधीन संदेय कोई रकम, जिसे पैरा 4(1)(क) के अधीन जोड़ा गया है, को उस कर वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें इसका वास्तव में भुगतान किया गया हो। तथापि, धारा 35(ख)(i) और धारा 35(ख)(ii) के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है, जिसमें पैरा 4(1)(क) के अधीन जोड़ी गयी रकम को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती और भुगतान किया गया है।

4. इसलिए, इसे तर्कसंगत करने और पश्चातवर्ती वर्ष में कटौती के रूप में ऐसी रकम के भत्ते के लिए उपबंध करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि पैरा 4 में नए उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाए।

5. अधिनियम की अनुसूची 15 के संशोधन का प्रस्ताव है।

6. यह संसोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 113]

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलए आरआर अधिनियम) के अधीन किसी भूमि के अनिवार्य अर्जन पर आय की छूट ।

अधिनियम की अनुसूची 3 के साथ पठित विद्यमान धारा 11 कतिपय पात्र व्यष्टियों को उनकी सकल आय पर छूट का उपबंध करती है। उक्त अनुसूची अन्य बातों के साथ उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन कृषि भूमि के अंतरण से उद्भूत "पूँजी लाभ" के अधीन प्रभार्य किसी आय पर किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब को छूट का उपबंध करती है।

2. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलए आरआर अधिनियम) की धारा 96 अन्य बातों के साथ उक्त अधिनियम के अधीन किए गए करार (धारा 46 के अधीन किए गए करार के सिवाय) या अधिनिर्णय पर आयकर उद्गृहीत न करने का उपबंध करती है।

3. संदिग्धता के समाधान के लिए, सीबीडीटी के परिपत्र सं.392016 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अधिनिर्णय या करार के संबंध में प्राप्त प्रतिकर, जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 96 द्वारा आयकर उद्ग्रहण से छूट प्राप्त है, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन भी कराधेय नहीं होगी। यदि आयकर अधिनियम, 1961 में ऐसे प्रतिकर के लिए छूट के विनिर्दिष्ट उपबंध भी न हो।

4. आरएफसीटीएलए आरआर अधिनियम के साथ, अधिनियम के उपबंधों को संरक्षित करने के लिए उक्त अनुसूची की संशोधन प्रस्तावित है ताकि किसी भूमि के अनिवार्य अर्जन के कारण किए गए किसी अधिनिर्णय या करार के संबंध में किसी आय पर छूट का उपबंध किया जा सके, जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम (उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन किए गए अधिनिर्णय या करार से भिन्न) के अधीन 1 अप्रैल, 2026 को या पश्चात् क्रियान्वित हुआ है।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होंगे।

[खंड 108]

सशस्त्र बलों के कार्मिकों को निःशक्तता पेंशन के लिए छूट :

सशस्त्र बलों के उन सदस्यों को निःशक्तता पेंशन प्रदान की जाती है जो सैन्य, नौसेना या वायु सेना सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता से पीड़ित होने पर सेवामुक्त हो जाते हैं इस पेंशन में सेवा भत्ता और निःशक्तता भत्ता दोनों सम्मिलित होते हैं। यह छूट सर्वप्रथम भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अंतर्गत प्रदान की गई थी। 1961 के आयकर अधिनियम में निरसन और बचत खंड तथा अधिसूचनाओं, प्रशासनिक निर्देशों तथा स्पष्टीकरण परिपत्रों के माध्यम से यह प्रावधान जारी रहा है।

यह प्रस्ताव है कि निःशक्तता पेंशन से छूट, जिसमें सेवा और निःशक्तता दोनों घटक सम्मिलित हैं, केवल उन मामलों में दी जाएगी जहां व्यक्ति को सेवा के दौरान हुई शारीरिक विकलांगता के कारण सशस्त्र बलों की सेवा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, न कि उन मामलों में जहां व्यक्ति सेवानिवृत्ति के आधार पर या किसी अन्य तरीके से सेवानिवृत्ति हुआ हो। यह भी प्रस्तावित है कि यह छूट अर्धसैनिक कर्मियों को भी उपलब्ध होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के कर वर्षों पर लागू होंगे।

[खंड 108]

आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख का सुव्यवस्थिकरण

आयकर अधिनियम, 2025 ("अधिनियम") की धारा 263 कर दाता द्वारा आयकर विवरणी फाइल करने का उपबंध करता है। उक्त धारा व्यापक ढांचे से संबंधित है जो व्यक्तियों के उस वर्ग को, जिनसे विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, देय तारीख और तैयार की जाने वाली विवरणियों के विभिन्न प्रकार अधिकथित करती है। इसके अंतर्गत मूल विवरणी, देर से दी गई विवरणी, पुनरीक्षित विवरणी और अद्यतन विवरणी आती है।

2. अधिनियम की धारा 263(1)(6) "देय तारीख" से संबंधित है, सुसंगत कर वर्ष के उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के लिए निर्धारित/व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग द्वारा आय की विवरणी, उसमें लागू विभिन्न शर्तों के साथ फाइल करने की तारीख से अभिप्रेत है। इस संबंध में, ऐसे करदाता, जो कारबार या वृत्ति में लगे हुए हैं, और फर्म के भागीदार, जिनसे संपरीक्षित लेख पुस्तक रखना अपेक्षित नहीं है, और न्यास, को सुविधा प्रदान करने के लिए, यह प्रस्तावित किया जाता है कि उन्हें आवश्यक लेखा तैयार करने के लिए अधिक समय उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार करदाता को सुविधा प्रदान करने और शिकायतों को कम करने के लिए ऐसे गैर-संपरीक्षा कारबार मामलों तथा न्यासों में परिकल्पित आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख का सुव्यवस्थिकरण।

3. इस संबंध में, कारबार या वृत्ति की आय से लाभ और अभिलाभ प्राप्त करने वाले निर्धारित, जिनके लेखा इस अधिनियम या लागू किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित होना अपेक्षित नहीं है और किसी फर्म के भागीदार, जिनके लेखा इस अधिनियम या लागू किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित होना अपेक्षित नहीं है या ऐसे भागीदार के पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी पर धारा 10 लागू होगी) और न्यास, उनकी विवरणी फाइल करने की देय तारीख 31 जुलाई से 31 अगस्त तक बढ़ाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति, जो आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फाइल करते हैं, उनके आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख 31 जुलाई ही रहेगी। इस संबंध में अधिनियम की धारा 263(1)(ग) में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है।

| क्रम सं. | व्यक्ति | शर्तें | देय तारीख |
|----------|---|--|------------|
| अ | आ | इ | ई |
| 1. | निर्धारित, जिसमें किसी फर्म के भागीदार या ऐसे भागीदार के पति या पत्नी सम्मिलित है (यदि ऐसे पति या पत्नी को धारा 10 लागू होती है) | जहां धारा के उपबंध 172 लागू होंगे। | नवंबर 30 |
| 2. | (i) कंपनी ; (ii) निर्धारित (किसी कंपनी से भिन्न) इस अधिनियम या लागू किसी अन्य विधि के अधीन, जिनके लेखा संपरीक्षित होना अपेक्षित है ; (iii) किसी फर्म का भागीदार, जिनके लेखा इस अधिनियम या लागू किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित होना अपेक्षित है ; या ऐसे भागीदार के पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी को धारा 10 लागू होती है) | जहां धारा 172 के उपबंध लागू नहीं होते। | अक्टूबर 31 |
| 3. | (i) कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले निर्धारित, जिनके लेखा इस अधिनियम या लागू किसी अन्य विधि के अधीन | | |

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| | संपरीक्षित होना अपेक्षित नहीं है। (ii) किसी फर्म का भागीदार, जिनके लेखा इस अधिनियम या लागू किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित होना अपेक्षित नहीं है या ऐसे भागीदार के पति या पत्नी (यदि ऐसे पति या पत्नी को धारा 10 लागू होती है) | यथा उपरोक्त | अगस्त 31 |
| 4. | कोई अन्य निर्धारिती | -- | जुलाई 31 |

4. गैर-संपरीक्षा कारबार मामले और न्यास के लिए आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण-2 में समान संशोधन करने के लिए पैरा-2 में यथानिर्दिष्ट समान तर्क लागू होंगे।

5. कर वर्ष 2026-27 और पश्चात् कर वर्षों के लिए आयकर अधिनियम, 2025 में किए गए संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से लागू होना प्रस्तावित है।

6. निर्धारण वर्ष 2026-27 (पूर्व वर्ष 2025-26) के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए संशोधन 1 मार्च, 2026 से लागू होना प्रस्तावित है।

[खंड 5,57]

पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने की अवधि का विस्तार

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263 करदाताओं द्वारा आयकर विवरणी फाइल करने से संबंधित है। उक्त धारा व्यापक रूपरेखा विहित करती है जो ऐसे व्यक्तियों के वर्ग को अधिकथित करती है जिन्हें देय तारीख तक विवरणी फाइल करना अपेक्षित है तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां जो प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसमें मूल विवरणी, विलंबित विवरणी, पुनरीक्षित विवरणी और अद्यतन विवरणी सम्मिलित है।

2. और, अधिनियम की धारा 263(5) आय की पुनरीक्षित विवरणी का उपबंध करती है। यह ऐसे व्यक्ति जिसने धारा 263(1) और (4) के अधीन पहले ही विवरणी प्रस्तुत कर दी है, को पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए तब अनुज्ञात करती है जब मूल या विलंबित विवरणी में कोई लोप या गलत कथन पाया गया हो। ऐसी पुनरीक्षित विवरणी संबंधित आय वर्ष की समाप्ति से नौ मास के भीतर या निर्धारण के पूर्ण होने से पूर्व, जो भी पहले हो प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

3. धारा 263(5) करदाता को आय, कटौती, छूट, हानि या कोई अन्य विशिष्टियां के संबंध में कोई लोप या गलत कथन में सुधार करने के लिए मूल या विलंबित विवरणी के पुनरीक्षण को अनुज्ञात करता है।

4. पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए विहित समय सीमा को बढ़ाने का विचार किया गया है जो सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से विद्यमान नौ मास से बारह मास तक होगी। जैसा कि वर्तमान में पुनरीक्षित तथा विलंबित विवरणी की समय सीमा एक दूसरे के लिए सिक्के के दो पहलू की तरह है जो कि सुसंगत कर वर्ष की समाप्ति से नौ मास की है। अतः कोई व्यक्ति जो अंत पर अपनी विलंबित विवरणी फाइल कर रहा है को उसकी आय की विवरणी का पुनरीक्षण करने का अवसर नहीं था। आय की पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने की समय सीमा

का विस्तारण, करदाता को पुनर्रीक्षित विवरणी वहां फाइल करने की अनुज्ञा देगा जहां अंत पर विलंबित विवरणी फाइल की गई है।

5. इस संबंध में, अधिनियम, 2025 की धारा 263(5) के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे कि पुनर्रीक्षित विवरणी फाइल करने के लिए विहित समय सीमा को उसकी विद्यमान नौ मास की समय सीमा से संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से बारह मास तक बढ़ाया जा सके। और, धारा 234इ के अधीन ऐसी पुनर्रीक्षित विवरणियों जो संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से नौ मास से परे फाइल की गई है, के लिए फीस का भी प्रस्ताव है।

6. ये संशोधन कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।

7. और, धारा 263 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के समरूप है इसलिए समान संशोधन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) में भी प्रस्तावित हैं। यह प्रस्ताव है कि ये संशोधन आयकर अधिनियम, 1961 में 1 मार्च, 2026 से प्रवृत्त होगा और निर्धारण वर्ष 2026-27 (पूर्व वर्ष 2025-26) के लिए लागू होंगे।

[खंड 5,12,57,83]

हानियों की कमी की दशा में अद्यतन विवरणी फाइल करने की परिधि

आयकर अधिनियम,2025(अधिनियम) की धारा 263 करदाताओं द्वारा आयकर विवरणी फाइल करने के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा समग्र ढांचे का व्यौहार करती है जो उन व्यक्तियों की श्रेणी को अधिकथित करती है जिन्हें विवरणी फाइल करना, देय तारीख तथा विभिन्न प्रकार विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अंतर्गत मूल विवरणी, विलंबित विवरणी, पुनर्रीक्षित विवरणी, अद्यतन विवरणी आती है।

2. और, अधिनियम की धारा 263(6) आय की अद्यतन विवरणी का व्यौहार करती है। यह करदाता को सुसंगत कर वर्ष से उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के अंत से 48 मास के भीतर अद्यतन विवरणी फाइल करने के लिए अनुज्ञात करती है चाहे पहले विवरणी प्रस्तुत की गई हो या नहीं। उक्त धारा आय की अद्यतन विवरणी पर कतिपय निर्बंधन और अधिरोपित करती है। उदाहरणतया अद्यतन विवरणी हानि की विवरणी नहीं हो सकती, कर दायित्व कम नहीं कर सकती तथा प्रतिदाय को बढ़ा नहीं सकती। अद्यतन विवरणी फाइल करने के लिए यथा विहित अतिरिक्त आयकर का संदाय की अपेक्षा होती है तथा उन मामलों में यह अनुज्ञा नहीं है जहां निर्धारण , पुनःनिर्धारण, खोज, सर्वेक्षण, या अभियोजन कार्यवाहियां लंबित है या पूर्ण है।

3. आगे और, धारा 263(6)(ख) उपबंध करती है कि करदाता ऐसे मामले जहां अधिनियम की धारा 263(1) के अधीन अद्यतन विवरणी फाइल कर सकेंगे जो कि हानि की विवरणी है तथा तत्पश्चात फाइल की गई अद्यतन आय की विवरणी है। तथापि अधिनियम की धारा 263(6) (ग)(i) ने निर्बंधन सृजित किया है कि ऐसे मामले जहां उक्त कर वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी हानि की विवरणी है, अद्यतन विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

4. इस संबंध में पणधारियों से सुझाव प्राप्त हुए थे कि ऐसे मामलों में जहां उपधारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख के भीतर प्रस्तुत हानि की विवरणी में दावा की गई हानि की रकम की तुलना में हानि की रकम को करदाता कम रहा है, अद्यतन विवरणी भी अनुज्ञात की जा सकती है।

5. उपरोक्त की दृष्टि में अधिनियम की धारा 263(6) का संशोधन प्रस्तावित है ताकि ऐसे मामलों में जहां उपधारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख के भीतर हानि की विवरणी में दावा की गई हानि की रकम को कम करता है, अद्यतन विवरणी फाइल करना अनुज्ञात की जा सके।

6. यह और प्रस्तावित है कि आयकर अधिनियम, 2025 में उपरोक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

7. यह और प्रस्तावित है कि आयकर अधिनियम, 2025 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ संशोधन करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में वही संशोधन किये जाएंगे।

8. यह भी प्रस्तावित है कि आयकर अधिनियम, 1961 में किये गए संशोधन 1 मार्च, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

[खंड 5,57]

पुनः निर्धारण के नोटिस के जारी होने के पश्चात अद्यतन विवरण के फाइल करने की मंजूरी

आयकर अधिनियम, 2025 (अधिनियम) की धारा 263 करदाता द्वारा आयकर विवरणी को फाइल करने का उपबंध करती है। उक्त धारा समग्र विरचना से संबंधित है जो उन व्यक्तियों के वर्ग, जिन्हें विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, देय तारीख और दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की विवरणियों को अधिकथित करती है। इसमें मूल विवरणी, विलंबित विवरणी पुनरीक्षित विवरणी और अद्यतन विवरणी सम्मिलित है।

2. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 263(6) आय की अद्यतन विवरणी से संबंधित है। यह करदाता को मूल विवरणी के फाइल किए जाने को ध्यान में न रखते हुए, सुसंगत कर वर्ष के पश्चातवर्ती वित्त वर्ष के अंत से 48 मास के भीतर अद्यतन विवरणी फाइल करने की मंजूरी देती है। इस उपबंध का उद्देश्य करदाता द्वारा आय पर कर लगाने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना है। उक्त धारा आय की विवरणी अद्यतन करने पर कतिपय निर्बंधन भी लगाती है अर्थात् अद्यतन विवरणी हानि की विवरणी नहीं होगी, दायित्व की विवरणी नहीं होगी और पुनः भुगतान को बढ़ा नहीं सकेगी। अद्यतन विवरणी फाइल करने के लिए यथाविहित अतिरिक्त आयकर का भुगतान अपेक्षित है और ऐसे मामलों में इसकी अनुमति नहीं है, निर्धारण, पुनः निर्धारण, सर्वेक्षण या अभियोग की प्रक्रिया लंबित है या पूरी हो चुकी है।

3. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 263(6)(ग)(v) उक्त कर वर्ष के लिए ऐसे मामलों में अद्यतन विवरणी को फाइल करने से प्रतिषिद्ध करती है जहां आय के निर्धारण या पुनः निर्धारण या पुनः संगणन या पुनरीक्षण की किसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी या लंबित है।

4. अधिनियम की धारा 267(5) यह उपबंध करती है कि कर और ब्याज के सकल योग के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त आयकर, मूल कर और ब्याज सहित संबंधित कर वर्ष के पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में अद्यतन विवरणी फाइल करने के लिए देय होगा।

5. इस संबंध में यह माना जाता है कि मुकद्दमेबाजी को कम करने के लिए ऐसे मामलों में भी अद्यतन विवरणी के रूप में दी जा सकती है, जहां पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अधिनियम की धारा 280 के अधीन निर्धारण की सूचना जारी की गई है।

6. इस संबंध में अधिनियम की धारा 263 प्रस्तावित की गई है ताकि धारा 280 के अधीन किसी नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर के उक्त नोटिस अनुसरण में सुसंगत कर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई अद्यतन विवरणी दी जा सकेगी।

7. अधिनियम की धारा 267 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह विहित किया जा सके कि जहां धारा 280 के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अद्यतन विवरणी फाइल की जाती है, वहां संदेय अतिरिक्त आयकर कुल कर और अद्यतन विवरणी फाइल करने के कारण संदेय ब्याज से अतिरिक्त 10 प्रतिशत की राशि द्वारा वृद्धि की जाएगी। यह भी प्रस्तावित है कि जहां अतिरिक्त

आयकर प्रस्तावित अतिरिक्त आयकर के अनुसार संदत्त किया जाता है, वहां वह आय जिस पर ऐसा अतिरिक्त आयकर संदत्त किया जाता है, वह धारा 439 के अधीन शास्ति के अधिरोपण का आधार नहीं बनेगा ।

8. उक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से लागू होना प्रस्तावित है और कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होंगे ।

9. यह भी प्रस्तावित है कि आयकर अधिनियम, 2025 के प्रस्तावित संशोधनों के साथ संशोधित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में समान संशोधन किये जाएंगे। आयकर अधिनियम, 1961 में यह संशोधन किये गए हैं ताकि उक्त नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर धारा 148 के अधीन नोटिस के अनुसरण में सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए व्यक्ति द्वारा अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की जा सके।

10. यह और प्रस्तावित है कि आयकर अधिनियम, 1961 1 मार्च, 2026 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

[खंड 5,57]

लघु करदाताओं की विदेशी संपत्ति- प्रकटीकरण योजना, 2026 :

निवासी करदाताओं द्वारा धारित अघोषित विदेशी आय और संपत्तियों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति)और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया था । इसके लागू होने के समय 1 जुलाई 2015 से 30 सितंबर, 2015 तक एक बार अनुपालन अवधि प्रदान की गई थी ताकि कर और जुर्माने के भुगतान के अधीन 31 मार्च, 2015 तक अर्जित अघोषित विदेशी संपत्तियों की स्वैच्छिक घोषणा की जा सके ।

यह अवलोकन किया गया है कि छोटे करदाताओं द्वारा पूर्वनिर्धारित या अनजाने में किए गए खुलासों से संबंधित मामलों में अनुपालन न करना विशेष रूप से प्रचलित है । इनमें विदेशी रोजगार लाभों से प्राप्त संपत्तियों जैसे ईएसओपी या आरएसयू पूर्व छात्रों के निष्क्रिय या कम मूल्य वाले विदेशी बैंक खाते विदेश लौटने वाले अनिवासियों की बचत या बीमा पॉलिसियां और विदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात व्यक्तियों द्वारा धारित संपत्तियां सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त स्वचालित सूचना विनमय ढांचे के अधीन प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पैन धारकों द्वारा विदेशी वित्तीय संपत्तियों का खुलासा नहीं किया गया है ।

स्वैच्छिक अनुपालन को सुबम बनाने और छोटे करदाताओं के ऐसे पुराने मामलों के समाधान को सक्षम बनाने के लिए विदेशी संपत्तियों और विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय की घोषणा के लिए एक समयबद्ध योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें कर या शुल्क का भुगतान संपत्ति की प्रकृति और स्रोत के आधार पर घोषणा में सम्मिलित मामलों के संबंध में काले धन अधिनियम के अधीन दंड और अभियोजन से सीमित छूट प्राप्त करने और प्रदान करने का उपबंध किया जाएगा । अपराध की आय या उससे जुड़े अभियोजन के मामलों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

प्रस्तावित स्कीम वित्त विधेयक, 2026 का भाग होगी और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होगी ।

ग. शास्ति और अभियोजन का सुव्यवस्थिकरण

काला धन अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए शर्तों में ढील :

काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 (काला धन अधिनियम) निवासियों द्वारा जानबूझकर विदेशी आय और संपत्ति का खुलासा न करने के मामले में दंडात्मक और अभियोजन संबंधी उपायों का प्रावधान करता है। काला धन अधिनियम की धारा 49 और 50 में ऐसे मामलों में कठोर कारावास और जुर्माने सहित अभियोजन का उपबंध करता है। काला धन अधिनियम की धारा 49 और 50 में ऐसे मामलों में कठोर कारावास और जुर्माने सहित अभियोजन का उपबंध है, जहां कोई निवासी जानबूझकर आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में जानबूझकर चूक करता है।

मामूली और अनजाने में हुई जानकारी के खुलासे के मामलों में राहत प्रदान करने और अभियोजन प्रावधानों को काले धन अधिनियम के अधीन दंड ढांचे के साथ संरेखित करने के लिए धारा 49 और 50 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि ये उपबंध किया जा सके कि ये उपबंध अचल संपत्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे, जहां कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक नहीं है। ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

[खंड 144]

अभियोजन कार्यवाहियों का सुव्यवस्थिकरण

आय-कर अधिनियम, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) के अध्याय 22 में ऐसे विभिन्न उपबंध हैं जो निर्धारिती पर आपराधिक दायित्व अधिरोपित करते हैं और लेखा बहियों में मिथ्याकरण, कटौती किए गए टीडीएस/टीसीएस को जमा न करना, मिथ्या कथन करना, जानबूझकर कर अपवंचित करने का प्रयत्न करना, सम्यक् समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न करना, मिथ्या विवरणी के लिए दुष्प्रेरित करना, कर की वसूली से बचने के लिए संपत्ति को हटाना/छिपाना/अंतरित करना, निर्धारण अधिकारी के कतिपय निदेशों का अनुसरण न करना इत्यादि जैसे विभिन्न अपराधों के लिए तीन माह से सात वर्ष तक के कठोर कारावास सहित कारावास विहित करते हैं।

2. धारा 473 से 485 में निर्धारिती की ओर से किए गए विभिन्न अपराधों और दंड के स्वरूप और रीति तथा उसमें निहित शर्तों, जिनमें समय की परिसीमा, अपवाद, अपवंचित कर की रकम के लिए आरंभिक सीमा और इसके लिए दंड, पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड सम्मिलित हैं, विहित किए गए हैं।

3. धारा 473 निर्धारिती द्वारा तलाशी कार्यवाहियों को बाधित करने और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न करके धारा 247 (तलाशी और अभिग्रहण) के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन करने से संबंधित है। साथ ही, धारा 474 तलाशी कार्यवाहियों के दौरान अन्य दस्तावेजों की लेखा बहियों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान न करने के संबंध में है। धारा 475 कर वसूली को निवारित करने के लिए संपत्ति को हटाने, छिपाने, अंतरित करने या परिदान करने के अपराध की दशा में निर्धारिती को दंडित करती है।

4. धारा 476 स्रोत पर की गई कर की कटौती को केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा न करना अपराध मानती है। इस धारा के अंतर्गत चार अपराध आते हैं; जो हैं लाटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, ऑनलाइन खेलों से जीत, कारबार या पेशे से उद्भूत फायदा या परिलब्धि, किसी वर्चुअल डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए राशि से स्रोत पर की गई कटौती हैं। इसी रीति में, धारा 477 स्रोत पर संगृहित के संबंध में है जो केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया है।

5. धारा 478 किसी कर, शास्ति या आय की जानकारी न देने और कर, शास्ति या ब्याज का भुगतान न करने के जानबूझकर किए गए प्रयत्न के अपराध से संबंधित है। धारा 479 इस अधिनियम के अधीन सूचना जारी करके या किसी अन्य तरीके से विवरणी प्रस्तुत न करने के अपराध को आपराधिक बनाती है। इसी प्रकार, धारा 480 तलाशी मामलों में विवरणी प्रस्तुत न करने के अपराध को दंडनीय बनाती है।

6. यदि निर्धारित लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या निर्धारण अधिकारी के निदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो धारा 481 इस अपराध को आपराधिक बनाती है। यदि कोई मिथ्या कथन करता है या ऐसा लेखा परिदत्त करता है जो मिथ्या है, तो धारा 482 इस अपराध के लिए दंड विहित करती है। धारा 483 लेखा बहियों या दस्तावेजों के मिथ्याकरण या ऐसी प्रविष्टि या कथन जो लेखा बहियों में मिथ्या है, के अपराध को दंडित करती है। धारा 484 मिथ्या विवरणी के दुष्प्रेरण के अपराध के संबंध में है जिसमें कोई व्यक्ति किसी ऐसे आय से संबंधित ऐसा लेखा बनाता है या परिदत्त करता है जो मिथ्या है। इसके अतिरिक्त, धारा 485 द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराधों से संबंधित है। धारा 494 लोक सेवकों द्वारा विवरणों के प्रकटीकरण से संबंधित है।

7. इस संबंध में, अपराधमुक्ति की निरंतर कवायद को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की तथा इन धाराओं में उल्लिखित अपराधों के लिए दंड को अपराधों के आनुपातिक बनाने के लिए धारा 473 से 485 और 494 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित अपराधमुक्ति की कवायद में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया गया है :-

(क) ऊपर वर्णित धाराओं में जहां कहीं भी दंड विहित किया गया है वहां दंड के स्वरूप में कठोर कारावास से बदलकर साधारण कारावास में किया जाता है।

(ख) अधिकतम दंड को वर्तमान 7 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है तथा पश्चातवर्ती अपराधों के लिए इसे वर्तमान 7 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया जाता है।

(ग) जहां कहीं कर अपवंचित की गई रकम के आधार पर अपराधों के लिए दंड विहित किया गया है, वहां अपराधों का नया वर्गीकरण और उसके अनुरूप दंड विहित किया जाता है।

(घ) यदि अपवंचित किए गए कर की रकम 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो केवल जुर्माने का दंड विहित किया जाता है।

(ङ) कारावास के बदले या इसके अतिरिक्त, जुर्माने का अधिरोपण पुरःस्थापित किया जाता है।

(च) कतिपय अपराधों को पूरी तरह से अपराधमुक्त किया जाता है।

8. पैरा 7 में चर्चा किए गए अपराधमुक्ति के सिद्धांतों के आधार पर धारा 473 से 485 और 494 में दंड की प्रकृति और अवधि में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित हैं :-

(क) धारा 473 में, धारा 473 के अधीन वर्णित अपराधों के लिए इसके वर्तमान दंड "ऐसी अवधि का कठोर कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा" को "दो वर्ष तक के साधारण कारावास और जुर्माने" में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) धारा 474 में, धारा 474 के अधीन वर्णित अपराधों के लिए इसके वर्तमान दंड "ऐसी अवधि का कठोर कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा" को "छह माह तक के साधारण कारावास और/या जुर्माने" में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) धारा 475 में, धारा 475 के अधीन वर्णित अपराधों के लिए इसके वर्तमान दंड "ऐसी अवधि का कठोर कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा" को "दो वर्ष तक के साधारण कारावास और जुर्माने" में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(घ) स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से संबंधित अपराधों के मामले में :-

(i) यदि कोई व्यक्ति लॉटरी या क्रासवर्ड पहली आदि की जीत की दशा में धारा 476(1)(ख) (i) के अधीन अपेक्षित अनुसार स्रोत पर कर की कटौती का संदाय करने में असफल रहता है या ऐसे कर के संदाय को सुनिश्चित करता है और यदि कोई व्यक्ति धारा 476(1)(ख) (ii) के अधीन फायदे या परिलब्धि की दशा में स्रोत पर कर की कटौती का संदाय करने और संदाय सुनिश्चित करने में असफल रहता है, तो इन अपराधों के लिए ऐसी अवधि के कठोर कारावास का दंड है जिसकी अवधि तीन माह से कम नहीं होगी किन्तु जो जुर्माने सहित सात वर्ष तक की हो सकेगी । इन अपराधों को पूर्णतः अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव है ।

(ii) इसके अतिरिक्त, इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति धारा 476(1)(ख) (i) के अधीन ऑनलाइन खेलों से प्राप्त जीत और धारा 476(1)(ख) (ii) के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति से प्राप्त प्रतिफल के मामले में स्रोत पर कटौती किए गए कर का संदाय करने या कर का संदाय सुनिश्चित करने में असफल रहता है, तो इन अपराधों के लिए ऐसी अवधि के कठोर कारावास का दंड लागू होता है जो तीन माह से कम का नहीं होगा किन्तु जो जुर्माने सहित सात वर्ष तक का हो सकेगा । इन मामलों में, ऑनलाइन खेलों से प्राप्त जीत और आभासी डिजिटल आस्ति से प्राप्त प्रतिफल, जो पूरी तरह से वस्तु के रूप में हैं, उन्हें कर का संदाय न करने या कर का संदाय सुनिश्चित न करने के मामलों में अभियोजन से संबंधित आपराधिक दायित्वों से अपवर्जित किए जाने का प्रस्ताव है । किसी अन्य मामले में, धारा 476 के अधीन इन मामलों में दंड को नीचे दी गई रीति में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है :-

(क) ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपए से अधिक होने की दशा में, दो वर्ष तक के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

(ख) ऐसे कर की रकम दस लाख रुपए से अधिक किन्तु पचास लाख रुपए से अधिक न होने की दशा में, छह माह तक के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने सहित ।

(ड) धारा 477 में, धारा 477 के अधीन वर्णित अपराधों के लिए दंड ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास है जो तीन माह से कम का नहीं होगा किन्तु जुर्माने सहित सात वर्ष का हो सकेगा । इस दंड को नीचे दी गई रीति में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है :

(i) ऐसे कर की रकम पचास लाख रुपए से अधिक होने की दशा में, दो वर्ष तक के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

(ii) ऐसे कर की रकम दस लाख रुपए से अधिक किन्तु पचास लाख रुपए से अधिक न होने की दशा में, छह माह तक के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

(iii) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से ।

(च) जानबूझकर कर की अपवंचना करने की दशा में,

(i) धारा 478(1) में, धारा 478(1) के अधीन यथावर्णित अपराधों के लिए दंड को नीचे दी गई रीति में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है ;

(क) ऐसी दशा में जहां अपवंचित की जाने वाली रकम या आय से कम रिपोर्ट की गई आय की रकम पचास लाख रुपए से अधिक है तो दो वर्ष तक के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

(ख) ऐसी दशा में जहां अपवंचित की जाने वाली रकम या आय से कम रिपोर्ट की गई आय की रकम दस लाख रुपए से अधिक है किन्तु पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है तो छह माह तक के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

(ग) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से ।

(ii) धारा 478(2) में, धारा 478(2) के अधीन अपराधों के लिए दंड को नीचे दी गई रीति में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है ;

(क) ऐसी दशा में जहां अपवंचित की जाने वाली रकम पचास लाख रुपए से अधिक है तो दो वर्ष तक के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है ;

(ख) ऐसी दशा में जहां अपवंचित की जाने वाली रकम दस लाख रुपए से अधिक है किन्तु पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है तो छह माह तक के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

(ग) किसी अन्य दशा में, जुर्माने से ।

(छ) धारा 479 में, धारा 479 (1) के अधीन उल्लिखित अपराधों के लिए दण्ड को नीचे दी गई रीति से बदलने का प्रस्ताव है :

(क) ऐसे मामले में जहां कर की राशि, जिसका अपवंचन हो जाता है यदि विफलता का पता नहीं चलता पाता, पचास लाख रुपये से अधिक है, साधारण कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों के साथ;

(ख) ऐसे मामले जहां कर की राशि, जिसकी अपवंचन हो जाता है यदि विफलता का पता नहीं चलता पाता, दस लाख रुपये से अधिक है, लेकिन पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, साधारण कारावास जिसकी अवधि छह मास तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों के साथ :

(ग) किसी भी अन्य मामले में जुर्माने के साथ ।

(ज) धारा 480 में, धारा 480 के अधीन उल्लिखित अपराधों के लिए दण्ड को नीचे दिए गए रीति से बदलने का प्रस्ताव है :

(क) ऐसे मामले में जहां कर की राशि पचास लाख रुपये से अधिक है, साधारण कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों के साथ;

(ख) ऐसे मामले जहां कर की राशि दस लाख रुपये से अधिक है, लेकिन पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, साधारण कारावास जिसकी अवधि छह मास तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों के साथ :

(ग) किसी भी अन्य मामले में जुर्माने के साथ ।

(झ) धारा 481 में, धारा 481 के अधीन उल्लिखित अपराधों के लिए दण्ड को नीचे दी गई रीति से बदलने का प्रस्ताव है :

(क) ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 268 (1) के अधीन उसे तामिल नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले खाते और दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत किए जाने के कारण विफल रहता है, धारा 481 के अधीन इस उपबंध को पूर्णतः अपराधमुक्त कि जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 268(5) के अधीन उसे जारी किए निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो सजा को वर्तमान एक वर्ष तक की अवधि के लिए कठोर कारावास और जुर्माने के साथ से बदलकर छह मास तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ करने का प्रस्ताव है ।

(ञ) धारा 482 में धारा 482 के अधीन उल्लिखित अपराधों के लिए दंड को निम्नलिखित रीति से परिवर्तित करने का प्रस्ताव है :

(क) दो वर्ष तक के साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ ऐसे मामले में जहां कर की राशि जिसे यदि विवरण या खाता सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन किया जा सकता था पचास लाख रुपये से अधिक हो;

(ख) ऐसे मामले में छह मास तक के साधारण कारावास, या जुर्माने या दोनों के साथ जहां कर की राशि जिसे यदि विवरण या खोते को सत्य मान लिया जाता तो अपवंचन किया जा सकता था दस लाख रुपये से अधिक है लेकिन पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है;

(ग) किसी अन्य मामले में जुर्माने के साथ ।

(ट) धारा 483 में, धारा 483(1) के अधीन उल्लिखित अपराधों के लिए दंड को वर्तमान कठोर कारावास जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, लेकिन तीन मास से कम नहीं होगी, लेकिन दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने सहित से बदलकर दो वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास और जुर्माने सहित करने का प्रस्ताव है ।

(ठ) धारा 484 में, धारा 484 के अधीन उल्लिखित अपराधों के लिए दंड को निम्नलिखित रीति से परिवर्तित करने का प्रस्ताव है :

(i) ऐसे मामले में जहां कर जुर्माना या ब्याज की वह राशि जिसे घोषणा, खाता, या विवरण सही मानकर अपवंचन किया जा सकता था या जिसे जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया जा सकता था या जिसे जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया गया हो, पचास लाख रुपये से अधिक हो, तो दो वर्ष तक के साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

(ii) ऐसे मामले में छह मास तक के साधारण कारावास, या जुर्माने, या दोनों के साथ, जहां कर जुर्माना या ब्याज की राशि जिसे घोषणा, खाते, या विवरण को सत्य मानकर अपवंचन किया जा सकता था या या जिसे जानबूझकर अपवंचन करने का प्रयास किया गया हो, दस लाख रुपये से अधिक है लेकिन पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है;

(iii) किसी भी अन्य मामले में जुर्माने के साथ ।

(ड) धारा 485 में धारा 485 के अधीन उल्लिखित अपराधों के लिए दंड को वर्तमान कम से कम छह मास की कठोर कारावास, लेकिन सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने सहित से बदलकर कम से कम छह मास की साधारण कारावास लेकिन तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, करने का प्रस्ताव है ।

(ढ) धारा 494 में धारा 494(1) के अधीन उल्लिखित अपराधों के लिए दंड को वर्तमान कारावास जो छह मास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा से बदलकर एक मास तक साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों करने का प्रस्ताव है ।

9. अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में धाराओं के शीर्षकों को अधिनियम के अनुरूप करने और अधिनियम को और सरल बनाने का प्रस्ताव है :

(क) धारा 473 में धारा का शीर्षक बदलकर "तलाशी कार्रवाई के दौरान जारी किए गए आदेश का उल्लंघन" कर दिया गया है ।

(ख) धारा 474 में धारा का शीर्षक बदलकर "तलाशी के दौरान लेखा पुस्तकों के निरीक्षण की सुविधा प्रदान करने में विफलता" कर दिया गया है ।

(ग) धारा 478 में धारा का शीर्षक बदलकर "विशेष लेखा परीक्षा या मूल्यांकन के निर्देश का अनुपालन करने में विफलता" कर दिया गया है ।

10. अनुच्छेद 7 में उल्लिखित समान सिद्धांतों का पालन करते हुए प्रासंगिक अभियोजन उपबंधों अर्थात् आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 275क से 278क और 280 में अनुच्छेद 8 और 9 में उल्लिखित समान प्रकृति के संशोधन किए गए हैं ।

11. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 473 से 485 और 494 में किए गए संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे ।

12. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 275क से 278क और 280 में किए गए संशोधन 1 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे ।

अन्य व्यक्तियों के मामले में ब्लॉक की अवधि का सुव्यवस्थिकरण:

अधिनियम की धारा 295 अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारण अधिकारी समाधान हो जाता है कि कोई अघोषित आय किसी ऐसे अन्य व्यक्ति (जिसे इसमें इसके बाद अन्य व्यक्ति कहा गया है) से संबंधित है या उससे जुड़ी हुई है जो उस व्यक्ति (जिसे इसमें इसके बाद निर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है) जिसके संबंध में धारा 247 के अधीन तलाशी शुरु की गई थी या धारा 248 के अधीन मांग की गई थी) के अतिरिक्त है तो, -

- (क) कोई भी धन, बुलियान, आभूषण, वर्चुवल डिजिटल संपत्ति या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज भी खाता बही या अन्य दस्तावेज जो जब्त या अधिग्रहीत किए गए हों, या उपर्युक्त अघोषित आय से संबंधित कोई अन्य सामग्री या जानकारी, ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएगी, और
- (ख) अन्य व्यक्ति का निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध धारा 294 के अधीन कार्यवाही करेगा तथा इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

2. इसके अतिरिक्त ब्लॉक निर्धारण के मौजूद उपबंधों में निर्दिष्ट व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के लिए ब्लॉक अवधि समान है ।

3. इस संबंध में, यह विचार किया गया है कि जहां किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित अघोषित आय केवल एक कर वर्ष से संबंधित है, वहां भी तीसरे व्यक्ति को पूर्ण ब्लॉक निर्धारण प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति पर अनुपालन का बोझ बढ़ जाता है जिसके विरुद्ध कोई खोज या अधिग्रहण शुरु नहीं किया गया था ।

4. तदनुसार यह प्रस्तावित है कि :

(I) अधिनियम की धारा 295 (2) में संशोधन करके तीसरे पक्षकार के मामले में ब्लाक अवधि को सीमित किया जाए।

(II) अधिनियम की धारा 296 में संशोधन किया जाए ताकि ब्लॉक निर्धारण की सीमा तय करने के लिए खोज शुरु होने की तारीख को संदर्भ बिंदु विनिश्चित किया जाए और परिणामस्वरूप बारह मास की अवधि को बढ़ाकर अठारह मास करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त उक्त धारा में भी परिणामिक संशोधन किया जाए ।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, यदि खोज या मांग 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरु किया जाता है या किया जाता है ।

[खंड 64]

खोज या अध्यपेक्षा की शुरुआत के लिए पूर्ण ब्लॉक निर्धारण के लिए समय सीमा का संदर्भ

अधिनियम की धारा 296 ब्लाक निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा का उपबंध करती है । धारा 294 (ब्लाक निर्धारण की प्रक्रिया) के अधीन निर्धारण या पुननिर्धार आदेश उस तिमाही की समाप्ति से 12

महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए जिसमें अंतिम तलाशी प्राधिकरण निष्पादित किया गया था या मांग की गई थी ।

2. इसके अलावा, यह विचार किया है कि परिसीमा तारीख विनिश्चय करने के लिए प्राधिकरण की अंतिम तारीख को संदर्भ के रूप में उपयोग करने से तलाशी लिए जा रहे समूह के मामलों में परिसीमा तारीखों में भिन्नता आ सकती है क्योंकि तलाशी और जब्ती की कार्यवाही अक्सर मामलों के समूह में की जाती है जिसके लिए समन्वित जांच और निर्धारण की आवश्यकता होती है ।

3. तदनुसार, अधिनियम की धारा 296 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति के मामले में जहां कोई तलाशी शुरू की गई हो या मांग की गई हो, वहां ब्लाक निर्धारण के लिए परिसीमा तारीख विनिश्चित करने हेतु तलाशी शुरू होने की तारीख को संदर्भ बिंदु माना जाए और ऐसे व्यक्ति के मामले में निर्धारण पूरा करने के लिए बारह मास की अवधि को बढ़ाकर अठारह मास करने का प्रस्ताव है ।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, उन सभी खोज या मांग के लिए 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू किए गए हों या किए गए हों ।

[खंड 65]

शास्तियों का शुल्क में सुव्यवस्थिकरण

अधिनियम की धारा 446 में लेखाओं की संपरीक्षा न कराने पर शास्ति का उपबंध किया गया है । इसमें यह भी उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति युक्तियुक्त कारण के बिना किसी पूर्ववर्ती वर्ष या किसी निर्धारण वर्ष के सुसंगत अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराने में या पूर्वोक्त उपबंध के अधीन अपेक्षित अनुसार ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट अभिप्राप्त करने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में निम्न में से कमतर का संदाय करेगा –

(i) ऐसे कर वर्ष या वर्षों के लिए कारबार में कुल बिक्री, व्यापारावर्त या सकल प्राप्तियों, या पेशे में सकल प्राप्तियों का 0.5 प्रतिशत, या

(ii) रुपए 15,000/-

2. इसके अतिरिक्त, धारा 447 में अधिनियम की धारा 172 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर शास्ति का उपबंध किया गया है, जहां धारा 172 अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या घरेलू संव्यवहारों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखाकार से प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट से संबंधित है । वर्तमान में, ऐसी असफलता के लिए 1,00,000/- रुपए की शास्ति उद्घृत की जाती है ।

3. इसके अतिरिक्त, धारा 454 वित्तीय संव्यवहारों या रिपोर्ट योग्य लेखा की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने पर शास्ति का उपबंध किया गया है । वर्तमान में, प्रतिदिन के लिए 500/- रुपए की शास्ति उद्घृहीत की जाती है जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है । इसके अतिरिक्त, धारा 454(2) में यह उपबंधित है कि यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति धारा 508(7) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उस दशा में उस प्रत्येक दिन के लिए 1,000/- रुपए की शास्ति उद्घृहीत की जाती है जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है ।

4. इस संबंध में, यह विचार है कि गौण और तकनीकी विलंबों के लिए शास्तियों को आज्ञापक शुल्क में संपरिवर्तित किया जाना चाहिए क्योंकि शुल्क करदाताओं को अधिक सुनिश्चितता प्रदान करता है और गौण विलंबों के लिए मुकदमेबाजी को भी कम करता है।
5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित शास्तियों को शुल्क में संपरिवर्तित करने का प्रस्ताव है :
 - I. लेखाओं की संपरीक्षा न कराने के लिए धारा 446 के अधीन शास्ति को प्रस्तावित धारा 428(3) के अधीन शुल्क में संपरिवर्तित किया जाता है। तदनुसार प्रस्तावित 75,000 और 1,50,000 की ग्रेडेड फीस विलंब की अवधिपर निर्भर है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि धारा 446 के अधीन यह शास्ति लोप की जा चुकी है किन्तु वैसी ही धारा सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए या क्रिष्टो आस्ति के संव्यवहार पर गलत सूचना देने के लिए शास्ति द्वारा बदली गई है।
 - II. धारा 172 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए धारा 447 के अधीन शास्ति को धारा 428(4) के अधीन शुल्क में संपरिवर्तित किया जाता है। 50,000 और 1,00,000 रूपये की ग्रेडेड फीस विलंब की अवधि पर निर्भर करते हुए प्रदान की जाती है।
 - III. वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य लेखा की विवरणी प्रस्तुत न करने के लिए धारा 454(1) के अधीन शास्ति को धारा 427(3) के अधीन शुल्क में संपरिवर्तित किया जाता है।
6. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 454(2) के अधीन विद्यमान शास्ति की ऊपरी सीमा को 1,00,000/- रुपए किए जाने का प्रस्ताव है।
7. उपरोक्त संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों के लिए प्रभावी होगा।

[खंड 83,88,89]

निर्धारण आदेश में आय से कम आय की रिपोर्ट या गलत रिपोर्ट करने के लिए शास्ति का अधिरोपण

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, सर्वप्रथम एक निर्धारण आदेश पारित किया जाता है और इसमें निकाले गए निष्कर्षों या किए गए परिवर्धनों के आधार पर और अपीली कार्यवाहियों की प्रास्थिति के अध्यधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश में शास्ति की कार्यवाही आरंभ की जाती है। तत्पश्चात्, कारण बताओ सूचना जारी करके अलग से शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं और निर्धारिती को सम्यक् अवसर देने के पश्चात् अलग से शास्ति का आदेश पारित किया जाता है।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1961 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 274 में शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया विहित की गई है और यह आदिष्ट है कि कोई शास्ति तब तक उद्गृहीत नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती को सुने जाने का एक युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है। निर्धारण अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि एक कारण बताओ सूचना जारी की जाए जिसके लिए शास्ति प्रस्तावित है और कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित किए जाने से पूर्व उच्चतर प्राधिकारियों का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। यह धारा नैसर्गिक न्याय का पालन सुनिश्चित करती है और मनमानी या अविधिमान्य शास्ति की कार्यवाहियों को रोकने का लक्ष्य रखती है।

3. 1961 की अधिनियम की धारा 220 कर की मांग के संदाय और वसूली के संबंध में है जिसमें कहा गया है कि धारा 156 के अधीन जारी मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट कोई भी रकम सूचना की तामीली के 30 दिनों के भीतर अवश्य संदत्त की जानी चाहिए। यदि निर्धारिता इस अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है, तो उन्हें व्यतिकर्मी समझा जाना चाहिए और धारा 220(2) के अधीन ब्याज के साथ-साथ संपत्ति की कुर्की जैसे संभावित वसूली कार्यवाही के लिए दायी हो जाएगा। तथापि, निर्धारण अधिकारी शर्तों के अधधीन वास्तविक मामलों में राहत प्रदान करने के लिए किस्तों में संदाय की अनुज्ञा दे सकता है या संदाय के लिए समय-सीमा बढ़ा सकता है।

4. 1961 के अधिनियम की धारा 245डक में विवाद समाधान समिति (डीआरसी) का उपबंध किया गया है। इसमें विनिर्दिष्ट लघु और मध्यम वर्ग के करदाताओं के विवादों का एक किफायती और त्वरित रीति में समाधान करने के लिए एक विवाद समाधान समिति का गठन करना विहित किया गया है। समिति को, शर्तों के अधधीन रहते हुए, मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से, शास्तियों को कम करने या अधित्यजन करने और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया है। इस धारा में स्वैच्छिक अनुपालन और त्वरित विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए डीआरसी के आदेश की पात्रता, प्रक्रिया और आबद्धकारी प्रकृति अधिकथित की गई है।

5. इस संबंध में, यह विचार है कि उपरोक्त स्कीम से कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होती है क्योंकि अंततः निर्धारण आदेश और उसमें किए गए परिवर्धनों के आधार पर तथा अपीली कार्यवाहियों की प्रास्थिति के अधधीन ही शास्ति अधिरोपित की जानी होती है। इसके अतिरिक्त, करदाता शास्ति के अधिरोपण की प्रास्थिति को अनिश्चितता में रहता है क्योंकि अपीली कार्यवाही कई वर्षों तक खींच सकती है। इस संदर्भ में, आय से कम आय की रिपोर्ट या गलत रिपोर्ट या दोनों के लिए एक समान आदेश कार्यवाही की बहुलता से बचने में सहायक होगा, जिससे करदाताओं द्वारा नियमों का अनुपालन कम होगा और शास्ति उद्गृहीत करने में एकरूपता भी आएगी।

6. तदनुसार, धारा 274 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 270क के अधीन उद्गृहीत आय से कम आय की रिपोर्ट करने के लिए शास्ति को निर्धारण आदेश के भीतर ही अधिरोपित की जा सके। इसके अतिरिक्त, धारा 220 में भी संशोधन प्रस्तावित है जिससे धारा 220(2) के अधीन ब्याज, यथास्थिति, केवल आय-कर आयुक्त (अपील) या आय-कर अपील अधिकरण (आईटीएटी) (डीआरपी आदेशों विरुद्ध अपील के लिए) द्वारा आदेश पारित होने के पश्चात् ही लगाया जा सके। धारा 245डक में भी पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित है।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम, 2025 में तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे और तारीख 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी होंगे, जहां धारा 275 के अधीन प्रस्तावित निर्धारण आदेश का कोई प्रारूप तैयार किया जाता है या धारा 270 के अधीन निर्धारण या धारा 279 के अधीन पुनर्निर्धारण तारीख 1 अप्रैल, 2027 या उसके पश्चात् किया जाता है।

7. इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 274, 220, 234डक में भी इसी प्रकार के संशोधन प्रस्तावित हैं। यह भी प्रस्तावित है कि ये प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम, 1961 में तारीख 1 मार्च, 2026 से प्रवृत्त होंगे और तारीख 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी होंगे, जहां धारा 144ग के अधीन प्रस्तावित निर्धारण आदेश या धारा 143 के अधीन निर्धारण या धारा 147 के अधीन पुनर्निर्धारण तारीख 1 अप्रैल, 2027 को या उसके पश्चात् किया जाता है।

[खंड 11,13,14]

अधिनियम की धारा 466 में शास्ति की अधिकतम रकम में वृद्धि -

आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 254 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) में आयकर प्राधिकारियों को ऐसे परिसरों से, जहां कारबार या पेशा किया जाता है, वहां स्वत्वधारी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को, जो उस समय और स्थान पर किसी भी रीति में ऐसे कारबार या पेशे में उपस्थित हो या सहायता कर रहा हो या उसे चला रहा हो, प्राधिकृत रूप से कतिपय जानकारी प्रस्तुत करने का निदेश देकर जानकारी एकत्रित करने की शक्ति का उपबंध किया गया है।

2. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 466 में धारा 254 के उपबंध का अर्थात् सूचना एकत्रित करने की शक्ति का पालन करने में असफल रहने और प्राधिकृत आयकर प्राधिकारियों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न कराने पर शास्ति का उपबंध किया गया है। इस धारा में संयुक्त आयुक्त, उप निदेशक या सहायक निदेशक या निर्धारण अधिकारी को अधिकतम 1000/- रुपए की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है।

3. इस संबंध में, यह यह माना गया है कि शास्ति की अधिकतम रकम इतनी आनुपातिक होनी चाहिए कि पर्याप्त भयपरतिकारिता और स्वैच्छिक अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

4. इसे ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 466 का संशोधन का प्रस्ताव है जिससे शास्ति की विद्यमान अधिकतम रकम 1000/- रुपए में वृद्धि करके 25,000/- रुपए किया जा सके।

5. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों के लिए प्रभावी होगा।

[खंड 90]

कतिपय आय के संबंध में धारा 195 के अधीन कर की दर और धारा 443 के अधीन शास्ति संरचना का सुव्यवस्थीकरण

आयकर अधिनियम, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 195, धारा 102 या धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 या धारा 106 में निर्दिष्ट आय पर कर का उपबंध करती है। धारा 102 या धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 या धारा 106 अस्पष्ट प्रत्यय, अस्पष्ट विनिधान, अस्पष्ट आस्ति, अस्पष्ट व्यय और उधार ली गई या परक्राम्य लिखत द्वारा पुनः संदत्त, हुंडी आदि के कारण हुई आय का उपबंध करती है।

2. धारा 195(1) और उपबंध करती है कि निर्धारिती की सकल आय में धारा 102 या धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 या धारा 106 में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है तो ऐसी आय पर संगणित आयकर 60 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य होगा।

3. इसके अतिरिक्त, धारा 443 उपबंध करती है कि धारा 195(1)(i) के अधीन संदेय कर के 10 प्रतिशत तक की शास्ति होने पर, किसी निर्धारिती पर, यदि धारा 102 या धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 या धारा 106 किसी कर वर्ष के लिए आय में सम्मिलित होगी।

4. अधिनियम की धारा 195 से संबंधित धारा 102 और धारा 106 में निर्दिष्ट आय पर कर के संबंध में यह समझा जाएगा कि 60 प्रतिशत की कर की दर, जो वर्तमान में धारा 195 के अनुसार धारा 102 से धारा 106 में निर्दिष्ट आय पर प्रभाय है, आनुपातिक नहीं है और सुव्यवस्थीकरण की आवश्यकता है ।

5. इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तावित है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित शास्ति की दर, जो धारा 102 और धारा 106 में निर्दिष्ट आय की प्रकृति की होगी, धारा 439 के अधीन आय की गलत रिपोर्टिंग के लिए प्रभाय दर के सम मूल्य पर रखी जाएगी । तदनुसार, धारा 443 के अधीन शास्ति के उपबंध (धारा 102 और धारा 106 में निर्दिष्ट आय के लिए शास्ति) का लोप प्रस्तावित किया गया है और अधिनियम की धारा 439(11) के अधीन आय की गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप आय के कम होने की रिपोर्ट करने के मामले में सम्मिलित की गई ऐसी आय भी प्रस्तावित है ।

6. अतः, कर की दर में 60 प्रतिशत से तीस प्रतिशत तक कमी करने के लिए यह संशोधन प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त धारा 443 के अधीन शास्ति का लोप करने और अधिनियम की धारा 439(11) के अंतर्गत इस शास्ति को लाने का भी प्रस्ताव है ।

7. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होना प्रस्तावित है और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 46,84,86]

अधिनियम की धारा 440 के अधीन शास्ति या अभियोजन से उन्मुक्ति की परिधि का विस्तार

अधिनियम की धारा 440 अन्य बातों के साथ-साथ शास्ति या अभियोजन के अधिरोपण से निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्मुक्ति अनुदत्त करने की प्रक्रिया का उपबंध करती है, यदि निर्धारिती निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:-

(क) निर्धारण आदेश के अनुसार संदेय कर तथा ब्याज मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त किया गया है;

(ख) ऐसे निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल नहीं की गई है।

2. और , उपधारा(2) उपबंध करती है कि निर्धारिती उस मास के अंत से जिसके भीतर उक्त निर्धारण आदेश उसके द्वारा प्राप्त किया गया है, 1 मास के भीतर आवेदन फाईल करेगा। आगे और, उपधारा(3) उपबंध करती है कि उपर उल्लिखित शर्तों के पूर्ण होने के अधीन होते हुए तथा अपील फाईल करने की अवधि के अवसान के पश्चात् निर्धारण अधिकारी धारा 439 के अधीन शास्ति के अधिरोपण तथा धारा 478 या 479 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही आरंभ होने से उनमुक्ति अनुदत्त करेगा। और, उपधारा (4) उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी उस मास के अंत में जिसमें उनमुक्ति के अनुरोध का आवेदन प्राप्त हुआ था से 3 मास की अवधि के भीतर आवेदन स्वीकार करने या रद्द करने का आदेश पारित करेगा।

3. वर्तमान में धारा 440 के अधीन उन्मुक्ति केवल आय की कम होने की रिपोर्टिंग के मामलों में अनुदत्त की जा सकती है तथा गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप आय की कम होने की रिपोर्टिंग की दशा में नहीं।

4. इस संबंध में यह विचार किया गया है कि उन्मुक्ति का उपबंध ऐसे मामलों को भी विस्तारित किया जाना चाहिए जहां आय की कम होने की रिपोर्टिंग गलत रिपोर्टिंग होने के परिणामस्वरूप है। तथापि करदाता से शास्ति के लिए ऐसी आय पर कर संदाय की रकम के सौ प्रतिशत अतिरिक्त आयकर संदाय करना अपेक्षित है।
5. इसके अतिरिक्त निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित आय के लिए पृथक शास्ति (अधिनियम की धारा 443 के अधीन विद्यमान शास्ति है), जो आयकर अधिनियम 2025 की धारा 102 से 106 (अस्पष्ट प्रत्यय, अस्पष्ट विनिधान, अस्पष्ट आस्ति आदि) में निर्दिष्ट आय की प्रकृति में है। धारा 439(11) के अधीन आय की गलत रिपोर्टिंग की दशा में लोप किए जाने तथा अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है, इस प्रकार उसके लिए उन्मुक्ति का उपबंध धारा 440 में भी प्रस्तावित है ताकि अतिरिक्त कर अतिरिक्त कर के संदाय पर पूर्वतम प्रक्रम पर विवादों के समाधान के लिए करदाताओं को अवसर प्रदान किया जा सके तथा मुकदमें और अनुपालन का भार कम किया जा सके। तथापि करदाता से शास्ति के लिए ऐसी आय पर कर संदाय की रकम के एक सौ बीस प्रतिशत अतिरिक्त आयकर संदाय करना अपेक्षित है।
6. उसी की दृष्टि में अधिनियम की धारा 440 का संशोधन प्रस्तावित है ताकि ऐसे मामले में उन्मुक्ति की परिधि का विस्तार किया जा सके जहां गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप आय के कम होने की रिपोर्टिंग के लिए शास्ति आरंभ की गई है।
7. ये संसोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 85]

धारा 270 कक के अधीन शास्ति या अभियोजन के अधिरोपण से उन्मुक्ति की परिधि का विस्तार

अधिनियम की धारा 270कक अन्य बातों के साथ शास्ति या अभियोजन के अधिरोपण से निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्मुक्ति अनुदत्त करने की प्रक्रिया का उपबंध करती है , यदि निर्धारिती निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात:-

(क) निर्धारण आदेश के अनुसार संदेय कर तथा ब्याज, मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त किया गया है;

(ख) ऐसे निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल नहीं की गई है।

2. और , उपधारा(2) उपबंध करती है कि निर्धारिती उस मास के अंत से जिसके भीतर उक्त निर्धारण आदेश उसके द्वारा प्राप्त किया गया है, 1 मास के भीतर आवेदन फाईल करेगा। आगे और, उपधारा(3) उपबंध करती है कि उपर उल्लिखित शर्तों के पूर्ण होने के अधीन होते हुए तथा अपील फाईल करने की अवधि के अवसान के पश्चात् निर्धारण अधिकारी धारा 270क के अधीन शास्ति के अधिरोपण तथा धारा 276ग या 276गग के अधीन अभियोजन की कार्यवाही आरंभ होने से उन्मुक्ति अनुदत्त करेगा। और, उपधारा (4) उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी उस मास के अंत में जिसमें उन्मुक्ति के अनुरोध का आवेदन प्राप्त हुआ था से 3 मास की अवधि के भीतर आवेदन स्वीकार करने या रद्द करने का आदेश पारित करेगा।

3. वर्तमान में, धारा 270कक के अधीन उन्मुक्ति केवल आय की कम होने की रिपोर्टिंग के मामलों में अनुदत्त की जा सकती है तथा गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप आय की कम होने की रिपोर्टिंग की दशा में नहीं।

4. इस संबंध में यह विचार किया गया है कि उन्मुक्ति का उपबंध ऐसे मामलों को भी विस्तारित किया जाना चाहिए जहां आय की कम होने की रिपोर्टिंग गलत रिपोर्टिंग होने के परिणामस्वरूप है।

5. उसी की दृष्टि में अधिनियम की धारा 270कक का संशोधन प्रस्तावित है ताकि ऐसे मामले में उन्मुक्ति की परिधि का विस्तार किया जा सके, जहां गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप आय के कम होने की रिपोर्टिंग के लिए शास्ति आरंभ की गई है।

6. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 15]

घ. सहकारी

कतिपय सहकारी सोसाइटियों द्वारा प्राप्त और वितरित लाभांश के संबंध में कटौतियां

अधिनियम की धारा 149(2)(घ) के उपबंधों में ऐसी सहकारी सोसाइटी की ऐसी आय पर कटौती के लिए उपबंध किया गया है जो अन्य सहकारी सोसाइटी से ब्याज या लाभांश के रूप में प्राप्त होती है। यह कटौती केवल पुरानी कर प्रणाली पर व्यवस्था पर अनुज्ञात है। किसी कंपनी से सहकारी सोसाइटी द्वारा प्राप्त लाभांश पर कर सहकारी सोसाइटी पर ही लगाया जाता है।

नई कर व्यवस्था में सहकारी सोसाइटियों से अन्य सहकारी सोसाइटियों से प्राप्त लाभांश पर कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि ऐसा लाभांश उनके सदस्यों को वितरित किया गया हो।

यह भी प्रस्ताव है कि अधिसूचित संघीय सहकारी सोसाइटियों को कंपनियों से प्राप्त लाभांश पर 3 वर्षों तक अर्थात् कर वर्ष 2028-29 तक पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के अधीन कटौती की अनुज्ञा दी जाए। यह कटौती केवल उन लाभांशों पर अनुज्ञात किए जाने का प्रस्ताव है जो संघीय सहकारी सोसाइटी द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2026 तक किए गए विनिधानों से उद्भूत हुए हैं और जिन्हें वह अपने सदस्यों को वितरित करती हो।

यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यह कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 39,40,48 और 49]

धारा 149 के अधीन कटौती की परिधि को पशु आहार और कपास के बीजों की आनुषंगिक क्रियाकलापों को सम्मिलित करके विस्तारित करना

अधिनियम की धारा 149(2)(ख) के अधीन मौजूदा उपबंधों में दूध, तिलहन, फल या सब्जियां उगाने वाली प्राथमिक सहकारी सोसाइटी, जो अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित दूध, तिलहन, फल या सब्जियां किसी संघीय सहकारी सोसाइटी, जो इसी कारबार में लगी हो, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या निगम को आपूर्ति करती हो, उसके कारबार से होने वाले संपूर्ण लाभ और आय की कटौती की अनुज्ञा है। इन क्रियाकलापों से पशु आहार और कपास के बीज की आपूर्ति जैसे आनुषंगिक क्रियाकलाप भी जुड़े होते हैं। यह

प्रस्ताव है कि इन क्रियाकलापों से होने वाले कारबार के लाभ और आय को भी अधिनियम की धारा 149(2)(ख) के ढांचे के भीतर कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाए ।

यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यह कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 39]

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों का सहकारी सोसाइटी की परिभाषा में समावेशन

‘सहकारी सोसाइटी’ को एक ऐसी सहकारी सोसाइटी के रूप में परिभाषित किया गया है जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2012 के अधीन, या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अधिनियम की धारा 2(32) के विद्यमान उपबंधों के अधीन सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।

यह प्रस्ताव है कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों को, जो “बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002” के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, अधिनियम के अधीन सहकारी सोसाइटी की परिभाषा के भीतर सम्मिलित किया जाए ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 27]

ड. भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी सेक्टर का समर्थन

अग्रिम मूल्यांकन करारों को प्रभाविकता प्रदान करने से संबंधित आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 169 का संशोधन

धारा 168(1) के विद्यमान उपबंध केवल उसी व्यक्ति द्वारा आय की उपांतरित विवरणी फाइल करना अनुज्ञात करते हैं जो बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्यांकन करार में प्रविष्ट हुए हैं। उपबंध सहयुक्त उद्यम जिसकी आय तथा कर दायित्व एपीए के परिणामस्वरूप उपांतरित है द्वारा आय की विवरणी का उपांतरण या आय की विवरणी फाइल करने के लिए अनुज्ञात नहीं करते हैं। तथापि विद्यमान विधि में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो ऐसे सहयुक्त उद्यम (जो एपीए में प्रविष्ट करने वाला व्यक्ति नहीं है) को आय की विवरणी फाइल करने के लिए तथा इसके द्वारा संदत्त किसी अतिरिक्त कर का प्रतिदाय का दावा करने के लिए या इसकी आय में से कुछ रोकने के लिए समर्थ करता है।

2. पूर्वोक्त उपबंध का सुव्यवस्थीकरण करने के लिए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां अग्रिम मूल्यांकन करार ऐसे व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति या सहयुक्त उद्यम के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रविष्ट करने के परिणामस्वरूप आय उपांतरित की जाती है, यथास्थिति विवरणी या उपांतरित विवरणी करार के साथ या उस तक सीमित के अनुसरण में, 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले कर वर्ष या पश्चातवर्ती कर वर्षों के

संबंध में 1 अप्रैल, 2026 को या के पश्चात जहां ऐसा करार हुआ है, ऐसे करार द्वारा शामिल किए गए कर वर्षों के संबंध में वह मास जिसके अंत से 3 मास की अवधि के भीतर ऐसा करार प्रविष्ट हुआ था, प्रस्तुत कर सकेगी।

3. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 45]

(च) वैश्विक कारबार और विनिधान को आकृष्ट करना;

विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र से डाटा केंद्र सेवाएं उपभोग करने के द्वारा भारत में उद्भूत किसी आय पर विदेशी कंपनी को छूट

अधिनियम की अनुसूची 4 के साथ पठित धारा 11 का विद्यमान उपबंध पात्र आय विनिर्दिष्ट करता है। जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों को कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी।

2. डाटा केंद्र में विनिधान को आकर्षित करने के लिए तथा भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाटा केंद्र ढांचे का संवर्धन करने के लिए, अनुसूची 4 का संशोधन प्रस्तावित है ताकि इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए 31 मार्च, 2047 को समाप्त होने वाले कर वर्ष तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र से डाटा केंद्र सेवाएं उपाप्त करने के माध्यम द्वारा क्लाउड सेवाएं प्रदान करने से भारत में उद्भूत या प्रोद्भूत या भारत में उदभूत या प्रोद्भूत समझी गई किसी आय पर, विदेशी कंपनी को छूट उपबंध की जा सके।

3. छूट के लिए उनमें से एक शर्त है कि जहां भारत के उपयोगकर्ताओं को विदेशी कंपनी द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है वह भारतीय पुनःविक्रेता अस्तित्व द्वारा दी जाएगी।

4. उपरोक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित पदों को परिभाषित करना भी प्रस्तावित है, अर्थात:-

(क) "डाटा केंद्र" से भवन या केंद्रीयकृत अवस्थान के भीतर समर्पित संरक्षित क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण या डाटा की बड़ी रकम की सुगम्यता को अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए संगणना तथा नेटवर्क उपकरण संकेंद्रीत है;

(ख) "डाटा केंद्र सेवाएं" से भौतिक अवसंरचना जिसके अंतर्गत भूमि, भवन, पट्टा धारक, विद्युत, सर्वर, कंप्यूटर, नेटवर्किंग तथा अन्य उपकरण, केबल लैंडिंग स्टेशन, केबल, संपर्कता, सुरक्षा, मानव संसाधन और भारत में अन्य संसाधन आते हैं, के उपयोग के माध्यम से डाटा केंद्र द्वारा उपबंधित सेवाएं अभिप्रेत है;

(ग) "विनिर्दिष्ट डाटा केंद्र" से वह डाटा केंद्र अभिप्रेत हैं, जो --

(i) अनुमोदित स्कीम के अधीन स्थापित हैं तथा केंद्रीय सरकार में इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस निमित्त अधिसूचित हैं; और

(ii) भारतीय कंपनी द्वारा स्वामित्वधीन तथा प्रचालित है।

5. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 109]

महत्वपूर्ण खनिजों के पूर्वक्षण पर कटौती के रूप में व्यय अनुज्ञात करना

अधिनियम की धारा 51, अधिनियम की अनुसूची 12 के भाग क और भाग ख में उल्लिखित खनिजों के पूर्वक्षण, या निष्कर्षण या उत्पादन से संबंधित संक्रियाओं में लगी भारतीय कंपनी या आवासी करदाताओं (कंपनियों से भिन्न) द्वारा उपगत व्यय के कर कटौती के लिए उपबंध करती है। यह धारा वाणिज्यिक उत्पादन के पूर्ववर्ती वर्ष के तुरंत एक या अधिक किन्हीं चार वर्षों तथा वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष के दौरान किसी भी समय खोज से संबंधित प्रचालन पर पूर्णतः तथा अनन्य रूप से उपगत या विनिर्दिष्ट खनिजों के अन्य प्राकृतिक संपदा के या खान के विकास पर उपगत व्यय के संबंध में आस्थगित आधार पर (किसी विनिर्दिष्ट खनिज के वाणिज्यिक उत्पादन के वर्ष से दस वर्ष की अवधि तक) कटौती अनुज्ञात करती है।

2. महत्वपूर्ण खनिजों के पूर्वक्षण और खोज को प्रोत्साहित करने के लिए, अधिनियम की अनुसूची 12 में खनिजों की सूची का विस्तार करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे खनिजों के पूर्वक्षण और खोज पर किए गए व्यय भी अधिनियम की धारा 51 के उपबंध के अनुसार कटौती के पात्र हो जाए।

3. अधिनियम की अनुसूची 12 के संशोधन का प्रस्ताव है।

4. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 112]

सीमा शुल्क संरक्षित क्षेत्र में अवस्थित विनिर्माता को इलेक्ट्रॉनिक माल के लिए पूंजी उपकरण आदि प्रदान के कारण उद्भूत आय पर विदेशी कंपनी को छूट

आयकर अधिनियम की अनुसूची 4 के साथ पठित धारा 11 के विद्यमान उपबंध पात्र आय विनिर्दिष्ट करते हैं जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में शामिल नहीं होगी।

2. संविदा विनिर्माता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माल के विनिर्माण के संवर्धन के लिए तथा ऐसे विनिर्माता को विदेशी कंपनी द्वारा पूंजी उपकरण की आपूर्ति के करायान पर निश्चितता प्रदान करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि पूंजी माल, उपकरण या संविदा विनिर्माता की टूलिंग भारत में निवासी कंपनी के रूप में, जो सीमा शुल्क संरक्षित क्षेत्र में अवस्थित है (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में निर्दिष्ट भांडागार) तथा जो प्रतिफल के लिए ऐसी विदेशी कंपनी के निमित्त इलेक्ट्रॉनिक माल का उत्पादन करती है, को प्रदान किए जाने के कारण उद्भूत आय किसी आय पर कर वर्ष 2030-2031 तक की अवधि के लिए विदेशी कंपनी को छूट उपबंधित करने के लिए अनुसूची 4 का संशोधन किया जाए।

3. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 109]

ऐसे अनिवासियों के विनिर्दिष्ट कारबार का न्यूनतम आनुकल्पिक कर की प्रयोज्यता से अपवर्जन, जो उपधारणात्मक कर के अधीन आते हैं

वर्तमान उपबंधों के अधीन कुछ विदेशी कंपनियों को न्यूनतम आनुकल्पिक कर (मेट) की प्रयोज्यता से अपवर्जित किया गया है। कतिपय कारबार से व्युत्पन्न ऐसे अनिवासियों की आय जिन्होंने अधिनियम की धारा 61

के अधीन कराधान की उपधारणात्मक आय का विकल्प चुना है, को भी अपवर्जित किया गया है। तथापि, कतिपय अन्य कारबारों, जिन्होंने धारा 61 के अधीन उपधारणात्मक कराधान के लिए विकल्प चुना है, को इस प्रकार अपवर्जित नहीं किया गया है।

उपधारणात्मक कराधान का विकल्प का चयन करने वाले अनिवासियों के सभी विभिन्न विनिर्दिष्ट कारबारों के बीच एक समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि दो अन्य विनिर्दिष्ट कारबारों (कूज, समुद्री जहाजों के संचालन का कारबार और भारत में किसी निवासी कंपनी को इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए सेवाएं या प्रौद्योगिकी प्रदान करने का कारबार) को भी मेट की प्रयोज्यता से अपवर्जित किया जाएगा।

यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यह कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 50]

भारत में अधिसूचित स्कीम के अधीन सेवाएं देने के लिए अनिवासियों को छूट

अधिनियम की अनुसूची 4 के साथ पठित विद्यमान धारा 11 के उपबंध पात्र आय को विनिर्दिष्ट करते हैं जो पात्र अनिवासियों, विदेशी कंपनियों एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में शामिल नहीं होगी।

2. केंद्रीय सरकार की किसी अधिसूचित स्कीम के संबंध में कतिपय सेवाओं को देने के लिए भारत की यात्रा करने वाले अनिवासी व्यष्टिक को कर निश्चितता प्रदान करने के लिए, उक्त अनुसूची का संशोधन प्रस्तावित है ताकि व्यष्टिक अनिवासी के रूप में पहले कर वर्ष के दौरान जिसमें वह भारत की यात्रा पर आया था से प्रारंभ करते हुए लगातार 5 वर्षों के लिए किसी आय पर जो भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत हुई है तथा भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं मानी गई है, कर वर्ष जिसके दौरान वह सेवाएं देने के लिए भारत में आता है तुरंत पूर्ववर्ती कर वर्ष के दौरान 5 लगातार कर वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान की जा सके, यदि ऐसा व्यक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के संबंध में भारत में किसी सेवा देता है तथा ऐसी अन्य शर्तों को पूर्ण करता है जो विहित की जाए।

3. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 109]

आईएफएससी में यूनिटों के लिए और कर दरों के सुव्यवस्थिकरण के लिए कटौती की अवधि का विस्तारण

धारा 147 के उपबंध आईएफएससी और ओबीयू की यूनिटों की कतिपय आय पर 100 प्रतिशत कटौती के लिए उपबंध करती है। यह आईएफएससी में यूनिटों के लिए पंद्रह वर्षों में से दस लगातार वर्षों के लिए तथा ओबीयू के लिए दस लगातार वर्षों के लिए उपलब्ध है

2. आईएफएससी की प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए आईएफएससी में यूनिटों के लिए पच्चीस वर्षों में से बीस लगातार वर्षों के लिए तथा ओबीयू के लिए बीस लगातार वर्षों के लिए कटौती की अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्तावित है कि कटौती की अवधि के अवसान के पश्चात आईएफएससी से इन यूनिटों की कारबार आय पंद्रह प्रतिशत की दर पर कराधीन होगी।

3. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 38 और 51]

आईएफएससी में खजाना केंद्रों के लिए कतिपय निबंधनों का सुव्यवस्थिकरण

धारा 2 का विद्यमान खंड 40 अन्य बातों के साथ लाभांश की परिभाषा का उपबंध करती है। उपखंड (v) से खंड 40 का दीर्घशीर्षक उपबंध करता है कि लाभांश दो समूह अस्तित्वों के बीच किसी अग्रिम या ऋण को सम्मिलित नहीं होता है, जहां,-

(क) एक समूह अस्तित्व "वित्त कंपनी " या "वित्त यूनिट " है; और

(ख) ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या मुख्य अस्तित्व देश में या भारत से बाहर किसी अन्य देश के क्षेत्र में या इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट भारत के बाहर क्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है;

2. उक्त उपबंध को सुव्यवस्थित करने के लिए उपखंड (v) से खंड 40 का दीर्घशीर्षक अन्य बातों के साथ उपबंध करता है कि संव्यवहार की अन्य समूह अस्तित्व देश में या भारत के बाहर क्षेत्र में भी अवस्थित है जो अधिसूचित अधिकारिता होगी। इसके साथ ऐसे समूह का मूल अस्तित्व या मुख्य अस्तित्व भारत में या भारत के बाहर क्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है; और ऐसे प्रयोजनों के लिए देश या भारत से बाहर क्षेत्र राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

3. पूर्वोक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित निबंधनों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है-

(क) "समूह अस्तित्व " का वही अर्थ होगा जो उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण विनियमन, 2024 के विनियम 2 के उपविनियम 1 के खंड (ड) में) "समूह अस्तित्व " अभिव्यक्ति का है;

(ख) एक या अधिक अन्य समूह अस्तित्वों के संबंध में " मूल अस्तित्व या मुख्य अस्तित्व" एक अस्तित्व के रूप में हैं जिनके साथ अन्य समूह अस्तित्व समनुषंगी है या ऐसा अस्तित्व, -

(i) कुल मतदान शक्ति के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण स्वयं या उसके एक या अधिक समनुषंगी के साथ होगा ; या

(ii) बोर्ड के निदेशकों की संरचना का नियंत्रण।

4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा

[खंड 27]

छ. कॉर्पोरेट कर व्यवस्था का सुव्यवस्थिकरण

न्यूनतम आनुकल्पिक कर उपबंधों का सुव्यवस्थिकरण

आय-कर अधिनियम, 2025 (अधिनियम) की धारा 206 के अधीन विद्यमान उपबंधों में न्यूनतम आनुकल्पिक कर (मेट) का उपबंध किया गया है, जो कंपनियों पर लागू होता है । यह कर कंपनियों पर (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित इकाइयों को छोड़कर) निर्धारिती के बही लाभ पर 15 प्रतिशत की

दर से प्रभारित किया जाता है। यदि मेट सामान्य कर उपबंधों के अधीन संगणित की गई कंपनी की कुल आय पर संदेय आय-कर से उच्चतर है, तो निर्धारिती मेट का संदाय करता है।

2. जब कोई कंपनी नियमित कर से उच्चतर कर का संदाय करती है, तो अधिक संदत्त रकम को कर प्रत्यय के रूप में मंजूर किया जाता है। इस प्रत्यय को 15 वर्षों तक अग्रेषित किया जा सकता है और वहां भविष्य में उन वर्षों में मुजरा किया जा सकता है जहां कंपनी की नियमित कर देयता मेट देयता से अधिक हो। मेट व्यवस्था वर्तमान में केवल पुरानी कर व्यवस्था के लिए लागू है।

3. यह प्रस्ताव है कि मेट के उपबंधों के अधीन संदत्त किए गए कर को पुरानी व्यवस्था में अंतिम कर बनाया जाए और कोई नया मेट प्रत्यय अनुज्ञात न किया जाए। तथापि, मेट की कर दर को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर बही लाभ का 14 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू कंपनियों के लिए नई कर व्यवस्था में मेट प्रत्यय के मुजरे को केवल कर देयता के 25 प्रतिशत तक अनुज्ञात किया जा सकता है। विदेशी कंपनियों के मामले में, मुजरा उस कर वर्ष के लिए अनुज्ञात किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें सामान्य कर मेट से उच्चतर है और यह मुजरा कुल आय पर कर और न्यूनतम आनुकल्पिक कर के बीच अंतर तक ही सीमित होगा।

4. ये संशोधन कंपनियों को पुरानी कर व्यवस्था (कटौती और छूट सहित) से नई कर व्यवस्था में सुचारू संक्रमण के लिए अनुज्ञात करेंगे।

5. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है और तदनुसार, यह कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 50]

ज. अन्य प्रत्यक्ष कर उपबंधों का सुव्यवस्थिकरण

स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) दरों का सुव्यवस्थिकरण

अधिनियम की धारा 394(1) स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के लिए बहु दरों का उपबंध करती है। संभव विस्तार तक एक जैसी दरों का उपबंध करने के द्वारा स्रोत पर कर संग्रहण की दरों को सुव्यवस्थित करना प्रस्तावित है।

2. उक्त धारा की सारणी: क्रम सं. 1 उपबंध करती है कि मानव उपभोग के लिए मदिरा पेय के विक्रय पर टीसीएस 1% की दर पर संग्रहित किया जाता है। यह प्रस्तावित है कि दर 2% तक बढ़ाई जाएगी।

3. उक्त धारा की सारणी: क्रम सं. 2 अपेक्षा करती है तेंदु पत्तों के विक्रय पर टीसीएस 5% की दर पर संग्रहित किया जाता है। यह प्रस्तावित है कि दर 2% तक घटा दी जाएगी।

4. उक्त धारा की सारणी: क्रम सं. 4 स्क्रेप के विक्रय पर टीसीएस 1% की दर पर विक्रेता द्वारा स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा करती है।

5. उक्त धारा की सारणी: क्रम सं. 5 अपेक्षा करती है कि खनिज, कोयला, या लिग्नाइट या लोहा अयस्क के विक्रय पर टीसीएस 1% की दर पर संग्रहित किया जाता है। यह प्रस्तावित है कि दर 2% तक बढ़ा दी जाएगी।

6. उक्त उपधारा की सारणी: क्रम सं. 7 भारतीय रिजर्व बैंक उदारणीय प्रेषण स्कीम (एलआरएस) के अधीन प्रेषण पर स्रोत पर कर संग्रहण की अपेक्षा करता है। वर्तमान में टीसीएस 5% की दर पर संग्रहित होता है,

यदि प्रेषण शैक्षणिक या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए है तथा प्रेषण रकम दस लाख रुपये से अधिक है। टीसीएस की दर को 2% तक कम करने का प्रस्ताव है।

7. उक्त उपधारा की सारणी: क्रम सं. 8 विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज जिसके अंतर्गत यात्रा या होटल में ठहरने या जहाज पर चढ़ने या रहने या ऐसे उसी तरह के या संबंधित व्यय आते हैं, के विक्रय पर टीसीएस की दर 5% और 20% पर अपेक्षा करती है। स्रोत पर कर संग्रहण की दर 2% पर कम करना प्रस्तावित है। और यह प्रस्तावित है कि उपबंध की प्रयोज्यता के लिए आरंभिक सीमा को हटा दिया जाए तथा विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज के विक्रय पर टीसीएस रकम का विचार किए बिना 2% पर संग्रहित किया जाए।

8. इस प्रकार टीसीएस दरों का सुव्यवस्थिकरण निम्न प्रकार से प्रस्तावित है:-

| क्रम सं. | प्राप्ति की प्रकृति | चालू दर | प्रस्तावित दर |
|----------|---|---|---|
| 1. | मानव उपभोग के लिए मदिरा पेय का विक्रय | 1% | 2% |
| 2. | तेंदु पत्तों का विक्रय | 5% | 2% |
| 3. | स्क्रेप का विक्रय | 1% | 2% |
| 4. | खनिज, कोयला या लिग्नाइट या लोह अयस्क का विक्रय | 1% | 2% |
| 5. | दस लाख रुपये से अधिक किसी रकम या संकलित रकम की उदारणीय प्रेषण स्कीम के अधीन प्रेषण | (क) शैक्षणिक या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए 5% (ख) शैक्षणिक या चिकित्सा उपचार से भिन्न प्रयोजनों के लिए 20% | (क) शैक्षणिक या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए 2% (ख) शैक्षणिक या चिकित्सा उपचार से भिन्न प्रयोजनों के लिए 20% |
| 6. | “विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज” का विक्रय जिसके अंतर्गत यात्रा के लिए या होटल में ठहरने या बोर्डिंग के लिए व्यय या लॉजिंग या कोई ऐसे समान या संबंधित व्यय | (क) दस लाख रूपये तक रकम या संकलित रकम का 5% (ख) दस लाख रूपये से अधिक की रकम या संकलित रकम का 20% | 2% |

9. संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

[खंड 73]

धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए अधिकारिता से संबंधित स्पष्टता जहां धारा 148क के अधीन आय निर्धारण तथा पुनःनिर्धारण करने से बच गई है

आयकर अधिनियम, 1961(अधिनियम) धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारण करने के लिए दो चरण की कार्यवाही के लिए उपबंध करती है। पहला चरण धारा 148 के अधीन नोटिस से प्रक्रिया का उपबंध करता है जिसमें पुनःनिर्धारण को जारी किया जाता है। यह पहला चरण धारा 148 क अधीन नोटिस के साथ शुरू होता है जो निर्धारण अधिकारी को जांच-पड़ताल करने के लिए समर्थ करता है ताकि यह अवधारित किया जा सके कि

मामला धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए उचित है। धारा 148 के अधीन नोटिस के साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा 148क(घ)/148(3) के अधीन कारणबद्ध आदेश भी साथ होगा।

2. धारा 148 के अधीन नोटिस के साथ मामला धारा 144 ख के अनुसार पहचान विहिन रीति में निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय पहचान विहिन केंद्र को अंतरित हो जाता है। करदाता अधिकारियों की पहचान नहीं जानता है जो एनएफएसी में निर्धारण यूनिट के भाग हैं इस चरण पर करदाता के साथ सभी संसूचनाएं एनएफएसी द्वारा की जाती हैं। निर्धारण यूनिट को निर्धारण अधिकारी की शक्तियां धारा 144ख(3) द्वारा प्रदान की जाती हैं। जो उपबंध करती है कि निर्धारण यूनिट जहां कहीं भी उस धारा में उपयोग हुई है उस निर्धारण अधिकारी से संदर्भित है जिसे सीबीडीटी द्वारा शक्तियां दी गई है।

3. अधिनियम की पूर्वोक्त स्कीम से स्पष्ट है कि विधानमंडल ने निर्धारण तथा पुनःनिर्धारण प्रक्रिया के बीच स्पष्ट रेखा खींची है जिसका परिणाम धारा 148 के अधीन नोटिस जारी होना है। निर्धारण अधिकारी पुनःनिर्धारण जांच पूछताछ करता है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क्या यह पुनःनिर्धारण का उचित मामला है। यह संतुष्टि धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के द्वारा निर्धारिती को दी गई सूचना में दर्शित होती है। तत्पश्चात कार्यवाहियां एनएफएसी द्वारा पहचान विहिन रीति में की जाती है।

4. तदनुसार विधानमंडल का यह कभी भी आशय नहीं था कि धारा 148 क या धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए किसी रीति में पुनःनिर्धारण की जांच को एनएफएसी या एनएफएसी की निर्धारण यूनिट में अनिवार्य किया जाए। धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारण के लिए पहचान विहिन निर्धारण धारा 144ख के अधीन उपबंधित के विस्तार के लिए अपेक्षित थी। धारा 151क के अधीन विरचित स्कीम का आशयित उद्देश्य वही है जो आय से बचने की निर्धारण स्कीम का ई-निर्धारण, 2022 में है।

5. तथापि, विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इस मुद्दे पर अलग-अलग मत व्यक्त किये गए हैं जिनमें कुछ राजस्व विभाग के समर्थन में है और कुछ निर्धारिती के समर्थन में हैं। मामला अब माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इस संशोधन द्वारा निश्चितता और स्पष्टता प्राप्त करने और मुकदमें बाजी से बचने ईप्सा की गई।

6. आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हो रहा है। नयी विधि का उद्देश्य भाषा तथा उपबंधों में सरलीकरण प्रदान करना है ताकि निर्वचन के मुद्दों को दूर किया जा सके तथा न्यायिक मामलों से बचा जा सके। तत्पश्चात नये आयकर अधिनियम, 2025 में विधि की स्थिति स्पष्ट करने की अत्यावश्यकता है। विधानमंडल के आशय की भी आयकर अधिनियम, 1961 को स्पष्टता से अधिकथित करने की आवश्यकता है ताकि दोनों अधिनियमों में आशय एक साथ दर्शित हो।

7. तदनुसार आयकर अधिनियम, 1961 में स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि किसी निर्णय, आदेश या न्यायालय की डिक्री में अंतर्विष्ट किन्हीं बातों के होते हुए भी निर्धारण अधिकारी धारा 148 तथा 148क के प्रयोजनों के लिए उसका अर्थ तथा उसे हमेशा राष्ट्रीय पहचान विहिन निर्धारण केंद्र या उसकी किसी निर्धारण यूनिट से भिन्न निर्धारण अधिकारी के रूप में अर्थ समझा जाएगा। आयकर अधिनियम, 2025 में उपयुक्त संशोधन भी किये गए हैं ताकि सही निर्वचन किया जाए तथा अदालती मामलों में कमी लायी जाए और निश्चितता प्राप्त की जाए।

8. आयकर अधिनियम, 1961 में स्पष्टता 1 अप्रैल, 2021 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी। आयकर अधिनियम, 2025 में संशोधन 1 अप्रैल, 2026 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

[खंड 8, 62]

यदि किसी निर्धारण में कंप्यूटर द्वारा सृजित डीआईएन का संदर्भ दिया गया है, तो कंप्यूटर द्वारा निर्मित डीआईएन में हुई किसी गलती, त्रुटि या लोप के आधार पर निर्धारण अविधिमान्य नहीं होंगे

आय-कर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की धारा 292ख में उल्लिखित इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कोई आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही ऐसी आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही मात्र किसी गलती, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होगी या अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी यदि ऐसी आय की विवरणी, निर्धारण, सूचना समन या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के आशय और प्रयोजन से या के अनुसार सारतः या प्रभावतः अनुरूप हैं ।

2. तारीख 14 अगस्त, 2019 के सीबीडीटी के 2019 के परिपत्र 19 में अन्य के साथ-साथ निर्धारण आदेशों में कंप्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) का उल्लेख करने का उपबंध किया गया था । उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णय रहे हैं जिनमें निर्धारणों को निर्धारण आदेश को प्रत्येक पृष्ठ पर डीआईएन का उल्लेख न करने या आदेश पर डीआईएन का उल्लेख करने, जबकि डीआईएन विधिपूर्ण रूप से जनित किया गया था और उक्त आदेशों के साथ भेजी गई संसूचना में इसका उल्लेख किया गया था जैसे निराधार आधारों पर अविधिमान्य ठहराया गया है । इसके परिणामस्वरूप गलत निर्वचन हुआ है जहां निर्धारणों को बातिल कर दिया गया है, यद्यपि वे विधि की अपेक्षाओं के अनुरूप थे और धारा 292ख के उपबंधों द्वारा सम्यक् रूप से संरक्षित थे क्योंकि यह उन सभी निर्धारणों को बचाता है जो सारतः और प्रभावतः अधिनियम के आशय और प्रयोजन के अनुरूप हैं । इस कारण राजस्व को होने वाली हानि पूरी तरह से विधि के आशय के विरुद्ध है और इसने विधिपूर्ण प्रक्रिया और विधिपूर्ण निर्धारणों को न केवल गुणागुण के आधार पर अपितु गौण तकनीकी मुद्दों के आधार पर चुनौती देना अनुज्ञात किया जो धारा 292ख के फलस्वरूप पूरी तरह से विधि के संरक्षण में आते हैं ।

3. आय-कर अधिनियम, 2025 तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हो रहा है । नई विधि का उद्देश्य भाषा और उपबंधों में सरलता लाना है जिससे निर्वचन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके और मुकदमेबाजी को रोका जा सके । अतः, नए आय-कर अधिनियम, 2025 में विधि की स्थिति को स्पष्ट करने की अत्यंत आवश्यकता है । विधान के आशय को भी आय-कर अधिनियम, 1961 में स्पष्ट रूप से अधिकथित किए जाने की आवश्यकता है जिससे दोनों अधिनियमों में आशय एक समान रूप से परिलक्षित हो सके और इस मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा किए गए अनावश्यक निर्वचन स्पष्ट किया जा सके और उसका समाधान किया जा सके ।

4. तदनुसार, धारा 292ख में यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आय-कर अधिनियम, 1961 में किसी उपबंध के अनुसरण में किया गया कोई भी निर्धारण कंप्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्या का उल्लेख करने के संबंध में किसी गलती, त्रुटि या लोप के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा या अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसा निर्धारण आदेश का उल्लेख किसी रीति में ऐसे संख्यांक द्वारा किया गया है । इसी प्रकार का उपबंध आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 522 में किए जाने का प्रस्ताव है ।

5. आय-कर अधिनियम, 1961 में किया गया स्पष्टीकरण तारीख 1 अक्टूबर, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा । आय-कर अधिनियम, 2025 में संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा ।

[खंड 26,106]

धारा 144ग के अधीन निर्धारण को पूरा करने की समय-सीमा स्पष्ट करना

आय-कर अधिनियम की धारा 144ग में एक विशेष प्रक्रिया उपबंधित है जहां निर्धारण ऐसे मामलों में किया जाता है जहां पात्र निर्धारिती ऐसा व्यक्ति है जिसके मामले में अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के आदेश के

कारण फेरफार उद्भूत हुए हो या जहां ऐसा व्यक्ति अनिवासी हो। इस धारा के अनुसार, निर्धारण अधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह पात्र निर्धारिती को प्रस्तावित निर्धारण आदेश (प्रारूप आदेश) का एक प्रारूप प्रेषित करे।

2. पात्र निर्धारिती के पास दो विकल्प हैं। वह प्रारूप आदेश में प्रस्तावित फेरफार को स्वीकार कर सकता है या विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के समक्ष अभ्यापतियां फाइल कर सकता है। जहां प्रारूप आदेश में फेरफार स्वीकार कर लिए जाते हैं, वहां निर्धारण अधिकारी को प्रारूप आदेश के आधार पर निर्धारण पूरा करना होगा। इस स्थिति में, निर्धारण पूरा करने की अवधि धारा 144ग(4) में उपबंधित है, जो पात्र निर्धारिती से स्वीकृति प्राप्त होने वाले माह के अंत से एक माह या डीआरपी के समक्ष अभ्यापतियां फाइल करने की 30 दिनों अवधि समाप्त होने तक है। धारा 144ग(4) में स्पष्ट रूप से यह उपबंधित है कि धारा 153 या धारा 153ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माह के अंत से एक माह के समय-सीमा लागू होगी।

3. जहां पात्र निर्धारिती डीआरपी को अभ्यापति फाइल करता है वहां डीआरपी को धारा 144ग(12) के अनुसार निदेश पारित करने होते हैं और इन निदेशों को पारित करने की समय-सीमा उस माह के अंत से नौ माह है जिसमें पात्र निर्धारिती को प्रारूप आदेश प्रेषित किया जाता है। इस दशा में निर्धारण पूरा करने की अवधि धारा 144ग(13) द्वारा उपबंधित की गई है जो ऐसे निदेश प्राप्त होने वाले माह के अंत से है। धारा 144ग(13) में स्पष्ट रूप से यह उपबंधित है कि धारा 153 या धारा 153ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माह के अंत से एक माह के समय-सीमा लागू होगी।

4. धारा 153 में निर्धारण, पुनर्निर्धारण और पुनर्गणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा उपबंधित है। धारा 153ख में तलाशी के मामलों में निर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध किया गया है।

5. यथास्थिति, धारा 144ग और 153 या 153ख को पढ़ने मात्र से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि धारा 153 या धारा 153ख में निर्धारण के लिए समय-सीमा उपबंधित है किन्तु जहां निर्धारण धारा 144ग(3) या 144ग(13) के अधीन किया जाता है, वहां धारा 153 या धारा 153ख के उपबंधों के होते हुए भी धारा 144ग(4) या 144ग(13) के अनुसार उपलब्ध समय में लागू होगा।

6. न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में विधायिका के आशय के संबंध में अलग-अलग निर्वचन किए गए हैं। एक मत यह अपनाया गया है कि धारा 144ग की संपूर्ण प्रक्रिया को धारा 153 या 153ख की संपूर्ण समय-सीमा का समाधान करना होगा, यद्यपि धारा 144ग में स्पष्ट छूट दी गई है। इस मुद्दे पर न्यायालयों के निर्णय स्पष्ट रूप से विधान मंडल के आशय से अनुरूप नहीं है। पूर्वोक्त गलत निर्वचन के कारण, अनेक मामले न्यायालयों में लंबित हैं और ऐसे मामलों में काफी राजस्व फंसा हुआ है।

7. इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम, 2025 तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हो रहा है। नई विधि का उद्देश्य भाषा और उपबंधों स्पष्टता में सरलता लाना है जिससे निर्वचन संबंधी मुद्दों से बचा जा सके और मुकदमेबाजी को रोका जा सके। अतः, नए आय-कर अधिनियम, 2025 में विधि की स्थिति को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। विधान-मंडल के आशय को आय-कर अधिनियम, 1961 में स्पष्ट रूप से अधिकथित किए जाने की आवश्यकता है जिससे दोनों अधिनियमों में आशय समान रूप से परिलक्षित हो सके और इस मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा किए गए अनावश्यक निर्वचन को भी स्पष्ट किया जा सके और उनका समाधान किया जा सके।

8. तदनुसार, न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 153 और 153ख में यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि इन धाराओं में दी गई समय-सीमाएं प्रारूप आदेश के प्रक्रम को

शासित करती है और धारा 144ग में दी गई समय-सीमाएं, धारा 153 और धारा 153ख में उपबंधित समय-सीमा के होते हुए भी, निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए लागू होती हैं ।

9. आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 275 और धारा 276 में विधान-मंडल के आशय को स्पष्ट करने के लिए इसी प्रकार के संशोधन प्रस्तावित हैं ।

10. आय-कर अधिनियम, 1961 में धारा 153 के संबंध में स्पष्टीकरण तारीख 1 अप्रैल, 2009 से और धारा 153ख के संबंध में तारीख 1 अक्टूबर, 2009 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा । आय-कर अधिनियम, 2025 आय में संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होते हुए प्रवृत्त होंगे ।

[खंड 7,9,10,61,63]

अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के लिए 60 दिनों की संगणना की रीति को स्पष्ट करना

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92गक ऐसे मामलों के संबंध में है जहां निर्धारिती ने किसी पूर्ववर्ती वर्ष में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार किया है और निर्धारण अधिकारी (एओ) उक्त अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में धारा 92ग के अधीन आसन्निकट कीमत की संगणना को अंतरण मूल्यांकन अधिकारी (टीपीओ) को निर्देशित कर सकता है ।

2. धारा 92गक(3क) में यह उल्लिखित है कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह उस तारीख से 60 दिन पूर्व आदेश पारित करे जिस तारीख को यथास्थिति धारा 153 के अधीन परिसीमा की अवधि या धारा 153ख में यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना या नया निर्धारण करने की परिसीमा अवधि समाप्त होती है ।

3. धारा 92गक(3क) में निर्दिष्ट 60 दिनों की अवधि की संगणना कैसे की जानी चाहिए, इस संबंध में न्यायालयों में काफी मुकदमेबाजी हुई है । विधान-मंडल का आशय हमेशा से ही 60 दिनों की संगणना में परिसीमा की तारीख को सम्मिलित करना रहा है । तथापि, न्यायालयों ने अनेक निर्धारणों को यह अभिनिर्धारित करते हुए बातिल कर दिया गया है कि 60 दिनों की अवधि में परिसीमा की तारीख सम्मिलित नहीं है और इसलिए, यथास्थिति, धारा 153 या धारा 153ख के अनुसार अंतिम निर्धारण पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से 60 दिन शेष रहते हुए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विधिमान्य रूप से किए गए निर्धारण को न्यायालयों द्वारा निरस्त कर दिया गया है । यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा निर्वचन है जो विधायी आशय के अनुरूप नहीं है ।

4. आय-कर अधिनियम, 2025 तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हो रहा है । नई विधि का उद्देश्य भाषा और उपबंधों स्पष्टता में सरलता लाना है जिससे निर्वचन संबंधी मुद्दों से बचा जा सके और मुकदमेबाजी को रोका जा सके । अतः, नए आय-कर अधिनियम, 2025 में विधि की स्थिति को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है । विधान-मंडल के आशय को आय-कर अधिनियम, 1961 में स्पष्ट रूप से अधिकथित किए जाने की आवश्यकता है जिससे दोनों अधिनियमों में आशय समान रूप से परिलक्षित हो सके और इस मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा किए गए अनावश्यक निर्वचन को भी स्पष्ट किया जा सके और उनका समाधान किया जा सके ।

5. तदनुसार, न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 92गक में यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि 60 दिनों की अवधि संगणना कैसे की जानी चाहिए । आय-कर

अधिनियम, 2025 में भी उपयुक्त संशोधन किया जाता है जिससे सही निर्वचन अपनाया जा सके और मुकदमेबाजी को कम किया जा सके ।

6. आय-कर अधिनियम, 1961 में किया गया स्पष्टीकरण तारीख 1 जून, 2007 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा । आय-कर अधिनियम, 2025 में संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगा ।

[खंड 4,44]

अंतर्देशीय यान की टन भार कर स्कीम के विस्तारण को प्रभावी करने के लिए अध्याय 13-छ में संशोधन

अधिनियम का अध्याय 13-छ पोत परिवहन कंपनियों की आय से संबंधित विशेष उपबंधों के लिए उपबंध करता है। वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा उक्त अध्याय के अधीन टन भार कर स्कीम का फायदा अंतर्देशीय जल परिवहन के संवर्धन के लिए अंतर्देशीय यान अधिनियम, 2021 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय यान को विस्तारित किया गया था।

2. उक्त अध्याय के उपबंधों में कतिपय उपांतरण अंतर्देशीय यान अधिनियम, 2021 के साथ उन्हें संरक्षित करने के लिए अपेक्षित है तथा टन भार कर स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए तद्विनि बनाने के लिए तद्विनि बनाए गये नियमों को अंतर्देशीय यान के लिए विस्तारित किया जाता है।

3. उपरोक्त की दृष्टि में, निम्नलिखित संशोधन करना प्रस्तावित है:-

(I) अधिनियम की धारा 227 टनभार आय की संगणना से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (4) उपबंध करती है कि टनभार से अभिप्राय यथास्थिति पोत या अंतर्देशीय यान के टनभार से है, जो उक्त धारा की उपधारा (9) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में उपदर्शित किया गया है। स्पष्टता प्रदान करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (4)(क) में पद "प्रमाण पत्र" को "विधिमान्य प्रमाण पत्र" के साथ बदला जाना प्रस्तावित है।

(II) अधिनियम की धारा 227(9)(ख)(iii) उपबंध करती है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय यान की दशा में विधिमान्य प्रमाण पत्र अंतर्देशीय यान अधिनियम, 2021 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के रूप में परिभाषित हैं। तथापि, प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि अंतर्देशीय यान अधिनियम, 2021 के अधीन कोई पृथक टन भार प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है तथा अंतर्देशीय यान अधिनियम, 2021 के अधीन जारी "रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र" यान का शुद्ध टनभार का कथन करता है। तदनुसार पूर्वोक्त उपबंध में शब्द "प्रमाण पत्र" अंतर्देशीय यान अधिनियम, 2021 के अधीन "रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र" के साथ बदला जाना प्रस्तावित है।

(III) अधिनियम की धारा 228 सुसंगत पोत परिवहन आय तथा लाभ बही के अपवर्जन से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा 3(ख)(ii)(अ) उपबंध करती है कि यात्री पोत के फलक पर या तट पर क्रियाकलाप टनभार कंपनी के कोर क्रियाकलापों में शामिल होंगे। इसके कार्यक्षेत्र के अधीन अंतर्देशीय यान को लाने के लिए उक्त उपबंध का संशोधन प्रस्तावित है।

(IV) अधिनियम की धारा 232 टनभार स्कीम की प्रयोज्यता के लिए कतिपय शर्तों से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (12) उपबंध करती है कि टनभार कर कंपनी महानिदेशक पोत परिवहन द्वारा जारी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षु अधिकारियों के संबंध में न्यूनतम प्रशिक्षण की अपेक्षा का अनुपालन करेगी। उपधारा (12) का संशोधन प्रस्तावित है ताकि भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग

प्राधिकरण द्वारा जारी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय यानों की दशा में न्यूनतम प्रशिक्षण की अपेक्षा के संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों के संदर्भ का अंतःस्थापन किया जा सके।

(V) अधिनियम की धारा 232 की उपधारा (13) कथन करती है कि टन भार कर कंपनी को महानिदेशक पोत परिवहन द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति इस प्रभाव तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी कंपनी ने धारा 263 के अधीन आय की विवरणी के साथ सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन किया है। चूंकि वाणिज्य पोत परिवहन, 1958 तथा अंतर्देशीय यान अधिनियम, 2021 के अधीन यानों के लिए अभिहित प्राधिकारी भिन्न है, अंतर्देशीय यान के संबंध में अभिहित प्राधिकारी को निर्देश देने के लिए उक्त उपधारा का संशोधन प्रस्तावित है।

(VI) अधिनियम की धारा 232 की उपधारा (17) उपबंध करती है कि शुद्ध टनभार का औसत महानिदेशक पोत परिवहन के परामर्श से विहित रीति में संगणित किया जाएगा। अंतर्देशीय यानों की दशा में भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए संदर्भ जोड़ने हेतु उपधारा (17) का संशोधन प्रस्तावित है।

(VII) अध्याय 13-छ के संबंध में परिभाषाओं से संबंधित धारा 235 का "भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण" की परिभाषा का उपबंध करने हेतु संशोधन भी प्रस्तावित है।

4. संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 52,53,54,55]

क्रिप्टो-आस्ति के संव्यवहार पर विवरण प्रस्तुत न करने या विवरण में त्रुटिपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने के लिए शास्ति उपबंध

अधिनियम की धारा 509 क्रिप्टो-आस्ति के संव्यवहार पर सूचना प्रस्तुत करने की बाध्यता के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा के अनुसार विहित रिपोर्टिंग अस्तित्व की विवरण में क्रिप्टो आस्ति के संव्यवहार से संबंधित सूचना प्रस्तुत करना बाध्यता है।

2. अधिनियम की धारा 509 के उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी विवरण को प्रस्तुत न करने के लिए या ऐसे विवरण में त्रुटिपूर्ण सूचना सांझा करने के लिए भयोपराध पैदा करने के लिए शास्ति उपबंध का पुरःस्थापन प्रस्तावित है। विवरण को प्रस्तुत न करने के लिए 200 रूपये प्रतिदिन तथा त्रुटिपूर्ण विशिष्टियां प्रस्तुत करने के लिए और ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने में असफल रहने में 50,000 रूपये की शास्ति उदग्रहित करना प्रस्तावित है।

3. तदनुसार, अधिनियम की धारा 446 का संशोधन प्रस्तावित है ताकि विवरण को प्रस्तुत न करने के लिए तथा विवरण में त्रुटिपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने के लिए शास्ति उपबंधों का उपबंध किया जा सके।

4. संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

[खंड 87]

“वस्तु व्युत्पत्नी” की परिभाषा

अधिनियम की धारा 66(33) में “विनिर्दिष्ट व्युत्पन्न संव्यवहार” की परिभाषा के लिए उपबंध किया गया है। उक्त परिभाषा में “वस्तु व्युत्पत्नी” पद का प्रयोग किया गया है। “वस्तु व्युत्पत्नी” को आय-कर अधिनियम, 1961 में परिभाषित किया गया है, तथापि, इसे आय-कर अधिनियम, 2025 में परिभाषित नहीं किया गया है।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए, “वस्तु व्युत्पत्नी” की परिभाषा का उपबंध करने का प्रस्ताव है जैसा कि उक्त अधिनियम में उपबंधित किया गया है।
3. आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 66 में संशोधन का प्रस्ताव है।
4. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

[खंड 33]

“प्राधिकृत व्यक्ति” की परिभाषा

अधिनियम की धारा 402(27) में “संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” की परिभाषा के लिए उपबंध किया गया है। विदेशी विनिमय आस्ति के अंतरण के लिए अनिवासी को संदाय करने की दशा में, “प्राधिकृत व्यक्ति” संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होता है। “प्राधिकृत व्यक्ति” पद को आय-कर अधिनियम, 1961 में परिभाषित किया गया है, तथापि, यह आय-कर अधिनियम, 2025 में परिभाषित नहीं है।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए, “प्राधिकृत व्यक्ति” की परिभाषा का वैसा उपबंध करने का प्रस्ताव है जैसा कि उक्त अधिनियम में उपबंधित किया गया है।
3. आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 402(27) में संशोधन का प्रस्ताव है।
4. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

[खंड 78]

संदर्भित त्रुटि का सुधार

अधिनियम की धारा 99(1)(क)(i) में उपबंधित है कि व्यष्टि की आय में पति/पत्नी की आय सम्मिलित होगी जो वेतन, कमीशन आदि के रूप में उस समुत्थान से प्राप्त होती है जिसमें व्यक्ति का पर्याप्त हित होता है।

2. अधिनियम की धारा 99(1)(क)(ii) में उपबंधित है कि व्यष्टि की आय में पति/पत्नी को अंतरित आस्तियों से उद्भूत आय सम्मिलित होगी।
3. धारा 99(2) आस्ति का अंतरण होने पर व्यक्ति के हाथों में सम्मिलित होने वाली आय के अनुपात के संबंध में है। तथापि, धारा 99(2) में अनवधानता से धारा 99(1)(क)(ii) के बजाय धारा 99(1)(क)(i) का संदर्भ दिया गया है।
4. पूर्वोक्त संदर्भित त्रुटि को सुधारने के लिए, धारा 99(1)(क)(ii) का सही संदर्भ देकर धारा 99(2) को सुधारने का प्रस्ताव है।
5. आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 402(27) का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

6. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

[खंड 37]

संदर्भ त्रुटि का सुधार

धारा 393(1) [सारणी : क्रमांक सं. 3(i)], में स्थावर संपत्ति के विक्रय पर स्रोत पर कर की कटौती के लिए उपबंध किया गया है । उक्त धारा के टिप्पण 3 में उपबंधित है कि ऐसे मामलों में स्रोत पर कर की कटौती वहां नहीं की जानी चाहिए जहां विक्रय प्रतिफल स्टाम्प शुल्क मूल्य के पचास लाख रुपए के बराबर या उससे अधिक हो । टिप्पण 3 में गलती से [सारणी : क्रमांक सं. 3(i)] के बजाय [सारणी : क्रमांक सं. 3(iii)], (जो अनिवार्य अर्जन से संबंधित है) का संदर्भ दिया गया है ।

2. पूर्वोक्त संदर्भित त्रुटि को सुधारने के लिए, 393(1) [सारणी : क्रमांक सं. 3(i)], के टिप्पण 3 को अधिनियम का सही आशय संप्रेषित करने के लिए सुधारने का प्रस्ताव है ।

3. अधिनियम की धारा 393(1) [सारणी : क्रमांक सं. 3(i)] के टिप्पण 3 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

4. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा ।

[खंड 72]

ग्रह संपत्ति और स्थायी खाता संख्या से हुई आय से संबंधित उपबंधों में शुद्धि

1. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 21(5) में शुद्धि प्रस्तावित है ताकि आयकर अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों को संरक्षित किया जा सके जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यापार में स्टाक के रूप में धारित संपत्ति के वार्षिक मूल्य को उस वित्तीय वर्ष की सामप्ति से दो वर्ष तक शून्य के रूप में लिया जाए जिसमें सक्षम प्राधिकारी से निर्माण पूरा होने का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है।
2. अधिनियम की धारा 22 ग्रह संपत्ति से आय की दशा में कटौतियों का व्यवहार करती है और, धारा 22(2) उपबंध करती है कि स्वाधिभोग संपत्ति की दशा में कटौती की सकल रकम 2,00,000/- ₹. से अधिक नहीं होगी जहां संपत्ति उधार ली गई पूंजी के साथ अर्जित या निर्मित है। तथापि यह 2,00,000/- ₹. का इस उच्चतम सीमा में संपत्ति के अर्जन और निर्माण के लिए अवधिपूर्ण संदेय ब्याज की कटौती सम्मिलित नहीं है।
 - 2.1 यह उल्लेख करता जरूरी है कि अधिनियम की धारा 22 आयकर अधिनियम की धारा 24 के समरूप है। आयकर अधिनियम, 1961 में उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के लिए कटौती की सकल रकम पूर्व अवधि ब्याज संदेय में समावेशित थी।
 - 2.2 इस संबंध में अधिनियम की धारा 22(2) का संशोधन प्रस्तावित है ताकि उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के लिए कटौती की सकल रकम पूर्व अवधि ब्याज संदेय में समावेशित होगी।
3. धारा 262(10)(ग) उपबंध करती है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) कारबार या वृत्ति से संबंधित दस्तावेजों के प्रवर्गों के लिए नियम बना सकेगी जिनमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्कथित स्थायी खाता संख्या होगी। तथापि उक्त धारा 262(10)(ग) जो कारबार या वृत्ति से संबंधित नहीं होते हैं में स्थायी खाता संख्या को उत्कथित करने के लिए नियम बनाने की सीबीडीटी की शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं करती है।
 - 3.1 यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि अधिनियम की धारा 262(10)(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139क (5)(ग) के समरूप है जो उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति राजस्व के हित में बोर्ड द्वारा विहित ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी दस्तावेजों में ऐसी संख्या उत्कथित करेगा।

3.2 इस संबंध में धारा 262(10)(ग) का संशोधन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को ऐसे संव्यवहारों, जो कारबार या वृत्ति से संबंधित न हों, से संबंधित दस्तावेजों में स्थायी खाता संख्या को उल्कथित करने के लिए नियम बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु, प्रस्तावित है।

[खंड 29,30,56]

आयकर की कटौती या संग्रह करने के लिए उत्तरदायी आयकर प्राधिकारियों और व्यक्ति पर आबद्धकारी होने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत

अधिनियम की धारा 400(2) में उपबंधित है कि बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से टीडीएस/टीसीएस के उपबंधों को प्रभारित करने में उद्भूत होने वाली किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकता है और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 में तत्स्थानी उपबंधों में भी यह उपबंधित है कि ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत आय-कर की कटौती या संग्रह करने के लिए उत्तरदायी आय-कर प्राधिकारियों और व्यक्ति पर आबद्धकारी होंगे। तथापि, अधिनियम की धारा 400(2) में पूर्वोक्त खंड अंतर्विष्ट नहीं है जो मार्गदर्शक सिद्धांतों को आबद्धकारी बनाता हो।

3. आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के आशय के अनुरूप बनाने के लिए यह प्रस्तावित है कि टीडीएस/टीसीएस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी बनाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए जारी किए गए कोई मार्गदर्शक सिद्धांत आय-कर अधिनियम की कटौती या संग्रह करने के लिए उत्तरदायी आय-कर प्राधिकारियों और व्यक्ति पर आबद्धकारी होंगे।

4. अधिनियम की धारा 400(2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

5. यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

[खंड 77]

निरसन और व्यावृत्ति खंड को स्पष्ट करना जहां पूर्व में कटौती के रूप में अनुज्ञात रकम को बाद के वर्ष में आय के रूप में माना जाए।

अधिनियम की धारा 536(2)(ज) उपबंध करती है कि जहां कतिपय शर्तों की पूर्णता के अधीन रहते हुए निरसित आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कुल आय में कोई कटौती अनुज्ञात की गई है या कोई रकम शामिल नहीं की गई है, ऐसी शर्तों के उल्लंघन पर ऐसी रकम उस कर वर्ष की आय समझी जाएगी जिसमें उल्लंघन हुआ था।

2. तथापि, निरसित अधिनियम में कुछ उपबंध है जिनमें कटौती अनुज्ञात है या निरसित आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कुल आय में जो आय शामिल नहीं है, को आयकर अधिनियम, 2025 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार आय के रूप में शामिल किया जा सकेगा, जो कि किसी शर्त के उल्लंघन के बिना होगा। धारा 536(2)(ज) वर्तमान में इन मामलों को शामिल नहीं करती है।

3. इस प्रकार ऐसी स्थितियों को शामिल करने के लिए यह प्रस्तावित है कि जहां निरसित आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई राशि कटौती के रूप में अनुज्ञात है या कुल आय में शामिल नहीं की गई है, ऐसी शर्तों के उल्लंघन के बिना भी ऐसी राशि आयकर अधिनियम, 2025 के अधीन आय समझी जाएगी, यदि

यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन कुल आय में शामिल की जानी होती तो यह निरसित नहीं की जाती।

4. अधिनियम की धारा 536(2)(ज) का संशोधन प्रस्तावित है।

5. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 107]

विनिर्दिष्ट निधियों की परिभाषा में संशोधन :

अनुसूची 6 के क्रम सं. 1 से 4 के विद्यमान उपबंध किसी विनिर्दिष्ट निधि और उक्त अनुसूची के टिप्पण 1(छ) में परिभाषित "विनिर्दिष्ट निधि" को लागू होंगे।

स्पष्टता प्रदान करने के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(4घ) के अधीन उपबंधित परिभाषा को "विनिर्दिष्ट निधि" की परिभाषा के अनुरूप बनाने के लिए उक्त अनुसूची के टिप्पण 1(झ) का संशोधन प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होंगे।

[खंड 110]

गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) के विलय से संबंधित उपबंधों में संशोधन

धारा 352 (4) (सारणी : क्रमांक 8ख) के वर्तमान उपबंधों के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति किसी अन्य पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्था के साथ विलय होने की स्थिति में अर्जित आय पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि संस्था का उद्देश्य समान या मिलते जुलते उद्देश्यों वाला न हो। हालांकि, उक्त उपबंध उस स्थिति को सम्मिलित नहीं करता है जहां एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्था का विलय किसी अन्य पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्था के साथ हो, जिसका उद्देश्य समान या मिलते-जुलते उद्देश्यों वाला हो, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कग के अधीन उपबंध किया था।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के समान उपबंध प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा 354क को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जिसमें यह उपबंध होगा कि यदि पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन किसी अन्य पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन के साथ विलय हो जाता है तो धारा 352 के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि -

- (क) अन्य पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन के उद्देश्य समान या मिलते-जुलते हो; और
- (ख) उक्त विलय ऐसी शर्तों का पूरा करता है जो विहित की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के साथ विद्यमान उपबंधों को मौजूद उपबंधों को संरक्षित करने के लिए धारा 352 (4) के नीचे दी गई तालिका के क्रमांक 8 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि यह

उपबंध किया जा सके कि निर्दिष्ट व्यक्ति किसी अन्य संस्था के साथ विलय होने पर संचित आय पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

- (क) पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन के अलावा कोई अन्य संस्था;
- (ख) पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन जिसका उद्देश्य समान या मिलते जुलते हों, लेकिन उक्त विलय ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता है, जैसा कि विहित किया जा सकता है; या
- (ग) पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन जिसके समान या मिलते-जुलते उद्देश्य नहीं है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के कर वर्षों पर लागू होंगे ।

[खंड 69 और 70]

पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा किए गए उल्लंघनों से संबंधित उपबंधों में संशोधन

धारा 351 के वर्तमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ, पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा "निर्दिष्ट उल्लंघन" मानी जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख है, और इसमें सार्वजनिक हित के किसी अन्य उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों के कारण होने वाला उल्लंघन भी सम्मिलित है । ऐसा उल्लंघन धारा 353 के अधीन अन्य उल्लंघन में भी सम्मिलित है ।

धारा 351 के अधीन ऐसे उल्लंघन को "निर्दिष्ट उल्लंघन" के रूप में सम्मिलित करने से पंजीकरण रद्द हो सकता है, जो आयकर अधिनियम, 1961 का उद्देश्य नहीं था । इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 351 से ऐसे उल्लंघन के संदर्भ को हटाने का प्रस्ताव है ताकि इसे आयकर अधिनियम, 1961 के अनुरूप बनाया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के कर वर्षों पर लागू होंगे ।

[खंड 68]

रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता से कतिपरय निधियों को हटाने के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 332(1)(च) का संशोधन :

धारा 332, अन्य बातों के साथ , उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है जो रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त उपबंध अनुसूची 7 (तालिका: क्रं.स. 10) से (तालिका: क्रं.सं. 16) में निर्दिष्ट व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 10 के अधीन फायदे का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन स्वयं को रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं थी।

उक्त उपबंध का संरक्षण आयकर अधिनियम, 1961 से करने के लिए और अधिनियम, 2025 की धारा 332(1)(च) से पूर्वोक्त व्यक्तियों के संदर्भ को हटाए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि अधिनियम की धारा 332 के अधीन ऐसे व्यक्ति को स्वयं को रजिस्टर की आवश्यकता न हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 66]

गैर-फायदाप्रद संगठन (एनपीओ) द्वारा विलंबित विवरणी फाइल करने के लिए उपबंध करने हेतु आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 349 में संशोधन

विद्यमान धारा 349 में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-फायदाकृत संगठन द्वारा धारा 263(1)(ग) के अधीन अनुज्ञात समय सीमा के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उपबंध किया गया है।

रजिस्ट्रीकृत गैर-फायदाकृत संगठन द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार विलंबित विवरणी प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए धारा 349 के उपबंधों का उक्त धारा में धारा 263(4) के संदर्भ का उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा तदनुसार कर वर्ष 2026-27 और पश्चातवर्ती कर वर्षों को लागू होगा।

[खंड 67]

लाभांश आय के विरुद्ध कटौती के रूप में ब्याज की अननुज्ञता

आयकर अधिनियम, 2025 के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन कराधेय निष्क्रिय विनिधान प्राप्तियां लाभांश आय और पारस्परिक निधि की इकाइयों से मिलकर बनेगी। अधिनियम की धारा 93 ऐसी आय के विरुद्ध कतिपय कटौतियों को अनुमति प्रदान करने का उपबंध करती है ; अर्थात् ऐसी आय अर्जित करने के लिए उपगत व्यय ब्याज, सकल लाभांश या पारस्परिक निधियों की इकाइयों का बीस प्रतिशत के परिसीमन के अधधीन होगा।

लाभांश आय या पारस्परिक निधियों की इकाइयों की आय अर्जित करने के लिए उपगत व्यय पर किसी ब्याज के संबंध में कोई कटौती की अनुमति न होने का उपबंध करने के लिए धारा 93(2) का संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2025-26 से लागू होगा।

[खंड 36]

भविष्य निधि से संबंधित अनुसूची-11 का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की अनुसूची 11 में अंतर्विष्ट मान्यताप्राप्त भविष्यनिधियों से संबंधित उपबंध कतिपय वसीयत की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के ढांचे के साथ संरक्षण की आवश्यकता है। भविष्यनिधि के विकास और

अधिनियम की धारा 17(1)(ज) के अधीन भविष्यनिधि विनियमित रिजिम के क्रमिक विकास और पूर्ण मौद्रिक सीमा के उपक्रम को ध्यान में रखते हुए अभिभावी कर्मचारी भविष्यनिधि ढांचे के साथ आयकर द्वारा मान्यताप्राप्त शाली भविष्य निधियों के ढांचे के साथ सुव्यवस्थित और संरक्षित करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

2. अधिनियम की अनुसूची 11 के भाग अ के पैरा 4(ग) के उपबंध कर्मचारी अभिदायों के साथ समानता के संदर्भ और इससे अभिदायों की अनिवार्य वार्षिक प्रत्यय द्वारा कर्मचारी अभिदायों को निर्बंधित करते है । धारा 17(1)(ज) के अधीन विहित किए गए 7.5 लाख पर सकल कर्मचारी अभिदाय पर एकीकृत मौद्रिक परिसीमन के रूप में पैरा 4(ग) का लोप प्रस्तावित है ।

3. अनुसूची 11 के भाग (क) के पैरा 4(च) के उपबंध कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम से छूट के संदर्भ में भविष्य निधि की मान्यता के लिए पात्रता को शासित करते है । केवल आय कर अधिनियम के अधीन मान्यता के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त की जाने वाली निधियों के स्पष्टीकरण के लिए पैरा 4(च) का संशोधन प्रस्तावित है ।

4. अनुसूची 11 के भाग क के पैरा 5(4) के उपबंध 500रु. के आरंभिक वेतन या आकस्मिक बोनस संरचनाओं पर आधारित नियोजक कर्मचारी अभिदाय को विवेकानुसार शिथिल करने के लिए अनुज्ञा करते है । धारा 17(1)(ज) के अधीन विहित किए गए 7.5 लाख पर सकल कर्मचारी अभिदाय पर एकीकृत मौद्रिक परिसीमन के रूप में पैरा 4(ग) का लोप प्रस्तावित है ।

5. अनुसूची 11 के भाग अ के पैरा 6(क) के उपबंध में आय नियोजक द्वारा वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक अभिदाय को कर्मचारी की आय के रूप में समझा जाएगा । यह प्रतिशत आधारित निर्बंधन को धारा 17(1)(ज) के अधीन विहित एकीकृत मौद्रिक परिसीमन के साथ अतिव्यापी करता है जिसका परिणाम समानांतर परिसीमा है । इस प्रकार, पैरा 6(क) का लोप प्रस्तावित है ।

6. अनुसूची 11 के भाग (ग) के पैरा 1(घ) के उपबंध उन कर्मचारियों के लिए भेददर्शी सीमाएं विहित करते है जो नियोजक कंपनी के शेयर धारक भी है । ऐसा भेद ईपीएफ अधिनियम या ईपीएफ स्कीम के अधीन मान्यताप्राप्त नहीं है तथा धारा 17(1)(ज) के अधीन विहित एकीकृत मौद्रिक परिसीमन के साथ अतिव्यापी नहीं होता है । तदनुसार भाग ग के पैरा 1(घ) का लोप प्रस्तावित है ।

7. अनुसूची 11 के भाग इ के पैरा 1(ड) के उपबंध सरकारी प्रतिभूतियों में पारस्परिक निधि धन के विनिधान को पचास प्रतिशत तक निर्बंधित करते है । यह परिसीमन श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विहित चालू विनिधान संनियमों के साथ असंगत है, जो उच्चतर अभिदर्शन की अनुज्ञा देता है । अन्वय कानूनी ऊपरी सीमा को हटाने के लिए पैरा 1(ड) का संशोधन प्रस्तावित है जबकि ईपीएफ ढांचे के अधीन अधीनस्थ विधान के माध्यम से विनियामक अन्वेक्षा को रखा जा रहा है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे तथा कर वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 111]

संप्रभु स्वर्णबंधपत्र के लिए छूट

अधिनियम की धारा 70(1)(भ) के उपबंध संप्रभु स्वर्णबंधपत्र स्कीम, 2015 के अधीन भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी संप्रभु स्वर्णबंधपत्रों के मोचन से उद्भूत आय के संबंध में पूंजी अभिलाभ कर से छूट का उपबंध

करती है। संप्रभु स्वर्णबंधपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित बहु श्रृंखलाओं के माध्यम से अनावर्ती आधार पर जारी किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक पृथक रूप से जारी किए गए हैं।

2. ऐसे सभी जारीकरण को प्रदान की गई छूट की एकीकृत प्रयोज्यता को सुनिश्चित करने के लिए तथा इसके आशयित विस्तार को उपबंध के साथ संरक्षित करने के लिए धारा 70(1)(भ) का संशोधन प्रस्तावित है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि छूट केवल वही उपलब्ध होगी जहां संप्रभु स्वर्णबंधपत्र किसी व्यक्ति द्वारा मूल रूप से जारी करने के समय प्रतिश्रुत हुए हैं तथा जिन्हें समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संप्रभु स्वर्णबंधपत्र के लिए बंधपत्रों की परिपक्वता पर मोचन तक लगातार धारित किया गया है।

3. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे तथा कर वर्ष 2026-27 तथा पश्चातवर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 35]

प्रतिभूति संव्यवहार कर दरों में वृद्धि

प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा मान्यताप्राप्त बाजार अवसंरचना के माध्यम से क्रियान्वित विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में संव्यवहार पर कर के दक्ष संग्रहण के लिए एक प्रणाली के रूप में पुरःस्थापित किया गया था। एसटीटी ढांचे के अधीन यथा लागू संग्रहण तथा जमा करने की बाध्यता मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, साम्य-उन्मुख स्कीम के संबंध में पारस्परिक निधि, बीमा कंपनियां या उत्कृष्ट वाणिज्यिक बैंकर पर है। समय के साथ एसटीटी प्रतिभूति बाजार पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न घटक बन गया है तथा पारदर्शी, विनिमय-व्यापारी संव्यवहारों के संवर्धन की नीति के उद्देश्य का समर्थन करती है।

2. बाजार संरचना और व्यापारिक व्यवहार में बदलाव को ध्यान में रखते हुए एसटीटी की दरों में समय समय पर संशोधन किया जाता रहा है। व्युत्पन्न बाजार के व्यापक विस्तार और गहराई को देखते हुए, विकल्प और भविष्य के लेनदेन पर लागू एसटीटी की दरों में समय समय पर संशोधन करना उचित समझा जाता है।

3. प्रतिभूतियों में विकल्प की बिक्री पर एसटीटी की दर को विकल्प प्रीमियम के 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने और प्रतिभूतियों में भविष्य की बिक्री पर कारोबार मूल्य के 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

4. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और पुनरीक्षित दरें उस तारीख को या उसके बाद किए गए प्रतिभूतियों में विकल्पों और भविष्य के लेने देन पर लागू होंगी।

[खंड 143]

शेयरों की बायबैक पर कराधान

आयकर अधिनियम, 2025 के मौजूदा प्रावधानों के अधीन किसी कंपनी द्वारा शेयरों की बायबैक पर शेयरधारक द्वारा प्राप्त प्रतिफल को अधिनियम की धारा 2(40)(च) के अधीन लाभांश आय माना जाता है और

तदनुसार कर लगाया जाता है, जबकि बायबैक पर समाप्त किए गए शेयरों की अधिग्रहण लागत को धारा 69 के अधीन पूंजीगत हानि के रूप में अलग से मान्यता दी जाती है ।

2. शेयर बायबैक पर कराधान को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है, जिसके अधीन बायबैक पर प्राप्त प्रतिफल को लाभांश आय के रूप में मानने के बजाय पूंजीगत लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य बनाया जाएगा । इसके अलावा, कार्पोरेट निर्णय लेने में विशेष रूप से बायबैक से संबंधित मामलों में, प्रवर्तकों की विशिष्ट स्थिति और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इन लेनदेन के संबंध में यह प्रस्तावित है कि प्रवर्तकों के मामले में बायबैक से होने वाले लाभ पर कुल कर देयता तीस प्रतिशत होगी, जिसमें लागू दरों पर देय कर और एक अतिरिक्त कर सम्मिलित होगा । प्रवर्तक कंपनियों के मामले में कुल कर देयता 22 प्रतिशत होगी ।

3. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 को प्रभावी होंगे और कर वर्ष 2026-27 और पश्चावर्ती कर वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 27 और 34]

बैंकिंग का कारबार करने में लगी किसी सहकारी सोसायटी को प्रत्यय या संदत्त ब्याज आय के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती न करना(जिसके अतर्गत सहकारी भूमि बंधक बैंक हैं)

अधिनियम की धारा 393(4) उन शर्तों का उपबंध करती है जहां अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित नहीं है।

2. अधिनियम के उपबंधों को आयकर अधिनियम के साथ संरेखित करने के लिए, धारा 393(4)[सारणी: क्रम सं.7, स्तंभ इ(क) (i)] का संशोधन प्रस्तावित है ताकि यह उपबंध किया जा सके ताकि बैंकिंग कारबार(जिसके अतर्गत सहकारी भूमि बंधक बैंक हैं) करने में लगी किसी सहकारी सोसायटी को प्रत्यय या संदत्त ब्याज आय(प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

3. संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

[खंड 72]

वित्त विधेयक, 2026 का स्पष्टीकरण ज्ञापन

सीमाशुल्क

टिप्पणी:

- क. "मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)" क अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्ग्रहीत सीमा शुल्क है ।
- ख. "कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) " का अर्थ सीमा शुल्क का एक शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 124 के तहत लगाया जाता है।
- ग. "समाज कल्याण अधिभार (एसडब्लूएस)" का अर्थ सीमा शुल्क का एक शुल्क है जो वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 110 के तहत लगाया जाता है ।
- घ. वर्ग कोष्ठक में खंड संख्या [] वित्त विधेयक, 2026 के प्रासंगिक खंड को इंगित करती है
- ड. वित्त विधेयक, 2026 के माध्यम से किए गए संशोधन, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

I. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

| क्र.सं. | संशोधन | वित्त विधेयक, 2026 का खंड |
|---|--|---------------------------|
| यह परिवर्तन वित्त विधेयक, 2026 के अधिनियमित होने की तारीख से लागू होंगे। | | |
| 1. | सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) में संशोधन किया जा रहा है ताकि मछली पकड़ने और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए भारत के राज्य-क्षेत्रीय सागर खंड से परे भी अधिकारिता लागू हो। | [129] |
| 2. | धारा 2 में "भारतीय ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाज" पद की परिभाषा के लिए एक नई उपधारा डाली जा रही है। | [130] |
| 3. | धारा 28 की उप-धारा (6) में संशोधन किया जा रहा है ताकि जहां उस उप-धारा के तहत अवधारण किए जाने पर उचित अधिकारी की यह राय कि शुल्क का ब्याज और शास्ति सहित पूर्णतः संदाय कर दिया गया है, | [131] |

| | | |
|----|---|-------|
| | तो उप-धारा (5) के तहत इस प्रकार संदाय किया गया शास्ति भी शुल्क असंदाय के लिए प्रभार समझा जाएगी । | |
| 4. | <p>धारा 28J की उप-धारा (2) को संशोधित किया जा रहा है कि उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय पांच वर्ष की अवधि के लिए, या विधि अथवा तथ्य, जिसके आधार पर विनिर्णय लिया गया था, में कोई बदलाव होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा ।</p> <p>उक्त उपधारा के परंतुक को भी यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि वित्त विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख को लागू किसी विद्यमान विनिर्णय के संबंध में, आवेदक द्वारा वैधता के विस्तार के लिए अनुरोध करने की दशा में, प्राधिकरण विनिर्णय की वैधता को विनिर्णय की तारीख से पांच वर्ष के लिए विस्तारित करेगा।</p> | [132] |
| 5. | <p>मत्स्य पालन और मत्स्य पालन से संबंधित क्रियाकलापों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए धारा 56 के पश्चात्, एक नई धारा 56क का अंतःस्थापन किया जा रहा है । इसमें भारतीय झंडे द्वारा चिन्हित मत्स्य जलयान द्वारा भारत के प्रादेशिक समुद्र से पार पकड़ी गई मछलियों के शुल्क मुक्त आयात, ऐसी रीति में किए जाने का भी उपबंध किया है, जैसा कि नियम द्वारा उपबंधित है । इसी प्रकार, यह भी उपबंध करता है कि भारतीय झंडे द्वारा चिन्हित मत्स्य जलयान द्वारा भारत के प्रादेशिक समुद्र से पार पकड़ी गई मछलियों को यदि किसी विदेशी पत्तन में नियमों द्वारा यथा उपबंधित रीति में उतारा जाता है तो वह निर्यात के रूप में समझी जाएंगी । इसमें किसी भारतीय झंडे द्वारा चिन्हित मत्स्य जलयान द्वारा पकड़ी गई मछलियों के संबंध में कोई प्रविष्टि करने का प्ररूप और रीति उपबंधित करने के लिए विनियम बनाने का भी उपबंध किया गया है ।</p> | [133] |
| 6. | <p>सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 67 में “उचित अधिकार की अनुज्ञा से” शब्दों का लोप किया जा रहा है जिससे सीमा शुल्क अधिकारी से बंधित भांडागार के बीच से माल हटाने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है ।</p> | [134] |

| | | |
|----|---|-------|
| 7. | सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 84 के खंड (ख) में "परीक्षा" शब्द की जगह "परीक्षा, अभिरक्षा," शब्दों को अंतःस्थापन किया जा रहा है। यह संशोधन बोर्ड को इस धारा के अधीन विरचित विनियमों के अधीन आयातित या निर्यातित किए जाने वाले माल की अभिरक्षा के लिए उपबंध करने में सक्षम बनाता है। | [135] |
|----|---|-------|

II. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन

(क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में निम्नानुसार परिवर्तन करने का प्रस्ताव है—

| क. | टैरिफ दर में वृद्धि (02.02.2026 से प्रभावी होगी)* [वित्त विधेयक, 2026 का खंड 136(a)] | | मूल सीमा शुल्क की दर | |
|--|--|---|----------------------|---|
| | * अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 के तहत घोषणा के माध्यम से तुरंत प्रभाव से लागू होगा | | | |
| क्र.सं. | शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद | वस्तु | से | तक |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र | | | | |
| 1. | 6601 91 00, 6601 99 00 | छाते (गार्डन अम्ब्रेला को छोड़कर) | 20% | 20% या 60 रुपये प्रति पीस, जो भी ज्यादा हो |
| 2. | 6603 20 00, 6603 90 10, 6603 90 90 | शीर्ष 6601 से 6602 के अंतर्गत आने वाले वस्तुओं के हिस्से , अलंकरण तथा सहायक उपकरण | 10% | 10% या 25 रुपये प्रति किलो, जो भी ज्यादा हो |
| ख. | टैरिफ दर में कमी (01.04.2026 से प्रभावी) [वित्त विधेयक, 2026 की धारा 136(b)] | | मूल सीमा शुल्क की दर | |
| 1. | 9804 | व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित शुल्कयोग्य वस्तुएँ | 20% | 10% |
| ग. | टैरिफ दरों में परिवर्तन (प्रभावी शुल्क की दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना) [01.05.2026 से प्रभावी] *[वित्त विधेयक, 2026 | | शुल्क की दर | |

| <p>की धारा 136(c)]</p> <p>*टिप्पणी:</p> <p>1. इन वस्तुओं पर वर्तमान में लागू मूल सीमा शुल्क की दर उनके संबंधित छूट/रियायती अधिसूचना(ओं) के माध्यम से प्रभावी है। दिनांक 1 मई, 2026 से ऐसे संबंधित प्रविष्टियों को संबंधित अधिसूचना(ओं) से विलोपित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके पश्चात ये प्रावधान नीचे वर्णित तरीके से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के माध्यम से लागू होंगे। यह सीमा शुल्क टैरिफ संरचना के सरलीकरण हेतु किया गया एक उपाय है तथा इन वस्तुओं पर प्रभावी मूल सीमा शुल्क की दर (और लागू उपकर) अपरिवर्तित रहेगी।</p> <p>2. स्तंभ (2) में उल्लिखित शीर्षक तथा उप-शीर्षक में उस शीर्षक या उप-शीर्षक के अंतर्गत आने वाले सभी टैरिफ मद सम्मिलित माने जाएंगे।</p> <p>3. उक्त परिवर्तनों को सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) तथा कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) की दरों में किए गए परिणामी संशोधनों के साथ पढ़ा जाना है।</p> | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----|-------|
| क्र.सं. | शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद | वस्तु | से | तक |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 0207 25 00, 0207 27 00 | टर्की का मांस और खाद्य ओफल, फ्रोज़न | 30% | 5% |
| 2. | 0306 36 60 | अर्टेमिआ | 5% | शून्य |
| 3. | 0511 91 40 | अर्टेमिआ सिस्ट्स | 5% | शून्य |

| | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|----------------------------|
| 4. | 0802 11 00 | बादाम (खोल सहित) | Rs.42 प्रति किलोग्राम | Rs.35 प्रति किलोग्राम |
| 5. | 0802 12 00 | बादाम (खोल निकाला हुआ) | Rs.120 प्रति किलोग्राम | Rs. 100 प्रति किलोग्राम |
| 6. | 0802 31 00 | अखरोट, छिलके सहित | 120% | 100% |
| 7. | 1209 (उपशीर्षक 1209 91 और 1209 99 के अंतर्गत आने वाले माल के छोड़कर) | बीज, फल और बीजाणु, जिनका उपयोग बोनो के लिए किया जाता है | 30% | 15% |
| 8. | 1505 | ऊन की चिकनाई और उससे प्राप्त फैटी पदार्थ (जिसमें लैनोलिन शामिल है) | 30% | 15% |
| 9. | 2008 19 21, 2008 19 22, 2008 19 29, 2008 19 91 | मखाना, अन्य भुने हुए मेवे और बीज | 150% | 30% |
| 10. | 2008 19 92 | अन्य मेवे, अन्यथा तैयार या संरक्षित | 150% | 30% |
| 11. | 2309 90 31 | प्रॉन और श्रिम्प्स फ़ीड | 15% | 5% |
| 12. | 2504 | प्राकृतिक ग्रेफाइट | 5% | 2.5% |
| 13. | 2505 | सभी प्रकार की प्राकृतिक रेत, चाहे रंगीन हो या नहीं, मेटल वाली रेत को छोड़कर | 5% | शून्य |
| 14. | 2506 | क्वार्ट्ज (प्राकृतिक रेत के अतिरिक्त); क्वार्ट्जाइट, चाहे वह मोटे तौर पर तराशी गई हो या केवल आरी अथवा अन्य किसी विधि से काटकर | 5% | 2.5% |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|------|-----------------|
| | | आयताकार (वर्गाकार सहित) आकार के ब्लॉक या स्लैब में बनाई गई हो | | |
| 15. | 2530 90 91 | स्ट्रॉटियम सल्फेट (प्राकृतिक अयस्क) | 5% | शून्य |
| 16. | 2701, 2702, 2703 | कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट, ओवॉयड तथा इसी प्रकार के ठोस ईंधन; लिग्नाइट, चाहे संकुचित किया गया हो या नहीं, जेट को छोड़कर; पीट (पीट लिटर सहित), चाहे संकुचित किया गया हो या नहीं | 5% | 2.5% |
| 17. | 2709 00 10 | कच्चा पेट्रोलियम | 5% | 1 रुपए प्रति टन |
| 18. | 2804 50 20 | टेल्यूरियम | 5% | शून्य |
| 19. | 2804 61 00 | सिलिकॉन, जिसमें वजन के हिसाब से 99.99% से कम सिलिकॉन न हो | 5% | शून्य |
| 20. | 2804 69 00 | अन्य सिलिकॉन | 5% | शून्य |
| 21. | 2804 90 00 | सेलेनियम | 5% | शून्य |
| 22. | 2805 30 00 | दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ, स्कैन्डियम और यट्रियम, चाहे मिश्रित या इंटर- एल्युयड हों या न हों | 5% | शून्य |
| 23. | 2809 20 10 | फॉस्फोरिक एसिड | 7.5% | 5% |
| 24. | 2811 22 00 | सिलिकॉन डाइऑक्साइड | 7.5% | 2.5% |

| | | | | |
|-----|------------|---|------|-------|
| 25. | 2816 40 00 | स्ट्रॉंटियम या बेरियम के ऑक्साइड, हाइड्रॉक्साइड और पेरोक्साइड | 7.5% | शून्य |
| 26. | 2822 00 10 | कोबाल्ट ऑक्साइड | 7.5% | शून्य |
| 27. | 2822 00 20 | कोबाल्ट हाइड्रॉक्साइड | 7.5% | शून्य |
| 28. | 2822 00 30 | वाणिज्यिक कोबाल्ट ऑक्साइड | 7.5% | शून्य |
| 29. | 2825 20 00 | लिथियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड | 7.5% | शून्य |
| 30. | 2825 30 | वैनेडियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड | 7.5% | शून्य |
| 31. | 2825 60 10 | जर्मोनियम ऑक्साइड | 7.5% | शून्य |
| 32. | 2825 70 | मोलिब्डेनम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड | 7.5% | शून्य |
| 33. | 2825 80 00 | एंटीमनी ऑक्साइड | 7.5% | शून्य |
| 34. | 2825 90 20 | कैडमियम ऑक्साइड | 7.5% | शून्य |
| 35. | 2827 35 00 | निकल के क्लोराइड | 7.5% | शून्य |
| 36. | 2827 39 30 | स्ट्रॉंटियम क्लोराइड | 7.5% | शून्य |
| 37. | 2833 24 00 | निकल के सल्फेट | 7.5% | शून्य |
| 38. | 2834 21 00 | पोटेशियम के नाइट्रेट | 7.5% | शून्य |
| 39. | 2836 91 00 | लिथियम कार्बोनेट | 7.5% | शून्य |
| 40. | 2836 92 00 | स्ट्रॉंटियम कार्बोनेट | 7.5% | शून्य |
| 41. | 2910 20 00 | मेथिलॉक्सिरेन (प्रोपलीन ऑक्साइड) | 5% | 2.5% |

| | | | | |
|-----|------------|---|------|-------|
| 42. | 2918 15 30 | बिस्मथ साइट्रेट | 7.5% | शून्य |
| 43. | 3102 30 00 | अमोनियम नाइट्रेट, चाहे जलीय घोल में हो या नहीं | 10% | 5% |
| 44. | 3801 | कृत्रिम ग्रेफाइट, कोलॉइडल या अर्ध-कोलॉइडल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट या अन्य कार्बन आधारित तैयारियाँ पेस्ट, ब्लॉक, प्लेट या अन्य अर्ध-निर्मित रूप में | 7.5% | 2.5% |
| 45. | 3808 93 30 | गिबबेरेलिक एसिड | 10% | 5% |
| 46. | 3904 | विनाइल क्लोराइड या अन्य हैलोजेनेटेड ओलेफिन के पॉलिमर, प्राथमिक रूपों में | 10% | 7.5% |
| 47. | 4906 | आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, टोपोग्राफिकल या इसी तरह के कामों के लिए प्लान और ड्रॉइंग, जो हाथ से बनाए गए ओरिजिनल हों; हाथ से लिखे टेक्स्ट; सेंसिटिव पेपर पर फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन और ऊपर बताई गई चीज़ों की कार्बन कॉपी | 10% | शून्य |
| 48. | 5201 00 25 | 32.0 मीमी से अधिक स्टेपल लंबाई वाला अन्य कपास | 5% | शून्य |
| 49. | 7202 60 00 | फेरो-निकल | 2.5% | शून्य |
| 50. | 7402 00 10 | ब्लिस्टर तांबा | 5% | शून्य |

| 51. | 7802 | सीसा अपशिष्ट और स्क्रेप | 5% | शून्य |
|------------------------------------|--|---|--|-------------|
| 52. | 7902 | जिंक अपशिष्ट और स्क्रेप | 5% | शून्य |
| 53. | 8105 20 30 | कोबाल्ट पाउडर | 5% | शून्य |
| 54. | 8419 89 12, 8419 89 13, 8419 89 14, 8419 89 15, 8419 89 16, 8419 89 17, 8419 89 19 | रिएक्टर, कॉलम या टावर अथवा रासायनिक भंडारण टैंक | 10% | 7.5% |
| नई टैरिफ लाइनें बनाई गई हैं | | | | |
| क्र.सं. | अधिसूचना में उल्लिखित अध्याय/शीर्षक/उप- शीर्षक/टैरिफ मद | वस्तु | 01.05.2026 से प्रभावी नया टैरिफ मद सृजित किया जा रहा है | शुल्क की दर |
| 55. | 0306 19 00 | फ्रोजन क्रिल | 0306 19 10 | 15% |
| 56. | 0802 99 00 | पेकान नट्स | 0802 99 10 | 30% |
| 57. | 0810 40 00 | क्रैनबेरी, ताज़ा | 0810 40 10 | 10% |
| 58. | 0810 40 00 | ब्लूबेरी, ताज़ा | 0810 40 20 | 10% |
| 59. | 0811 90 | क्रैनबेरी, फ्रोजन; | 0811 90 11 0811 90 91 | 10% |
| 60. | 0811 90 | ब्लूबेरी, फ्रोजन | 0811 90 12 0811 90 92 | 10% |
| 61. | 0813 40 90 | क्रैनबेरी, सूखे | 0813 40 30 | 10% |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|------|
| 62. | 0813 40 90 | ब्लूबेरी, सूखे | 0813 40 40 | 10% |
| 63. | 1207 99 90 | शिया नट्स | 1207 99 50 | 15% |
| 64. | 2008 93 00 | क्रैनबेरी, अन्यथा तैयार या संरक्षित, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा करने वाला पदार्थ या स्पिरिट हो या न हो, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है | 2008 93 10 | 5% |
| 65. | 2008 99 | ब्लूबेरी, चाहे किसी भी तरह से तैयार या संरक्षित की गई हों, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा करने वाला पदार्थ या स्पिरिट हो या न हो, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं। | 2008 99 15 | 10% |
| 66. | 2106 90 | पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रकार की यौगिक अल्कोहलयुक्त तैयारियों को छोड़कर, जिनकी आयतन के अनुसार अल्कोहल की मात्रा 0.5% से अधिक हो, जिसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्धारित किया गया हो | 2106 90 (टैरिफ मद 2106 90 51 के अलावा) | 50% |
| 67. | 2202 99 | क्रैनबेरी उत्पाद | 2202 99 21, 2202 99 31, 2202 99 91 | 10% |
| 68. | 2529 22 00 | एसिड ग्रेड फ्लोरोस्फार जिसमें वजन के हिसाब से 97% से ज़्यादा कैल्शियम | 2529 22 10 | 2.5% |

| | | | | |
|-----|---|---|---|-------|
| | | फ्लोराइड हो | | |
| 69. | 2615 90 | हैफनियम अयस्क और सांद्रण | 2615 10 10 | शून्य |
| 70. | 2841 | अमोनियम मेटावनाडेट | 2841 90 10 | 2.5% |
| 71. | 29 | गिबेरेलिक एसिड | 2932 20 40 | 5% |
| 72. | 29 | ट्राइएथाइल ऑर्थोफॉर्मेट | 2915 90 96 | 5% |
| 73. | 29 | डायएथाइल मालोनेट | 2917 19 22 | 5% |
| 74. | 29 | डीएल-2 एमीनोब्यूटेनॉल | 2922 19 30 | 5% |
| 75. | 29 | एसीटो ब्यूटायरोलैक्टोन | 2932 20 50 | 5% |
| 76. | 29 | आर्टीमिसिनिन | 2932 99 30 | 5% |
| 77. | 29 | थाइमिडाइन | 2934 99 50 | 5% |
| 78. | 3302 10 | खाद्य या पेय उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले खुशबूदार पदार्थों के मिश्रण, जिनमें पेय पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड अल्कोहलिक पदार्थ शामिल नहीं हैं, जिनकी अल्कोहलिक मात्रा 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.5% वॉल्यूम से ज्यादा हो | 3302 10 19, 3302 10 99 | 10% |
| 79. | 4104 11 00, 4104 19 00, 4105 10 00, 4106 21 00, 4106 31 00, | वेट ब्लू चमड़ा (खाल और त्वचा) | 4104 11 10, 4104 19 10, 4105 10 10, 4106 21 10, 4106 31 10, | शून्य |

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|---------------------------|------|
| | 4106 91 00 | | 4106 91 10 | |
| 80. | 4702 | रेयॉन ग्रेड वुड पल्प | 4702 00 10 | 2.5% |
| 81. | 4823 90 90 | पतंगों के अलावा अन्य सभी सामान <i>(पतंगों नए टैरिफ मद 4823 90 40 के अंतर्गत आती हैं)</i> | 4823 90 90 | 10% |
| 82. | 8101 99 90 | टंगस्टन (वोल्फ्राम) बार और रॉड, जो सिर्फ सिंट्रिंग से प्राप्त नहीं होते हैं, प्रोफाइल, प्लेट, शीट, स्ट्रिप और फ़ॉइल | 8101 99 20 | 5% |
| 83. | 8415 90 00 | सभी वस्तुएँ, स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशनर की इनडोर या आउटडोर यूनिट को छोड़कर | 8415 90 90 | 10% |
| 84. | 8421 99 00 | सभी वस्तुएँ, घरेलू प्रकार के फिल्टर के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस मेंब्रेन एलिमेंट को छोड़कर | 8421 99 90 | 7.5% |
| 85. | 8507 90 | बैटरी सेपरेटर | 8507 90 20 | 5% |
| 86. | 8529 10 99, 8529 90 90 | सिर्फ या मुख्य रूप से हेडिंग 8525, 8526 या 8527 के उपकरणों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त हिस्से | 8529 10 93, 8529 90 30 | 10% |
| 87. | 8609 00 00 | रेफ्रिजरेटेड कंटेनर | 8609 00 10 | 5% |

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में नए टैरिफ मदों के सृजन हेतु भी संशोधन किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादों की बेहतर पहचान में सहायता करेगा; प्रीकर्सर रसायनों के वास्तविक लेन-देन से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने तथा उनकी प्रभावी निगरानी में सहायक होगा; तथा पादप-आधारित अर्क उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने, उनका

अनुवर्तन करने और नीति संबंधी उपायों का निर्धारण करने में सहायक होगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ये परिवर्तन 1 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।

III. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

(क) सामान संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने और हवाई अड्डों पर यात्रियों से संबंधित चिंताओं को दूर करने तथा व्याख्या संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए सामान नियम, 2016 को सामान नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है; सामान की अनावश्यक रोक से बचने के लिए आयातित या आयातित वस्तुओं के अस्थायी परिवहन में स्पष्टता प्रदान करना तथा भारतीय निवासियों और विदेशी पेशेवरों के लिए निवास हस्तांतरण लाभों को ठहरने की अवधि के आधार पर पुनर्गठित करना। ये परिवर्तन 02.02.2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी होंगे।

(ख) आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान मौजूदा 15 दिनों के बजाय मासिक किया जा रहा है और 'पात्र आयातकों' का एक नया वर्ग बनाया जा रहा है। यह आयात शुल्क के आस्थगित भुगतान संबंधी मौजूदा नियम, 2016 में संशोधन करके किया जा रहा है।

IV. अधिसूचनाओं में मूल सीमा शुल्क दरों में बदलाव से जुड़े अन्य प्रस्ताव

| मूल सीमा शुल्क में परिवर्तन (02.02.2026 से प्रभावी) | | | शुल्क की दर | |
|---|-------------------------------|--|-------------|-------|
| क्रमांक | शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद | वस्तु | से | तक |
| 1. | 2612 20 00 | मोनेजाइट [अधिसूचना संख्या 45/2025- सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की तालिका I में क्रमांक 84A के सम्मिलन के अनुसार] | 2.5% | शून्य |
| 2. | 2841 90 00 | सोडियम एंटीमोनेट जिसका उपयोग सोलर ग्लास के निर्माण में किया जाता है। [अधिसूचना संख्या 45/2025- सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की तालिका I में क्रमांक 110A के सम्मिलन के | 7.5% | शून्य |

| | | | | |
|----|---|--|--------------|-------|
| | | <i>अनुसार]</i> | | |
| 3. | 2815 20 00 | पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड <i>[अधिसूचना संख्या 36/2024- सीमा शुल्क, दिनांक 23.07.2024 की क्रमांक 21 के विलोपन के अनुसार]</i> | शून्य | 7.5% |
| 4. | 8401 30 00 | परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सभी वस्तुएँ <i>[अधिसूचना संख्या 45/2025- सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की तालिका 1 में क्रमांक 227A के सम्मिलन के अनुसार]</i> | 7.5% | शून्य |
| 5. | 8401 40 00 | परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए - नियंत्रण और सुरक्षा अवशोषक रॉड, और जलने योग्य अवशोषक रॉड <i>[अधिसूचना संख्या 45/2025- सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की तालिका 1 में क्रमांक 227B के सम्मिलन के अनुसार]</i> | 7.5% | शून्य |
| 6. | 8501 10 20, 8504 31 00, 8516 80 00, 8516 90 00 | माइक्रोवेव ओवन, जो टैरिफ आइटम 8516 50 00 के अंतर्गत आता है, के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट वस्तुएँ <i>[अधिसूचना संख्या 45/2025- सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की तालिका 1 में क्रमांक 278A के सम्मिलन के अनुसार]</i> | जैसा लागू हो | शून्य |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है।

V. सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में प्रस्तावित अन्य परिवर्तन:

1. अधिसूचना संख्या 25/2002, दिनांक 1 मार्च, 2002 के क्रमांक 69A को संशोधित किया जा रहा है, ताकि बैटरी के निर्माण में उपयोग हेतु लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) छूट को स्थिर ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों, अर्थात् बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS), तक विस्तारित किया जा सके। यह परिवर्तन 2 फरवरी, 2026 से प्रभावी किया जा रहा है।
2. अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क , दिनांक 24.10.2025 की तालिका I में क्रमांक 334A को सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आयातित, विमान या उसके घटकों अथवा भागों (इंजनों सहित) के रख-रखाव, मरम्मत अथवा ओवरहालिंग हेतु विमान के भागों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) छूट प्रदान की जा सके, बशर्ते कि आयातक शुल्क की रियायती दर पर या विशेष अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात, 2022 (आईजीसीआर नियम, 2022) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे तथा रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं अधिकारी से अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे। यह परिवर्तन 2 फरवरी, 2026 से प्रभावी किया जा रहा है।
3. अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की तालिका I में क्रमांक 335A को सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि विमान तथा उसके भागों के निर्माण के लिए विमानों के घटकों या भागों (इंजनों सहित) पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) छूट प्रदान की जा सके, बशर्ते कि आयातक शुल्क की रियायती दर पर या विशेष अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात, 2022 (आईजीसीआर नियम, 2022) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे। यह परिवर्तन 2 फरवरी, 2026 से प्रभावी किया जा रहा है।
4. अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका II में क्रमांक 66 के तहत दी गई छूट, जो उन वस्तुओं पर लागू होती है जो विशिष्ट परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव या उससे उच्च पद के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, को 30 सितंबर, 2027 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2035 किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस छूट के दायरे में आने वाले अनुबंधों की पात्रता सभी ऐसे अनुबंधों तक बढ़ाई जा रही है जो संबंधित कस्टम हाउस में 30 सितंबर, 2035 तक पंजीकृत हों। यह परिवर्तन 2 फरवरी, 2026 से प्रभावी किया जा रहा है।
5. अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की तालिका I से संलग्न सूची 3 को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से छूट प्रदान करने हेतु 17 नई दवाओं/औषधियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। यह परिवर्तन 2 फरवरी, 2026 से प्रभावी किया जा रहा है।
6. अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की तालिका I से संलग्न सूची 22 को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (एनपीआरडी), 2021 का हिस्सा रहे 7 दुर्लभ रोगों को शामिल करने

हेतु संशोधित किया गया है, ताकि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली दवाओं, औषधियों तथा विशेष चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए खाद्य पदार्थों पर सीमा शुल्क छूट प्रदान की जा सके। यह परिवर्तन 2 फरवरी, 2026 से प्रभावी किया जा रहा है।

7. अधिसूचना संख्या 36/2024-सीमा शुल्क , दिनांक 23.07.2024, 55 समूहों के महत्वपूर्ण खनिजों को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) तथा सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट प्रदान करने हेतु जारी की गई थी। सरलीकरण हेतु , इस अधिसूचना की 29 प्रविष्टियाँ 01.05.2026 से प्रभावी रूप से हटाई जा रही हैं, क्योंकि प्रभावी दरों को स्वयं टैरिफ में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 22 अप्रासंगिक प्रविष्टियों को 2 फरवरी, 2026 से इस अधिसूचना से विलोपित किया जा रहा है। साथ ही, निम्नलिखित तीन प्रविष्टियों को 2 फरवरी, 2026 से प्रभावी रूप से अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क , दिनांक 24.10.2025 में समाहित किया जा रहा है। अधिसूचना संख्या 36/2024-सीमा शुल्क को 1 मई, 2026 से निरस्त किए जाने का प्रस्ताव है।

| क्रमांक | 36/2024- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण |
|---------|--------------------------------------|---|
| 1. | 38 | बेरिलियम और रेनियम के ऑक्सोमेटैलिक या पेरोक्सोमेटैलिक एसिड के लवण [अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 में क्रमांक 110B के सम्मिलन के माध्यम से] |
| 2. | 39 | दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के अकार्बनिक या कार्बनिक यौगिक [अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 में क्रमांक 111A के सम्मिलन के माध्यम से] |
| 3. | 55 | अप्रसंस्कृत; अपशिष्ट और स्क्रेप; पाउडर, निम्नलिखित के— (i) गैलियम (ii) जर्मेनियम (iii) इंडियम (iv) नायोबियम (v) वैनाडियम [अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 में क्रमांक 226A के सम्मिलन के माध्यम से] |

टिप्पणी: प्रभावी मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की दरें यथावत रहेंगी।

VI. सीमा शुल्क रियायतों/छूट की समीक्षा:

क. अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क , दिनांक 24.10.2025 में निर्धारित मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की छूट/रियायती दरों की समीक्षा:

अधिसूचना 45/2025-सीमा शुल्क , दिनांक 24.10.2025 में निहित 124 शर्तीय छूट/रियायती शुल्क दर प्रविष्टियों, जिनकी वैधता 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो रही है, के संबंध में एक व्यापक समीक्षा की गई है। समीक्षा के पश्चात, 102 प्रविष्टियों को संशोधन सहित या बिना संशोधन के दो वर्षों के लिए, अर्थात् 31 मार्च, 2028 तक जारी रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 22 प्रविष्टियों को 31 मार्च, 2026 की अंतिम तिथि पर समाप्त होने दिया जा रहा है।

(क) संशोधन सहित या बिना संशोधन के बढ़ाई जा रही छूट/रियायती दरों का विवरण:

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---|--------------------------------------|--|--------------|
| अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका I में | | | |
| 1. | 5 | बत्तखों का मांस और खाद्य ओफल, फ्रोज़न | 31.03.2028 |
| 2. | 14 | रोपण सामग्री, अर्थात् तिलहन, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों के बीज, फूलों के कंद और बल्ब, फूलों के पौधों की कलम या रोप, फलों के बीज या पौधे और दालों के बीज | 31.03.2028 |
| 3. | 58 | अक्वैटिक फ़ीड के निर्माण के लिए ऐल्गल ऑइल | 31.03.2028 |
| 4. | 61 | होम्योपैथिक दवा के निर्माण में उपयोग के लिए लैक्टोज़ | 31.03.2028 |
| 5. | 69 | समुद्री भोजन प्रसंस्करण के लिए निर्दिष्ट वस्तुएँ | 31.03.2028 |
| 6. | 84 | सोने के निर्माण में उपयोग के लिए सोने के अयस्क और सांद्र | 31.03.2028 |
| 7. | 85 | जहाजों या जलयानों में उपयोग के लिए निर्दिष्ट बंकर ईंधन | 31.03.2028 |
| 8. | 98 | डीटीए को 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाले पावर प्लांटों द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा, और जिन्हें 19 जुलाई, 2012 से पहले एसईजेड में स्थापना | 31.03.2028 |

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---------|--------------------------------------|---|--------------|
| | | हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त हो | |
| 9. | 99 | डीटीए को 1000 मेगावाट से कम क्षमता वाले पावर प्लांटों द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा, और जिन्हें 19 जुलाई, 2012 से पहले एसईजेड में स्थापना हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त हो | 31.03.2028 |
| 10. | 111 | रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में उपयोग के लिए चिकित्सा उपयोग फिशन मोलिब्डेनम-99 (मो-99) | 31.03.2028 |
| 11. | 112 | फार्मास्यूटिकल रेफ्रन्स स्टैन्डर्ड | 31.03.2028 |
| 12. | 114 | एलिसा किट के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट वस्तुएं | 31.03.2028 |
| 13. | 119 | एंथ्राक्विनोन या 2-एथिल एंथ्राक्विनोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में उपयोग के लिए | 31.03.2028 |
| 14. | 134 | शीट या बैकशीट के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट सामान, जिनका उपयोग सोलर फोटोवोल्टिक सेल या मॉड्यूल के निर्माण में किया जाता है <i>[प्रविष्टि में संशोधन किया गया है]</i> | 31.03.2028 |
| 15. | 138 | ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (बीएलडीसी) मोटर्स के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट वस्तुएँ | 31.03.2028 |
| 16. | 140 | टैग, लेबल, स्टिकर, बेल्ट, आदि <i>बोना फायेड</i> निर्यातकों द्वारा आयातित | 31.03.2028 |
| 17. | 141 | हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण में उपयोग के लिए <i>बोना फायेड</i> निर्यातकों द्वारा आयातित निर्दिष्ट वस्तुएं, निर्यात हेतु | 31.03.2028 |
| 18. | 142 | <i>बोना फायेड</i> निर्यातकों द्वारा आयातित निर्दिष्ट वस्तुएं कपड़ा या चमड़े के कपड़ों के निर्माण में उपयोग के लिए, निर्यात हेतु | 31.03.2028 |
| 19. | 143 | <i>बोना फायेड</i> निर्यातकों द्वारा आयातित निर्दिष्ट वस्तुएं चमड़े या सिंथेटिक जूते, या चमड़े के अन्य उत्पादों के निर्माण में उपयोग के लिए, निर्यात हेतु <i>[प्रविष्टि में संशोधन किया गया है]</i> | 31.03.2028 |

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---------|--------------------------------------|--|--------------|
| 20. | 144 | आर्थोपेडिक प्रत्यारोपणों, या शरीर के अन्य कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए निर्दिष्ट वस्तुएं | 31.03.2028 |
| 21. | 146 | कैपेसिटर ग्रेड पॉलीप्रोपाइलीन ग्रैन्यूल या रेजिन, कैपेसिटर ग्रेड प्लास्टिक फिल्म के निर्माण के लिए | 31.03.2028 |
| 22. | 148 | सुपर अवशोषक पॉलिमर जिसे ऐडल्ट डायपर और शीर्षक 9619 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान के निर्माण में उपयोग के लिए आयात किया जाता है | 31.03.2028 |
| 23. | 150 | पॉलीटेट्रामेटिलीन ईथर ग्लाइकॉल, (पीटी एमईजी) स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण के उपयोग के लिए | 31.03.2028 |
| 24. | 155 | विमानों में उपयोग किए जाने वाले रबर के नए या रीट्रेडेड न्यूमैटिक टायर | 31.03.2028 |
| 25. | 156 | विमानों में उपयोग किए जाने वाले रबर के नए या रीट्रेडेड न्यूमैटिक टायर | 31.03.2028 |
| 26. | 160 | अखबारी कागज, कागज, पेपरबोर्ड और वयस्क डायपर के निर्माण के लिए लकड़ी का गूदा या अन्य रेशेदार सेल्युलॉसिक सामग्री। | 31.03.2028 |
| 27. | 162 | कागज या पेपरबोर्ड तथा अखबारी कागज के निर्माण में उपयोग के लिए आयातित सभी वस्तुएं | 31.03.2028 |
| 28. | 163 | समाचार पत्रों के मुद्रण में प्रयुक्त निर्दिष्ट वस्तुएँ | 31.03.2028 |
| 29. | 164 | हल्के लेपित कागज, जिसका वजन 70 ग्राम/मी ² तक है, जिसे वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए आयात किया जाता है | 31.03.2028 |
| 30. | 173 | खिलौनों के निर्माण के लिए पाइल फबरिक्स | 31.03.2028 |
| 31. | 174 | इलेक्ट्रॉनिक घटकों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भागों के निर्माण के लिए मोल्ड्स), उपकरण और डाई | 31.03.2028 |
| 32. | 175 | सिलिकॉन सिल्लियां उगाने के लिए ग्रेफाइट फेल्ड और सिलिकॉन वेफर्स को काटने के लिए पतला स्टील का तार | 31.03.2028 |
| 33. | 184 | सिम्पली सोन डायमंड्स | 31.03.2028 |
| 34. | 185 | प्रयोगशाला में उगाए गए कच्चे हीरों के निर्माण में उपयोग | 31.03.2028 |

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---------|--------------------------------------|---|--------------|
| | | के लिए बीज | |
| 35. | 205 | लौह स्ट्रैप | 31.03.2028 |
| 36. | 208 | कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरजीओ) के निर्माण में उपयोग के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड (एमजीओ) लेपित कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल्स | 31.03.2028 |
| 37. | 209 | रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड स्टील (सीआरजीओ) स्टील के निर्माण के लिए निर्दिष्ट वस्तुएँ | 31.03.2028 |
| 38. | 220 | हवा से चलने वाले बिजली जनरेटर में उपयोग के लिए विशेष बीयरिंग के निर्माण के लिए जाली स्टील के छल्ले <i>[यह प्रविष्टि दिनांक 24.10.2025 की अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की क्रमांक संख्या 230 के साथ विलय की जा रही है।]</i> | 31.03.2028 |
| 39. | 222 | सौर फोटोवोल्टिक सेल या मॉड्यूल के निर्माण के लिए तांबे का तार या परिष्कृत तांबा <i>[प्रविष्टि में भी संशोधन किया गया है।]</i> | 31.03.2028 |
| 40. | 227 | विदेश से मरम्मत के बाद आयातित धातु खींचने के लिए डाई, मरम्मत के लिए भारत से बाहर निर्यात की गई समान घिसी हुई डाई के बदले में | 31.03.2028 |
| 41. | 228 | अपतटीय तेल अन्वेषण या दोहन के प्रयोजनों के संबंध में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए पुर्जे और कच्चा माल | 31.03.2028 |
| 42. | 229 | निर्दिष्ट वस्तुएँ, जब किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा आयात किया जाता है, पेट्रोलियम परिचालन या कोयला बेड मीथेन परिचालन के संबंध में: | 31.03.2028 |
| 43. | 230 | पवन ऊर्जा संचालित विद्युत जनरेटर घटकों के विनिर्माण या रखरखाव के लिए वस्तुएँ <i>[अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की प्रविष्टि क्रमांक 220 के विलय के बाद प्रविष्टि को भी संशोधित किया गया है।]</i> | 31.03.2028 |

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---------|--------------------------------------|--|--------------|
| 44. | 232 | कैटलिटिक कन्वर्टर्स के हिस्से , और कैटलिटिक कन्वर्टर्स या उसके भागों के विनिर्माण में उपयोग के लिए वस्तुएँ | 31.03.2028 |
| 45. | 233 | नोबल मेटल कंपाउंड्स और नोबल मेटल सॉल्यूशंस के निर्माण में इस्तेमाल के लिए प्लैटिनम या पैलेडियम। | 31.03.2028 |
| 46. | 234 | कैटलिटिक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए सेरिया ज़िरकोनिया यौगिक | 31.03.2028 |
| 47. | 235 | कैटलिटिक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में उपयोग के लिए सेरियम यौगिक | 31.03.2028 |
| 48. | 237 | अर्धचालक वेफर और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) के निर्माण में उपयोग के लिए मशीनरी, विद्युत उपकरण, अन्य यंत्र और उनके हिस्से , पॉप्युलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को छोड़कर | 31.03.2028 |
| 49. | 238 | सेमाइकन्डक्टर चिप्स के संयोजन, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग में उपयोग के लिए मशीनरी, विद्युत उपकरण, अन्य यंत्र और उनके हिस्से , पॉप्युलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को छोड़कर | 31.03.2028 |
| 50. | 239 | कुछ वस्तुओं और उनके पुर्जों के निर्माण के लिए निर्दिष्ट वस्तुएँ | 31.03.2028 |
| 51. | 246 | प्लैटिनम और रोडियम मिश्र धातु से बने बुशिंग, जब भारत से निर्यात किए गए घिसे हुए या क्षतिग्रस्त बुशिंग के बदले में आयात किए जाते हैं | 31.03.2028 |
| 52. | 247 | सुरंग खोदने वाली मशीनों के निर्माण के लिए पुर्जे और घटक | 31.03.2028 |
| 53. | 256 | सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम के निर्माण में उपयोग के लिए तीन लेयर वाली सौर सेलेक्टिव कोटिंग वाली निष्क्रिय ट्यूब | 31.03.2028 |
| 54. | 267 | सीएनसी लेथ्स के निर्माण में उपयोग के लिए बॉल स्क्रू | 31.03.2028 |
| 55. | 268 | सीएनसी लेथ्स के निर्माण में उपयोग के लिए लिनीअर मोशन गाइड | 31.03.2028 |

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---------|--------------------------------------|--|--------------|
| 56. | 269 | सीएनसी लेथ्स के निर्माण में उपयोग के लिए सीएनसी सिस्टम | 31.03.2028 |
| 57. | 270 | प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के निर्माण में उपयोग के लिए लिए निर्दिष्ट वस्तुएँ | 31.03.2028 |
| 58. | 272 | माइक्रो एटीएम, फिंगरप्रिंट रीडर/स्कैनर जैसे सामान के विनिर्माण में उपयोग के लिए पुर्जे और घटक | 31.03.2028 |
| 59. | 273 | एलईडी लाइट या फिक्स्चर के निर्माण में उपयोग के लिए सभी हिस्से जिसमें शामिल एलईडी लैंप | 31.03.2028 |
| 60. | 274 | एलईडी (लाइट एमिटिंग डायोड) लाइट्स और फिक्स्चर के लिए एलईडी ड्राइवर मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सभी इनपुट | 31.03.2028 |
| 61. | 277 | निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों में परीक्षण के लिए आयातित माल | 31.03.2028 |
| 62. | 280 | माइक्रोफोन के विनिर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट वस्तुएँ | 31.03.2028 |
| 63. | 292 | (i) डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर /नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर के निर्माण के लिए हिस्से , घटक और सहायक उपकरण, जो 8521 90 90 के अंतर्गत आते हैं, निम्नलिखित मदों को छोड़कर: (क) पॉप्युलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड; (ख) चार्जर या पावर एडॉप्टर (ii) ऊपर (i) में उल्लिखित मदों के निर्माण में उपयोग के लिए उप-भाग। <i>[केवल खंड (ii) जारी रखा जा रहा है, जबकि खंड (i) को 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने दिया जा रहा है]</i> | 31.03.2028 |
| 64. | 293 | कुछ रिसेप्शन उपकरणों के हिस्से , घटक और सहायक उपकरण। | 31.03.2028 |
| 65. | 294 | सीसीटीवी कैमरा के विनिर्माण के लिए पुर्जे, घटक और सहायक उपकरण | 31.03.2028 |

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---------|--------------------------------------|--|--------------|
| 66. | 295 | लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी पैक के विनिर्माण में उपयोग के लिए लिथियम-आयन सेल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) को छोड़कर हिस्से , घटक और सहायक उपकरण; | 31.03.2028 |
| 67. | 296 | लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी पैक के मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) के निर्माण में उपयोग के लिए इनपुट, हिस्से या उप-भाग | 31.03.2028 |
| 68. | 297 | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल के निर्माण में उपयोग के लिए ओपन सेल | 31.03.2028 |
| 69. | 302 | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल के निर्माण में उपयोग के लिए अन्य हिस्से | 31.03.2028 |
| 70. | 306 | घरेलू माइक्रोवेव ओवन के निर्माण के लिए 1.5 किलोवाट तक के मैग्नेट्रॉन का उपयोग किया जाता है | 31.03.2028 |
| 71. | 314 | लिथियम-आयन कोशिकाओं का निर्माण के उपयोग के लिए हिस्से , उप-भाग, इनपुट या कच्चा माल | 31.03.2028 |
| 72. | 319 | सेलुलर फोन या ईवी को छोड़कर बैटरी या बैटरी पैक बनाने में उपयोग होने वाला लिथियम-आयन सेल | 31.03.2028 |
| 73. | 320 | सेलुलर मोबाइल फोन की बैटरी या बैटरी पैक के निर्माण में उपयोग के लिए लिथियम-आयन सेल | 31.03.2028 |
| 74. | 321 | विद्युत चालित वाहन या हाइब्रिड मोटर वाहन की बैटरी या बैटरी पैक के निर्माण में उपयोग के लिए लिथियम-आयन सेल | 31.03.2028 |
| 75. | 333 | ग्लाइडर के पुर्जे या विमान के सिमुलेटर (ग्लाइडर के रबर टायर और ट्यूब को छोड़कर) | 31.03.2028 |
| 76. | 334 | विमानों और विमानों के पुर्जों के निर्माण के लिए कच्चा माल | 31.03.2028 |

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---------|--------------------------------------|---|--------------|
| 77. | 335 | विमान के निर्माण हेतु विमान के घटक या हिस्से , जिनमें इंजन भी शामिल हैं | 31.03.2028 |
| 78. | 336 | रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए पुर्जे, परीक्षण उपकरण, औजार और टूल-किट | 31.03.2028 |
| 79. | 337 | अन्य विमान। | 31.03.2028 |
| 80. | 338 | विमान के घटक या हिस्से , जिनमें इंजन भी शामिल हैं | 31.03.2028 |
| 81. | 339 | उपग्रह और पेलोड, परीक्षण के लिए लाए गए जमीनी उपकरण और उपग्रह के लिए जमीनी इंस्टॉलेशन, जिसमें इसके पुर्जे और उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं | 31.03.2028 |
| 82. | 340 | प्रक्षेपण यान, उपग्रह और पेलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, तंत्र, उपकरण | 31.03.2028 |
| 83. | 341 | हेडिंग 8802 के अंतर्गत सभी वस्तुएँ (CTH 8802 60 00 को छोड़कर) | 31.03.2028 |
| 84. | 342 | हेडिंग 8802 के अंतर्गत सभी वस्तुएँ (CTH 8802 60 00 को छोड़कर) | 31.03.2028 |
| 85. | 343 | हेडिंग 8802 के अंतर्गत सभी वस्तुएँ (CTH 8802 60 00 को छोड़कर) | 31.03.2028 |
| 86. | 345 | हेडिंग 8802 के विमान के हिस्से (रबर ट्यूब को छोड़कर) | 31.03.2028 |
| 87. | 348 | हेडिंग 8802 के विमान के हिस्से (रबर ट्यूब को छोड़कर) | 31.03.2028 |
| 88. | 350 | आयातित माल की अधिक तेजी से उतराई और निर्यात माल की लदाई के लिए जहाजों के साथ आयातित बजरे या पॉटून | 31.03.2028 |
| 89. | 355 | मछली पकड़ने वाले जहाज, टग और पुशर क्राफ्ट, हल्के | 31.03.2028 |
| 90. | 375 | कोरोनरी स्टेंट / कोरोनरी स्टेंट प्रणाली और कृत्रिम हृदय वाल्व के निर्माण के लिए स्टेनलेस स्टील ट्यूब और तार, कोबाल्ट क्रोमियम ट्यूब आदि | 31.03.2028 |
| 91. | 376 | कोलोस्टॉमी, इलियोस्टॉमी, यूरेटेरोस्टॉमी, इलियाक कंडिट यूरोस्टॉमी स्टोमा मामलों के प्रबंधन के लिए ओस्टोमी उत्पाद | 31.03.2028 |
| 92. | 377 | चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण, तंत्र और | 31.03.2028 |

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|--|--------------------------------------|---|--------------|
| | | उपकरण जिसमें शामिल स्पेयर पार्ट्स और उसके सहायक उपकरण | |
| 93. | 382 | निर्दिष्ट अस्पतालों में उपयोग हेतु अस्पताल उपकरण | 31.03.2028 |
| 94. | 386 | कोकलीयर इम्प्लांट्स के निर्माण के लिए कच्चा माल, पुर्जे या सहायक उपकरण | 31.03.2028 |
| 95. | 387 | एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली और पुर्जे उसके | 31.03.2028 |
| 96. | 388 | पोर्टेबल एक्स-रे मशीन / प्रणाली | 31.03.2028 |
| 97. | 392 | ब्रेल घड़ियों के निर्माण के लिए ब्रेल घड़ियों के पुर्जे और केस | 31.03.2028 |
| 98. | 396 | इलेक्ट्रॉनिक खिलाओं के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलाओं के पुर्जे | 31.03.2028 |
| 99. | 415 | मशीनरी की सभी वस्तुएं और सहायक उपकरण जो गैर-पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग करके बिजली उत्पादन या संपीड़ित जैव-गैस (बायो-सीएनजी) के उत्पादन के परियोजना की प्रारंभिक स्थापना के लिए आवश्यक हैं। | 31.03.2028 |
| 100. | 440 | मशीनरी की सभी वस्तुएँ और सहायक उपकरण जो विद्युत उत्पादन या प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए ईंधन सेल आधारित प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना के लिए आवश्यक हैं | 31.03.2028 |
| अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका II में | | | |
| 101. | 1 | सुरक्षा फाइबर, सुरक्षा धागे, पेपर आधारित टैगमेंट, जिसमें शामिल एम-फीचर, सुरक्षा पेपर मिल, होशंगाबाद और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर द्वारा सुरक्षा पेपर के निर्माण में उपयोग के लिए। | 31.03.2028 |
| 102. | 2 | सुरक्षा फाइबर और सुरक्षा धागे के निर्माण में उपयोग के लिए सुरक्षा पेपर मिल, होशंगाबाद और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर को सुरक्षा पेपर के निर्माण में उपयोग के लिए आपूर्ति हेतु कच्चा माल। | 31.03.2028 |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है।

(ख) अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की निम्नलिखित 22 शर्तीय छूट प्रविष्टियों को 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने दिया जा रहा है:

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---|--------------------------------------|---|--------------|
| अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका । में | | | |
| 1. | 93 | नेफ्था, उर्वरकों के निर्माण में उपयोग के लिए | 31.03.2026 |
| 2. | 95 | घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) इकाई द्वारा पोलीआइसोब्यूटलीन के निर्माण में प्रयुक्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी), जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाई से प्राप्त हुआ और डीटीए द्वारा उसी एसईजेड को लौटाया गया, जहाँ से यह एलपीजी प्राप्त हुआ था। | 31.03.2026 |
| 3. | 107 | अनडिफ्यूज्ड सिलिकॉन वेफर्स के निर्माण के लिए सभी रूपों में सिलिकॉन और सौर सेल या सौर सेल मॉड्यूल के निर्माण के लिए अनडिफ्यूज्ड सिलिकॉन वेफर्स | 31.03.2026 |
| 4. | 117 | माल्टोल, डेफेरिप्रोन के निर्माण में उपयोग के लिए | 31.03.2026 |
| 5. | 145 | कॉपर-टी गर्भनिरोधकों के निर्माण के लिए निर्दिष्ट वस्तुएँ | 31.03.2026 |
| 6. | 154 | इंसुलेटेड तारों और केबलों के निर्माण में उपयोग के लिए एथिलीन - प्रोपलीन - गैर-संयुग्मित डायन रबर (ईपीडीएम) | 31.03.2026 |
| 7. | 172 | हाइड्रोफिलिक नॉन-वोवन, हाइड्रोफोबिक नॉन-वोवन, ऐडल्ट डायपर के निर्माण में उपयोग के लिए आयातित; | 31.03.2026 |
| 8. | 201 | बहुमूल्य धातुओं से युक्त व्ययित उत्प्रेरक या राख | 31.03.2026 |
| 9. | 218 | विद्युत इन्सुलेटरों के निर्माण में उपयोग के लिए धातु के हिस्से | 31.03.2026 |
| 10. | 219 | बॉयलर के निर्माण में उपयोग के लिए पाइप और ट्यूब | 31.03.2026 |
| 11. | 231 | पवन ऊर्जा से संचालित विद्युत जनरेटरों में उपयोग के लिए 500 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले सिंक्रोनस जनरेटरों के निर्माण हेतु स्थायी चुम्बक | 31.03.2026 |
| 12. | 236 | कैटलिटिक कन्वर्टर्स के लिए वॉशकोट के निर्माण में | 31.03.2026 |

| क्रमांक | 45/2025- सीमा शुल्क के क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|--|--------------------------------------|--|--------------|
| | | उपयोग के लिए जिओलाइट | |
| 13. | 243 | उच्च गति वाली कोल्ड-सेट और हीट-सेट वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें साथ में उपयुक्त मेलरूम उपकरण | 31.03.2026 |
| 14. | 271 | कैश डिस्पेंसर या स्वचालित बैंक टिप्पणी डिस्पेंसर और उसके हिस्से | 31.03.2026 |
| 15. | 275 | किसी विदेशी फिल्म इकाई या टेलीविजन टीम द्वारा आयातित टेलीविजन उपकरण, कैमरे और फिल्म बनाने के लिए अन्य उपकरण | 31.03.2026 |
| 16. | 276 | विदेशी मूल के फोटोग्राफिक, फिल्मों, और ध्वनि रिकॉर्डिंग, यदि वहां से निर्यात किए जाने के बाद भारत में आयात किए गए हों। | 31.03.2026 |
| 17. | 291 | डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरों के हिस्से और घटक | 31.03.2026 |
| 18. | 309 | ई-रीडर के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चा माल या पुर्जे | 31.03.2026 |
| 19. | 370 | एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब | 31.03.2026 |
| 20. | 372 | एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए फ्लैट पैनल डिटेक्टर | 31.03.2026 |
| 21. | 397 | वीडियो गेम के निर्माण के लिए वीडियो गेम के पुर्जे | 31.03.2026 |
| अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका IV में | | | |
| 22. | 1 | मीडिया पर मुद्रित या रिकॉर्ड किए गए गेमिंग कंसोल पर उपयोग के लिए चलचित्र, संगीत, गेमिंग सॉफ्टवेयर | 31.03.2026 |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है।

(ग) इसके अतिरिक्त, समीक्षा के पश्चात अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025

की निम्नलिखित बिना शर्त छूट/रियायती शुल्क दर वाली प्रविष्टियों को भी, 2 फरवरी, 2026 से संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित करके, समाप्त किया जा रहा है:

| क्रमांक | अधिसूचना 45/2025- सीमा शुल्क की तालिका । का क्रमांक | संक्षिप्त विवरण |
|---------|--|---|
| 1. | 1 | चिड़ियाघर द्वारा आयातित पशु और पक्षी |
| 2. | 113 | अल्फा पिनीन |
| 3. | 123 | कृत्रिम प्लाज्मा |
| 4. | 128 | अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम नाइट्रो- फॉस्फेट, खाद के रूप में उपयोग के लिए या जटिल उर्वरकों के उत्पादन के लिए |
| 5. | 132 | पोटेशियम सल्फेट, जिसमें पोटेशियम ऑक्साइड की मात्रा भार के अनुसार 52% से अधिक न हो* |
| 6. | 137 | टैरिफ मद 3822 90 90 के अंतर्गत आने वाले अन्य नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक* |
| 7. | 213 | इन्वार |
| 8. | 258 | काँफी के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए काँफी रोस्टिंग, ब्रूइंग या वेंडिंग वाली मशीनें |
| 9. | 285 | रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनलों के हिस्से |
| 10. | 287 | शैक्षिक प्रकृति की पुस्तकें, जर्नल, पत्रिकाएँ या समाचार पत्र युक्त सीडी-रोम |
| 11. | 310 | लोको सिमुलेटर |

*क्रम संख्या 5 और 6 के लिए प्रभावी बीसीडी दर यथावत रहेगी

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है।

(घ) अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की छूट प्रविष्टियों में अन्य परिवर्तन:

(i) निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए सनसेट क्लॉज़ को 2 फरवरी, 2026 से हटाया जा रहा है:

| क्रमांक | अधिसूचना 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका । का क्रमांक | संक्षिप्त विवरण |
|---------|---|--|
| 1. | 303 | केवल या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त हिस्से शीर्षक 8525, 8526 या 8527 का उपकरण (उक्त प्रविष्टि को 1 मई, 2026 से विलोपित किया जा रहा है जिसके साथ प्रभाई दर को टैरीफ में सम्मिलित किया जाएगा) |
| 2. | 353 | सभी सामान (जहाज और अन्य अस्थायी संरचनाएं जिन्हें तोड़ने के लिए आयात किया जाता है को छोड़कर) (टैरीफ शीर्ष 8901) |
| 3. | 356 | सभी सामान (जहाज और अन्य तैरते हुए संरचनाएं जिन्हें तोड़ने के लिए आयात किया जाता है को छोड़कर) (टैरीफ शीर्ष 8906) |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है।

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए 31 मार्च, 2027 की सनसेट-तिथि निर्धारित की जा रही है:

| क्रमांक | अधिसूचना 45/2025- सीमा शुल्क की तालिका । का क्रमांक | संक्षिप्त विवरण | निर्धारित समाप्ति तिथि |
|---------|---|---|---------------------------|
| 1. | 192 | सोने की डोरे बार, जिसमें सोने की मात्रा 95% से अधिक न हो | 31.03.2027 |
| 2. | 193 | सिल्वर डोरे बार जिसमें चांदी की मात्रा 95% से अधिक न हो | 31.03.2027 |
| 3. | 194 | (i) सोने की छड़ें, तोला छड़ें से भिन्न, जिन पर निर्माता या रिफाइनर का उत्कीर्ण सीरियल नंबर और मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त वजन हो, और सोने के सिक्के जिनमें सोने की मात्रा 99.5% से कम न हो, पात्र यात्री द्वारा आयातित | 31.03.2027 |

| | | | |
|----|-----|---|------------|
| | | (ii) सोना (i) से भिन्न किसी भी रूप में, जिसमें शामिल तोला बार और आभूषण, लेकिन रत्नों या मोतियों से जड़े आभूषण को छोड़कर | |
| 4. | 195 | चांदी, किसी भी रूप में जिसमें शामिल आभूषण, लेकिन रत्नों या मोतियों से जड़े आभूषण को छोड़कर, पात्र यात्री द्वारा आयातित | 31.03.2027 |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है।

(iii) अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की निम्नलिखित प्रविष्टियों को 2 फरवरी, 2026 से प्रभावी रूप से निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है:

| क्रमांक | अधिसूचना 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका I का क्रमांक | विवरण |
|---------|--|--|
| 1. | 69 | सी-फूड प्रसंस्करण में उपयोग के लिए कर-मुक्त आयात की सीमा पिछले वर्ष के सी-फूड निर्यात एफओबी मूल्य के 1% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है। |
| 2. | 134 | संशोधित विवरण में उन निर्दिष्ट वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है जो EVA (एथिलीन विनाइल एसीटेट), PoE (पॉलीओलेफिन इलास्टोमर) या इनके संयोजन से बने शीट/एंकैप्सुलेंट या बैकशीट के निर्माण में उपयोग की जाती हैं, जिनका उपयोग सोलर फोटोवोल्टिक सेल या मॉड्यूल के निर्माण में किया जाता है। |
| 3. | 12, 140, 142 | रियायती शुल्क दर पर आयातित इनपुट से निर्मित मूल्य-वर्धित उत्पादों के निर्यात की समय-अवधि को छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने किया जा रहा है। |
| 4. | 143 | लेदर/सिंथेटिक फुटवियर के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर कर छूट का लाभ अब जूते के ऊपरी हिस्से (शू-अपर्स) के निर्यातकों को भी उपलब्ध होगा। रियायती शुल्क दर पर आयातित इनपुट से निर्मित मूल्य-वर्धित उत्पादों के निर्यात की समय-अवधि को छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने किया |

| | | |
|----|-----------|---|
| | | जा रहा है। |
| 5. | 222 | संशोधित विवरण में उस तांबे के तार को शामिल किया गया है, जिसका परिष्कृत तांबे का अधिकतम क्रॉस-सेक्शनल आयाम 6 मिमी से अधिक है, या परिष्कृत तांबे की तांबे की छड़ें, जो फोटोवोल्टिक रिबन, टिन कोटेड तांबे के इंटरकनेक्ट, सेल इंटरकनेक्ट, स्ट्रिंग इंटरकनेक्ट, फोटोवोल्टिक कनेक्ट, फोटोवोल्टिक रिबन, सोलर रिबन या सोलर फोटोवोल्टिक सेल या मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग की जाती हैं। |
| 6 | 220 & 230 | “पवन चालित विद्युत जनरेटरों में उपयोग हेतु विशेष बेयरिंग के निर्माण के लिए फोर्ज्ड स्टील रिंग्स” से संबंधित क्रमांक 220 को क्रमांक 230 में समाहित किया जा रहा है। इसके पश्चात, पवन चालित विद्युत जनरेटर के घटकों के निर्माण या अनुरक्षण हेतु वस्तुओं को आच्छादित करने वाले क्रमांक 230 के विवरण को संशोधित किया गया है। |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है

(iv) सूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क की निम्नलिखित छूट प्रविष्टियों को अनावश्यक होने के कारण 02.02.2026 से विलोपित किया जा रहा है। प्रभावी मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की दर अपरिवर्तित रहेगी और यह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची से लागू होगी। विवरण निम्नानुसार है:

| क्रमांक | 45/2025-सीमा शुल्क के तालिका / के क्रमांक | विवरण |
|---------|---|---|
| 1. | 139 | एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) |
| 2. | 157 | विमानों में प्रयुक्त होने वाले रबर के नए न्यूमैटिक टायर (अधिसूचना 45/2025-सीमा शुल्क के क्रमांक संख्या 155 और 156 के अंतर्गत आने वाले वस्तुओं के अलावा) |
| 3. | 217 | पेंच, बोल्ट, नट और अन्य नॉन थरेडेड वस्तुओं जो टैरिफ आइटम 7318 15 00, 7318 16 00 तथा 7318 29 90 के अंतर्गत आती है |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है

ख. अन्य अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित छूटों की समीक्षा:

(क) निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) छूट की वैधता को दो वर्षों के लिए, अर्थात् 31 मार्च, 2028 तक बढ़ाया जा रहा है:

| क्रमांक | अधिसूचना संख्या | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---------|---|--|--------------|
| 1. | 248/1976-सीमा शुल्क दिनांक 2 अगस्त 1976 | 'अनुमोदन या वापसी' के आधार पर डाक द्वारा आयातित कीमती पत्थरों को छूट | 31.03.2028 |
| 2. | 32/1997-सीमा शुल्क दिनांक 1 अप्रैल 1997 | जॉबिंग के लिए निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए आयातित माल पर छूट | 31.03.2028 |
| 3. | 24/2001-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2001 | कॉपर रिवर्ट्स से निर्मित कॉपर कैथोड, वायर बार और वायर रॉड को छूट | 31.03.2028 |
| 4. | 25/2001-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2001 | कॉपर एनोड स्लाइम से उत्पादित सोने और चांदी पर छूट, जिन्हें टोल गलाने और प्रसंस्करण के लिए भारत से बाहर निर्यात किया गया था | 31.03.2028 |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है

(ख) निम्नलिखित अधिसूचनाओं 31 मार्च, 2026 से समाप्त की जा रही हैं:

| क्रमांक | अधिसूचना संख्या | विवरण | समाप्ति तिथि |
|---------|--|---|--------------|
| 1. | 113/2003-सीमा शुल्क दिनांक 22 जुलाई 2003 | एसईजेड में इकाई द्वारा स्वदेशी संयंत्र और मशीनरी पर स्वदेशी अरंडी तेल के बीज से निर्मित और डीटीए में लाए गए अरंडी तेल केक और अरंडी डी-तेलयुक्त केक को छूट | 31.03.2026 |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा

सकता है

(ग) निम्नलिखित अधिसूचना के लिए समाप्ति तिथि (सनसेट-डेट) 31 मार्च, 2028 निर्धारित की जा रही है:

| क्रमांक | अधिसूचना संख्या | संक्षिप्त विवरण | समाप्ति तिथि |
|---------|-------------------------------------|---|--------------|
| 1. | 29/2025-सीमा शुल्क दिनांक 9 मई 2025 | सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए अभिप्रेत कला-कृतियों और प्राचीन वस्तुओं को छूट | 31.03.2028 |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है

(घ) अधिसूचना संख्या 36/2024- सीमा शुल्क (की निम्नलिखित छूट प्रविष्टियों को अनावश्यक होने के कारण 02.02.2026 से विलोपित किया जा रहा है। प्रभावी मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की दर अपरिवर्तित रहेगी तथा यह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची से लागू होगी। विवरण निम्नानुसार है:

| क्रमांक. | अधिसूचना संख्या 36/2024- सीमा शुल्क का क्रमांक | विवरण |
|----------|--|---|
| 1. | 5 | तांबा अयस्क और सघन |
| 2. | 6 | कोबाल्ट अयस्क और सघन |
| 3. | 7 | टिन अयस्क और सघन |
| 4. | 8 | टंगस्टन अयस्क और सघन |
| 5. | 9 | मोलिब्डेनम अयस्क और सघन |
| 6. | 10 | ज़िरकोनियम अयस्क और सघन |
| 7. | 12 | वैनाडियम अयस्क और सघन |
| 8. | 13 | नायोबियम या टैंटलम अयस्क और सघन |
| 9. | 14 | एंटीमनी अयस्क और सघन |
| 10. | 42 | अप्रसंस्कृत टिन |
| 11. | 43 | अप्रसंस्कृत टंगस्टन, जिसमें केवल सिंटरिंग द्वारा प्राप्त बार और रॉड शामिल हैं |
| 12. | 44 | अप्रसंस्कृत मोलिब्डेनम, जिसमें केवल सिंटरिंग द्वारा प्राप्त बार |

| क्रमांक. | अधिसूचना संख्या 36/2024- सीमा शुल्क का क्रमांक | विवरण |
|----------|--|---|
| | | और रॉड शामिल हैं |
| 13. | 45 | अप्रसंस्कृत टेंटलम, जिसमें सिंटरिंग द्वारा प्राप्त बार और रॉड तथा पाउडर शामिल हैं |
| 14. | 46 | कोबाल्ट, अप्रसंस्कृत |
| 15. | 47 | बिस्मथ, अप्रसंस्कृत |
| 16. | 48 | अप्रसंस्कृत ज़िरकोनियम, पाउडर, जिसमें भार के अनुसार 500 भाग ज़िरकोनियम पर 1 भाग से कम हैफिनियम हो |
| 17. | 49 | अप्रसंस्कृत एंटीमनी, पाउडर |
| 18. | 50 | बेरिलियम, अप्रसंस्कृत, पाउडर |
| 19. | 51 | हैफिनियम, अप्रसंस्कृत, अपशिष्ट और स्क्रेप, पाउडर |
| 20. | 52 | रीनियम, अप्रसंस्कृत |
| 21. | 53 | कैडमियम, अप्रसंस्कृत, पाउडर |
| 22. | 54 | कैडमियम, प्रसंस्कृत |

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना का संदर्भ लिया जा सकता है

VII. सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस)

क. निर्दिष्ट वस्तुओं को अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क के अंतर्गत SWS से छूट प्राप्त है। कुछ छूट अधिसूचनाओं से प्रविष्टियों के विलोपन के परिणामस्वरूप अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। प्रभावी कर भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और निम्नलिखित वस्तुएँ एसडब्ल्यूएस से पूर्ववत् छूट प्राप्त करती रहेंगी। ये परिवर्तन तकनीकी प्रकृति के हैं।

- अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क के क्रमांक 1 को प्राकृतिक ग्रेफाइट (हेडिंग 2504), क्वार्ट्ज (हेडिंग 2506), सिलिकॉन डाइऑक्साइड (टैरिफ आइटम 2811 22 00) तथा कृत्रिम ग्रेफाइट (हेडिंग 3801) को सम्मिलित करने हेतु संशोधित किया जा रहा है। वर्तमान में ये वस्तुएँ अधिसूचना संख्या 36/2024- सीमा शुल्क, दिनांक

23.07.2024 के क्रमांक 1, 3, 20 एवं 41 के अंतर्गत एसडब्ल्यूएस से मुक्त हैं। अधिसूचना संख्या 36/2024- सीमा शुल्क से इन छूट प्रविष्टियों के विलोपन के पश्चात, ये वस्तुएँ अधिसूचना संख्या 11/2018- सीमा शुल्क के संशोधित क्रमांक 1 के अंतर्गत SWS से छूट प्राप्त करती रहेंगी। **यह परिवर्तन 01.05.2026 से प्रभावी होगा।**

ii. वर्तमान में, उप-शीर्ष 2106 90 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएँ, पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रकार की कंपाउंड ऐल्कहॉलिक प्रेपरेशन (जिनकी आयतन के अनुसार अल्कोहल मात्रा 0.5% से अधिक हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्धारित) को छोड़कर, अधिसूचना संख्या 45/2025- सीमा शुल्क की तालिका I के क्रमांक 67 के अंतर्गत 50% की रियायती मूल सीमा शुल्क दर पर कर योग्य हैं। उक्त छूट प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 45/2025- सीमा शुल्क से विलोपित किया जा रहा है तथा रियायती बीसीडी दर को 01.05.2026 से टैरिफ में स्थानान्तरित किया जाएगा। इसके पश्चात, अधिसूचना संख्या 11/2018- सीमा शुल्क के क्रमांक 7 को विलोपित किया जाएगा और क्रमांक 1 में संशोधन कर टैरिफ मद 2106 90 51, जिसमें कंपाउंड ऐल्कहॉलिक प्रेपरेशन शामिल है, को शामिल किया जाएगा। उप-शीर्षिक 2106 90 के अंतर्गत वस्तुओं पर एसडब्ल्यूएस करपात यथावत् रहेगा। **यह परिवर्तन 01.05.2026 से प्रभावी होगा।**

iii. हेडिंग 7112 के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य धातुओं युक्त प्रयुक्त उत्प्रेरक और राख, अधिसूचना संख्या 11/2018- सीमा शुल्क के क्रमांक 54A के अंतर्गत एसडब्ल्यूएस से मुक्त हैं। क्रमांक 54A की प्रविष्टि के विवरण को **01.04.2026 से संशोधित** किया जा रहा है, ताकि अधिसूचना संख्या 45/2025- सीमा शुल्क की तालिका I के क्रमांक 201 का संदर्भ हटाया जा सके, **जिसे 31 मार्च, 2026 को समाप्त** किया जा रहा है। अधिसूचना संख्या 11/2018- सीमा शुल्क के संशोधित क्रमांक 54A के अंतर्गत प्रयुक्त उत्प्रेरक अथवा बहुमूल्य धातुओं युक्त राख पर एसडब्ल्यूएस से छूट यथावत् जारी रहेगी।

ख. **1 अप्रैल, 2026 से** शीर्ष 9804 (व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयातित शुल्कयोग्य वस्तुएँ) के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) लगाया जाएगा।

ग. अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमाशुल्क में तालिका I की क्रम संख्या 396 के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के हिस्सों को, 02.02.2026 से एसडब्ल्यूएस से छूट मिली है। इसके पश्चात, शीर्ष 9503 के अंतर्गत सभी वस्तुओं पर एसडब्ल्यूएस से छूट है।

VIII. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)

क. टैरिफ मद 4011 30 00 के अंतर्गत आने वाले, विमानों में प्रयुक्त होने वाले, रबर के नए नयूमेटिक टायर (अधिसूचना संख्या 45/2025- सीमा शुल्क की तालिका-I के क्रमांक 155 और 156 के अंतर्गत आने वालों वस्तुओं को छोड़कर) पर अधिसूचना संख्या 11/2021- सीमा शुल्क के क्रमांक 13A के तहत 0.5% एआईडीसी लागू होता है। अधिसूचना संख्या 45/2025- सीमा शुल्क की तालिका-I के क्रमांक 157 की छूट प्रविष्टि को **02.02.2026** से विलोपित किए जाने के परिणामस्वरूप, अधिसूचना संख्या 11/2021- सीमा शुल्क के क्रमांक 13A में **प्रविष्टि विवरण को 02.02.2026 से प्रभावी रूप से संशोधित कर उक्त क्रमांक 157 का संदर्भ हटाया जा रहा है।** विमानों में प्रयुक्त होने वाले, रबर के नए नयूमेटिक टायरों (जिन पर शून्य बीसीडी लागू नहीं है) पर एआईडीसी की दर **0.5%** पर यथावत् बनी रहेगी।

उत्पाद-शुल्क

टिप्पण:

- (क) “मूल उत्पाद-शुल्क” से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की अनुसूची में उपवर्णित उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है।
- (ख) “एनसीसीडी” से वित्त अधिनियम, 2001 के अधीन सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद-शुल्क के रूप में उद्ग्रहीत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क अभिप्रेत है
- (ग) गुरुकोष्ठक [] में खंड संख्याक वित्त विधेयक, 2026 के सुसंगत खंड को उपदर्शित करते हैं।
- (घ) वित्त विधेयक, 2026 द्वारा किए गए संशोधन, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

I. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में संशोधन

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में संशोधन कर चबाने वाले तंबाकू (HS 2403 99 10), जर्दा सुगंधित तंबाकू (HS 2403 99 30) तथा गुटखा सहित अन्य तंबाकू उत्पादों (HS 2403 99 90) पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) की अनुसूची दरों को 1 मई, 2026 से संशोधित किया जा रहा है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी*। [वित्त विधेयक, 2026 की छठी अनुसूची के साथ पठित धारा 142]

| टैरिफ आइटम. | विवरण | एनसीसीडी की दर | |
|-------------|----------------------|----------------|-----|
| | | से | तक |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2403 99 10 | चबाने वाला तंबाकू | 25% | 60% |
| 2403 99 30 | जर्दा सुगंधित तंबाकू | 25% | 60% |
| 2403 99 90 | अन्य | 25% | 60% |

*प्रभावी दर 25%, अधिसूचना द्वारा, बनी रहेगी

II. मिश्रित कंप्रेसड नेचुरल गैस (सीएनजी) में निहित बायोगैस/कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) के मूल्य पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट

मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना के लिए मिश्रित सीएनजी में निहित बायोगैस/कंप्रेसड बायोगैस सीबीजी के मूल्य और उस पर लागू केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जैसी भी स्थिति हो, उसे लेन-देन मूल्य से बाहर रखा जा रहा है। इस संदर्भ में, अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30.06.2017 को 02/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 01.02.2026 के माध्यम से उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा रहा है। अधिसूचना संख्या 05/2023-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 01.02.2023, जिसके तहत केवल मिश्रित सीएनजी में निहित बायोगैस/सीबीजी पर भुगतान किए गए जीएसटी राशि पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी, को 01.02.2026 से निरस्त किया जा रहा है।

III. अघुलित डीज़ल की बिक्री पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने की तिथि स्थगित करना

अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30.06.2017 (संशोधित सहित) के माध्यम से अघुलित डीज़ल पर प्रति लीटर ₹2 की अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के आरोपण के कार्यान्वयन को अधिसूचना संख्या 02/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 01.02.2026 के माध्यम से 31 मार्च, 2028 तक स्थगित किया जा रहा है।

माल और सेवा कर

टिप्पण: (क) (i) सीजीएसटी अधिनियम से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

(ii) ईजीएसटी अधिनियम से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है।

(ख) वित्त विधेयक, 2026 में खंड से द्वारा किए गए संशोधन, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, उस तारीख से प्रभावी होंगे जब उन्हें राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा विधान के साथ पारित इसी प्रकार के अधिनियमों में तत्समान संशोधन करने पर यथासंभव, साथसाथ- अधिसूचित किया जाएगा।

I. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन:

| क्रम .सं. | संशोधन | वित्त विधेयक 2026 का खंड |
|-----------|--|--------------------------|
| 1. | केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 की उप-धारा (3) में संशोधन किया जा रहा है ताकि बिक्री के बाद की छूट को किसी समझौते से जोड़ने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके और इसे उस स्थिति से जोड़ा जा सके जब प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स किया जाता है, तब धारा 34 के तहत क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। | [137] |
| 2. | धारा 34 में संशोधन किया जा रहा है ताकि उसमें धारा 15 का संदर्भ शामिल किया जा सके। | [138] |
| 3. | धारा 54 की उप-धारा (6) में संशोधन किया जा रहा है ताकि प्रावधिक रिफंड के प्रावधानों का विस्तार उन रिफंड पर भी किया जा सके जो उलटी शुल्क संरचना के कारण उत्पन्न होते हैं। | [139] |
| 4. | धारा 54 की उप-धारा (14) में संशोधन किया जा रहा है ताकि बिना कर का भुगतान किए गए वस्तुओं के निर्यात से उत्पन्न होने वाले रिफंड के लिए थ्रेसहोल्ड लिमिट को हटा दिया जाए। | [139] |
| 5. | धारा 101A में उप-धारा (1A) सम्मिलित की जा रही है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण के गठन तक केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मौजूदा प्राधिकरण को धारा 101B के तहत अपील | [140] |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>सुनवाई के लिए सशक्त कर सकती है; और यह भी कि उप-धाराओं (2) से (13) के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब उप-धारा (1A) के तहत किसी ट्रिब्यूनल को सशक्त किया गया हो। उप-धारा (1A) में एक स्पष्टीकरण भी सम्मिलित किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि मौजूदा प्राधिकरण में ट्रिब्यूनल भी शामिल है।</p> <p>यह 01.04.2026 से प्रभावी होगी।</p> | |
|--|--|--|

II. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन:

| क्रम .सं. | संशोधन | वित्त विधेयक 2026 का खंड |
|-----------|---|--------------------------|
| 1. | <p>एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 की उप-धारा (8) की उप-धारा (ख) को हटाया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि "मध्यस्थ सेवाओं" के लिए आपूर्ति का स्थान आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निर्धारित सामान्य प्रावधान के अनुसार तय किया जाएगा।</p> | [141] |
